विधान सभा चुनाव 2018

)

- प्रशिक्षण प्रकोष्ठ
- जिला निर्वाचन अधिकारी ,कोटा

www.rajteachers.com

पीठासीन अधिकारियों तथा मतदान अधिकारियों के लिये प्रशिक्षण, विधान सभा चुनाव 2018

पीठासीन अधिकारियों द्वारा विभिन्न स्तरों पर सम्पन्न किये जाने वाले कार्यों की रूपरेखा

- नियुक्ति / **प्रशिक्षण** के समय
- मतदान से पूर्व का दिन
- मतदान केन्द्र पहुँचने पर
- मतदान के दिन **मतदान से पूर्व**
- मतदान के समय के दौरान
- मतदान पूरा होने के **पश्चात**

www.rajteachers.com

- आपकी नियुक्ति/प्रशिक्षण के समय- पूर्णत: निष्ठा के साथ सैद्धातिक और नवीनतम EVM मशीनों की कार्यप्रणाली जानने के लिए प्रायोगिक प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा
- नियुक्ति आदेश के साथ ही आपको प्रपत्र 12 की प्रति मिली होगी इसे भी भरें और प्रशिक्षण के समय इसे जमा करा कर EDC/ POSTAL BALLOT के लिए सम्बन्धित रिटर्निंग अधिकारी को आवेदन करें
- मतदान दिवस के एक दिन पूर्व आपको अंतिम प्रशिक्षण प्राप्त कर मतदान टोली के साथ मतदान हेतु सभी आवश्यक सामग्री निर्धारित स्थान से प्राप्त कर मतदान केंद्र पर पहुंचना होगा
- मतदान केंद्र पर पहुंच कर वहाँ की सभी व्यवस्थाएँ देख कर मतदान की तैयारी करनी होगी आवश्यक सूचनाओं को मतदान केंद्र के बाहर चस्पा करना होगा
- मतदान दिवस पर मतदान समय से 1 घंटा 15 मिनट पूर्व पहुंच कर मौक पोल की कार्यवाही शुरू करनी होगी

पीठासीन अधिकारियों हेतु आवश्यक

- मतदान प्रक्रिया एवं संचालन की जानकारी–निर्देश पुस्तिका से
- EVM तथा VVPAT द्वारा मतदान संचालन की जानकारी
- पीठासीन अधिकारियों को रिर्टनिंग अधिकारी द्वारा जारी पत्र के अनुदेशों की **पालना**

www.rajteachers.com

मतदान केन्द्र की स्थापना

www.rajteachers.com

पीठासीन अधिकारी मतदान केन्द्र पर पहुंच कर मतदान हेतु प्रस्तावित भवन का निरीक्षण करेंगे, तथा मॉडल मतदान केन्द्र के ले–आउट के अनुसार मतदान केन्द्र की स्थापना करेंगे।

www.rajteachers.com

आदर्श मतदान कक्ष का ले-आउट

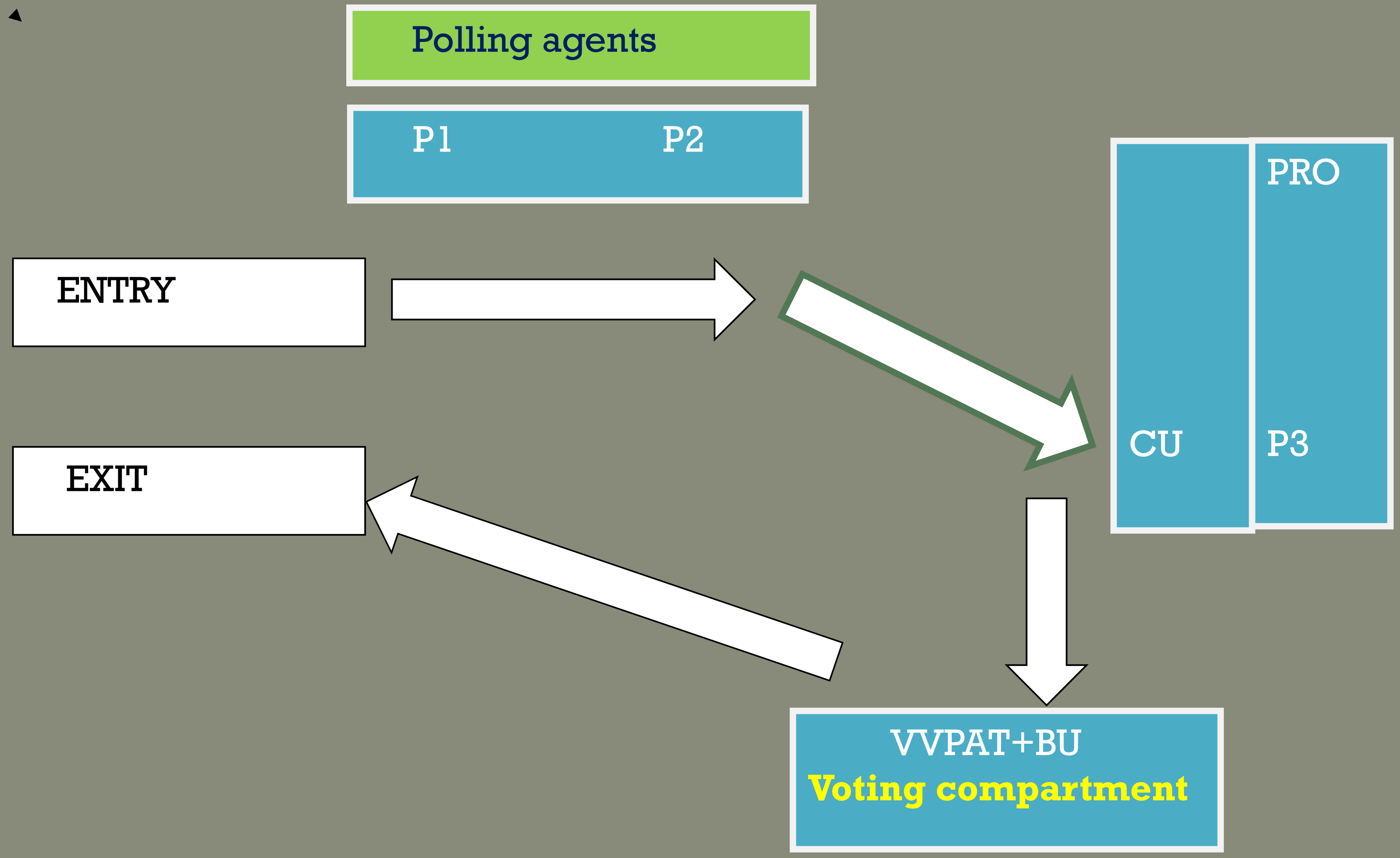

मतदान केन्द्र की स्थापना में ध्यान रखने योग्य मुख्य बिन्दु

- BU &VVPAT एक साथ मेज पर वोटिंग कम्पार्टमेंट में रखी जावें
- **वोटिंग कम्पार्टमेंट** व कंट्रोल यूनिट में पर्याप्त दूरी हो।
- VVPAT **से** CU को जोड़ने वाली केबल मतदाता के चलने में बाधा न डाले व उसे केबल के ऊपर से न जाना पड़े।
- केबल **को वोटिंग कम्पार्टमेंट के** नीचे की ओर कटे हुए छिद्र से बाहर निकाला जावे।

- छिद्र इतना चौड़ा हो कि VVPAT से केबल निकासी का भाग वोटिंग कम्पार्टमेंट के बाहर से दिखाई दे, किन्तु मत की गोपनीयता भंग न हो।

- यह सुनिश्चित किया जावे कि कोई मतदाता मतदान कक्ष में केबल के साथ छेड़छाड़ करने का प्रयत्न न करें।

- वोटिंग मशीन मतदान केन्द्र की खिड़की या दरवाजे के समीप न हो।

- मतदाताओं के लिए मतदान कक्ष में प्रवेश व निकास की पृथक व्यवस्था हो (मतदान कक्ष में एक ही दरवाजा होने पर दरवाजे के बीच में बांसों/रस्सियों की सहायता से ऐसी व्यवस्था की जावे)

- मतदान अधिकारियों और पोलिंग एजेंटों के बैठने की व्यवस्था ऐसी हो कि वे मतदाता द्वारा अपना मत रिकार्ड करते हुए नहीं देख सकें।

- मतदान कक्ष में रोशनी की पर्याप्त व्यवस्था हो।

www.rajteachers.com

मतदान केन्द्र पर राजनैतिक दलों के नेताओं के फोटो या नारे प्रदर्शित नहीं हों। उन्हें मतदान समाप्त होने तक हटाए रखने की व्यवस्था की जावे।

मतदान केन्द्र के बाहर प्रमुख रूप से प्रदर्शित हो :–

- मतदान क्षेत्र के निर्वाचकों के विवरण सम्बन्धी नोटिस
- प्रारूप 7 क में निर्वाचन के अभ्यर्थियों की सूची

www.rajteachers.com

मतदान अभिकर्ताओं के बैठने की प्राथमिकता

आयोग के नवीनतम अनुदेशों के अनुसार मतदान अभिकर्ताओं की मतदान केन्द्र पर बैठने की व्यवस्था निम्नांकित प्राथमिकताओं के प्रवर्गों के अनुसार रखी जायेगी :—

- मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय दलों के अभ्यर्थी
- मान्यता प्राप्त राज्य स्तरीय दलों के अभ्यर्थी
- अन्य राज्यों के मान्यता प्राप्त राज्य स्तरीय दलो के वह अभ्यर्थी जिन्हें अपने आरक्षित प्रतीको को इस निर्वाचन में प्रयुक्त करने की अनुमति दी गई है।
- रजिस्ट्रीकृत गैर मान्यता प्राप्त दलो के अभ्यर्थियों के मतदान अभिकर्ता
- निर्दलीय अभ्यर्थियों के मतदान अभिकर्ता

www.rajteachers.com

मतदाता सूचियाँ

- एक मतदान केन्द्र के लिये पीठासीन अधिकारी को निर्वाचक नामावली की कार्यकारी प्रतियॉ (**working copies of electoral roll**) कुल तीन प्राप्त होंगी।
- **प्रथम** प्रति प्रथम मतदान अधिकारी के पास,
- **दूसरी** प्रति द्वितीय मतदान अधिकारी के पास,
- **तीसरी प्रति** पीठासीन अधिकारी के पास रहेगी।

www.rajteachers.com

- कार्यकारी निर्वाचक नामावली के प्रत्येक सेट में निम्नांकित संलग्न होंगेः–

1. एकीकृत मूल मतदाता सूची (**integrated mother roll**)

2. पूरक सूची–1 (**supplement-1**)

3. पूरक सूची–2 (**supplement-2**)

4 . वर्गीकृत सेवानियोजित मतदाताओं के प्रोक्सी मतदाताओं की सूची।

5.परिवार सहित अनुपस्थित मतदाताओं की सूची (क्रिटिकल मतदान केन्द्रों के लिए)

www.rajteachers.com

- पूरक सूची–1 में जिन मतदाताओं के नाम हटाये गये हैं, उन्हें मूल मतदाता सूची में विलोपित करने के संकेत स्वरूप D E L E T E D मुद्रित है तथा पूरक सूची–1 में मतदाता की सम्बन्धित प्रविष्टि में क्रम संख्या के साथ उनके विलोपन का कारण यथा 'E' 'S' 'Q' 'R' तथा 'M' भी मुद्रित है।

E = Expired, S = Shifted, Q = Disqualified,
R = Repeat, M = Missing

www.rajteachers.com

पूरक सूची 2

.

- किसी प्रविष्टि की शुद्धि की गई है तो मूल मतदाता सूची में मतदाता के क्रमांक के पहले # निशान मुद्रित किया हुआ है ताकि यह ज्ञात हो सके कि मूल मतदाता सूची में जो अंकन है उसे पूरक सूची–2 से शुद्ध किया गया है।

- मूल मतदाता सूची में जहाँ **Photo as in correction list** मुद्रित है, वहाँ पूरक–1 सूची देखी जाएगी और पूरक–1 सूची की फोटो मान्य होगी।

www.rajteachers.com

पूरक सूची 2

मतदाता सूचि प्रकाशन के पश्चात जोड़े गए नये नए मतदाताओं के नाम इस पूरक सूची 2 में होते हैं

निर्वाचक फोटो रोल में डिलीटेड या # के चिन्ह के नमूने

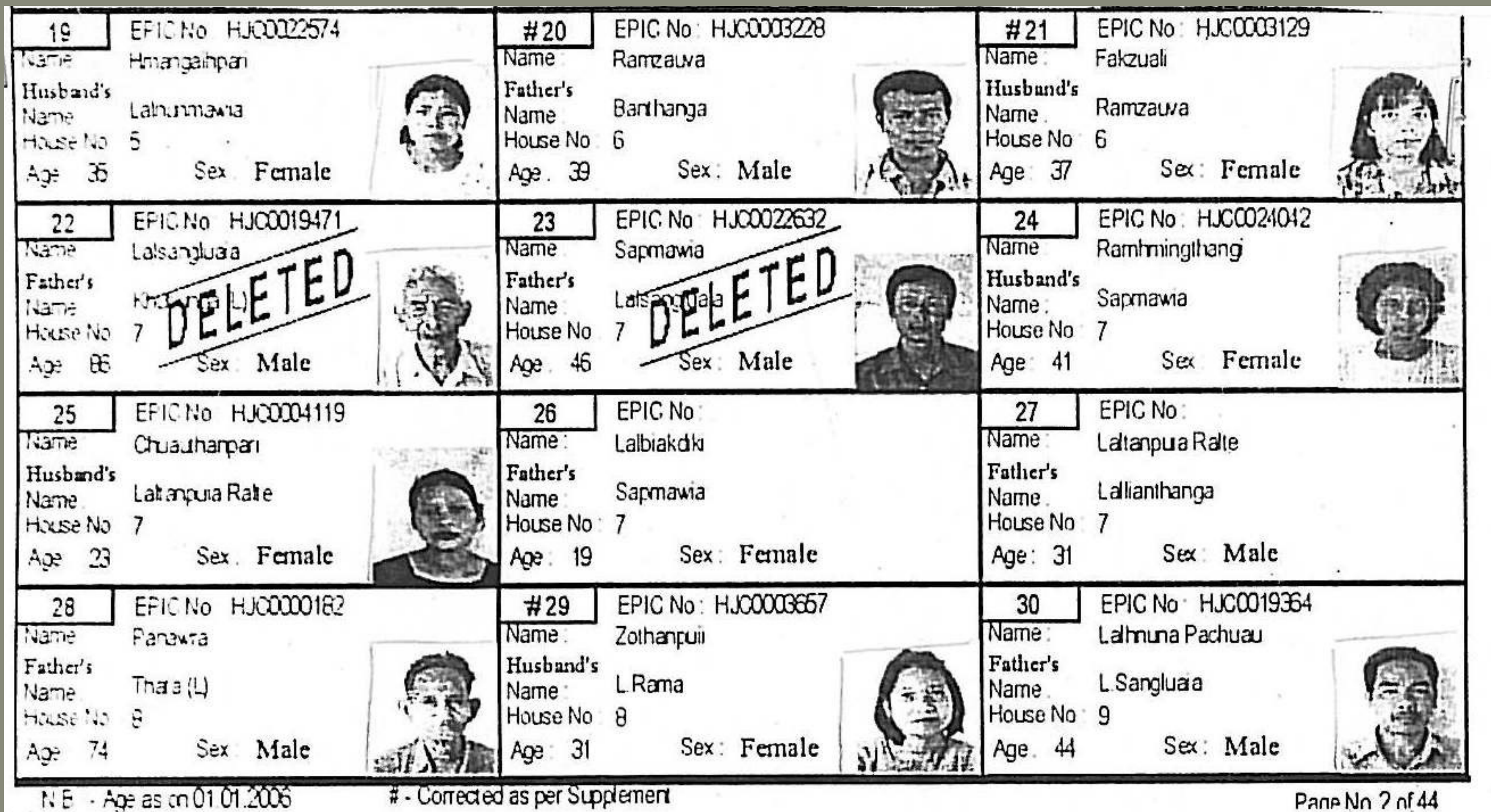

Serial	EPIC No	Name	Relation	Relative's Name	House No	Age	Sex	Stamp
19	HJC0022574	Hmangaihpari	Husband's Name	Lalhunmawia	5	35	Female	
#20	HJC0003228	Ramzauva	Father's Name	Banthanga	6	39	Male	
#21	HJC0003129	Fakzuali	Husband's Name	Ramzauva	6	37	Female	
22	HJC0019471	Lalsangluaia	Father's Name	Kh[illegible] (L)	7	86	Male	DELETED
23	HJC0022632	Sapmawia	Father's Name	Lalsangzuala	7	46	Male	DELETED
24	HJC0024042	Ramhmingthangi	Husband's Name	Sapmawia	7	41	Female	
25	HJC0004119	Chuauthanpari	Husband's Name	Laltanpuia Ralte	7	23	Female	
26		Lalbiakdiki	Father's Name	Sapmawia	7	19	Female	
27		Laltanpuia Ralte	Father's Name	Lallianthanga	7	31	Male	
28	HJC0000182	Panawra	Father's Name	Thara (L)	8	74	Male	
#29	HJC0003657	Zothanpuii	Husband's Name	L.Rama	8	31	Female	
30	HJC0019364	Lalhnuna Pachuau	Father's Name	L.Sangluaia	9	44	Male	

N.B. - Age as on 01.01.2006 # - Corrected as per Supplement

Page No 2 of 44

www.rajteachers.com

- मूल मतदाता सूची में D E L E T E D अथवा # चिन्ह अथवा Photo as in correction list शब्द/वाक्यांश, जो मुद्रित है, वे पूरक सूची–1 के आधार पर हैं।
- मूल मतदाता सूची में लाल स्याही से किये गये अंकन या # चिन्ह् और रबड़ मोहर से लगायी गयी मोहर पूरक सूची–2 के आधार पर है।

www.rajteachers.com

मतदाता सूचियों में लिपिकीय/टंकण त्रुटियाँ –

- यदि मतदाता की पहचान के बारे में आपत्ति नहीं है, लेकिन टंकण/लिपिकीय अशुद्धि मतदाता सूची में है, तो उसे दरकिनार (Ignore) किया जायेगा।
- किसी मतदाता की पात्रता को प्रश्नगत नहीं किया जा सकता |

- निर्वाचक नामावली के उपरोक्त सेट में जिन मतदाताओं के आगे शब्द PB या EDC मार्क है उन्हें मतदान केन्द्र में मतदान के लिए अनुमति नहीं होगी।
- वर्गीकृत सेवानियोजित मतदाताओं के प्रोक्सी द्वारा मतदान केन्द्र में वोट डाला जायेगा और उसकी बांयी मध्यमा (Left middle finger) पर अमिट स्याही लगायी जायेगी, ताकि वह व्यक्ति यदि मतदाता है तो अपना वोट भी डाल सके।

www.rajteachers.com

मतदान अभिकर्ताओं के संबंध में

- मतदान अभिकर्ता उसी मतदान बूथ/अथवा **निकटवर्ती मतदान केंद्र** का मतदाता होना चाहिए **उसके नियुक्ति पत्र पर उम्मीदवार अथवा उसके इलेक्शन एजेंट के हस्ताक्षर होने चाहिए**
- उसके पास उसका फोटोयुक्त मतदाता पहचान पत्र **[EPIC] अथवा सरकार द्वारा जारी अन्य कोई फोटो युक्त वैध दस्तावेज** होना चाहिए
- मतदान अभिकर्ता को उसकी मतदाता सूची मतदान बूथ से बाहर ले जाने की अनुमति नहीं होगी
- अपरांह 3.00 बजे बाद मतदान अभिकर्ता, रिलीवर अभिकर्ता को मतदान केन्द्र में नहीं बैठा पायेगा अर्थात स्वयं भी 3.00 बजे बाद मतदान केन्द्र से बाहर नहीं जायेगा
- मतदान अभिकर्ता ऐसे स्थान पर बैठाये जायेंगे जहां से वे मतदाता की पहचान करने के साथ–साथ पूरे मतदान केन्द्र की गतिविधियों को देख सकें **किन्तु मतदान की गोपनीयता भंग न हो**
- किसी बूथ पर ज्यादा मतदान अभिकर्ता होने पर मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के उम्मीदवारों के अभिकर्ताओं को प्राथमिकता दी जायेगी

www.rajteachers.com

प्रथम मतदान अधिकारी के कर्त्तव्य

1. प्रथम मतदान अधिकारी निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति का भारसाधक होगा।
2. निर्वाचक की पहचान के लिए प्रथम मतदान अधिकारी उत्तरदायी है।
3. निर्वाचक की पहचान का सत्यापन समुचित रूप से निर्वाचक नामावली में की गई प्रविष्टि के संदर्भ में करना चाहिए।
4. प्रशासन द्वारा शासकीय पहचान पर्ची (Voter Slip) वितरित की **जाती है** जिससे **मतदाता की पहचान** की जा सकती है। **यह पर्ची प्रशासन दवारा BLO की सहायता से बांटी जाती है अत: इसके धारक को किसी अन्य दस्तावेज लाने की आवश्यकता नहीं है किन्तु** पहचान के लियें केवल वोटर स्लिप लाना ही पर्याप्त नहीं है, मतदाता सूची में उपलब्ध फोटो से मतदाता की पहचान करना अनिवार्य है।
5. मतदाता अपने साथ अशासकीय **पर्ची भी ला सकता है** जिस पर निर्वाचक का नाम, निर्वाचक नामावली में उसकी क्रम संख्या, निर्वाचक नामावली की भाग संख्या तथा मतदान केन्द्र की संख्या और नाम हो सकता है जहां उसे मत देना **है इस पर्ची के साथ मतदाता को पहचान के लिए आवश्यक दस्तावेज लाने होंगे**
6. **पीठासीन अधिकारी को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि** अशासकीय पर्ची में किसी अभ्यर्थी या उसके दल या उसको आवंटित प्रतीक चिन्ह नहीं छपा हो।
7. अशासकीय पहचान पर्ची **भी** निर्वाचक नामावली में किसी निर्वाचक से संबंधित प्रविष्टियों का पता लगाने में सहायता करेगी।

www.rajteachers.com

प्रथम मतदान अधिकारी के कर्त्तव्य

8 प्रथम मतदान अधिकारी पहचान पर्ची लेकर निर्वाचक नामावली में प्रविष्टी की क्रम संख्या को पढ़ेगा।

9. उस व्यक्ति को अपना नाम जोर से बोलने को कहेगा यदि आवश्यक हो तो प्रविष्टी से सम्बन्धित अन्य विशिष्टियों के लिए भी कहेगा ताकि यह सुनिश्चित हो सके की पहचान पर्ची प्रस्तुत करने वाला व्यक्ति ही वास्तविक मतदाता हैं।

10. प्रथम मतदान अधिकारी द्वारा पहचान सुस्थापित हो जाने के बाद मतदाता की पहचान को चुनौती नहीं दी जा सकती।

11. प्रथम मतदान अधिकारी आने वाले मतदाता की पहचान सुनिश्चित करने के पश्चात् उसका नाम अंडर लाइन नहीं करेगा अपितु फोटो युक्त मतदाता सूची में उस मतदाता से संबंधित प्रविष्टि के बॉक्स में फोटो को छोड़ते हुए लाल स्याही से तिरछी लाइन अंकित कर देगा।

12. महिला मतदाता के नाम के आगे टिक मार्क [✓] नहीं करना है अपितु उसके मतदाता सूची क्रमांक पर गोला [round] बना देना है।

प्रथम मतदान अधिकारी के कर्त्तव्य

13. जिन मतदाताओं की पहचान फोटो पहचान पत्रा के आधार पर की जावेगी उनके नाम के बांयी और **E** अंकित किया जायेगा।
14. यदि प्रथम मतदान अधिकारी मतदाता की पहचान का पूरा समाधान नहीं कर पाता है तो उस मतदाता को पीठासीन अधिकारी के पास भेजेगें।
15. पीठासीन अधिकारी ऐसे मतदाताओं की संक्षिप्त जांच करेंगें।
16. अल्प आयु के मामले पीठासीन अधिकारी के द्वारा तय किये जायेगें।
17. यदि मतदाता की पहचान को चुनौती देनी है तो इसी स्तर पर दी जानी चाहिये।
18. मतदाता **सूचियाँ फोटो युक्त हैं ,यदि इनके** मुद्रण में त्रुटिवश किसी मतदाता का फोटो**,**आयु, लिंग या नाम गलत मुद्रित हो गया है परन्तु एसे मतदाता की पहचान अन्यथा सुनिश्चित हो जाती है तो उसे मत देने के लिए अनुज्ञात किया जावेगा।

द्वितीय मतदान अधिकारी के कर्त्तव्य

1. द्वितीय मतदान अधिकारी अमिट स्याही का भारसाधक होगा। **यह प्रथम मतदान अधिकारी के पास मतदाता सूची की दूसरी प्रति के साथ बैठा होगा**

2. इसके पास मतदाता रजिस्टर एवं मतदाता पर्ची होगी।

3. जैसे ही मतदाता मतदान अधिकारी के पास आएगा वह मतदाता के बायें हाथ की तर्जनी का निरीक्षण करेगा कि इस पर कोई अमिट स्याही का चिन्ह तो नहीं है ।

4. मतदाता की बायीं तर्जनी के नाखून एवं चमड़ी के (रिज़) युग्म पर अमिट स्याही का निशान लगाएगा।

5 मतदाताओं के रजिस्टर 17 क में मतदाता की निर्वाचक नामावली का क्रमांक लिखेगा एवं मतदाता के हस्ताक्षर अथवा अंगूठा निशानी लेगा।

6 मतदान रजिस्टर **17 क** में **EPIC** के आधार पर मतदान किए जाने वाले मतदाता के रिमार्क कॉलम में **EP तथा वोटर स्लिप** के आधार पर मतदान किये जाने पर रिमार्क कॉलम में **VS** अंकित किये जायेंगे। **यदि** मतदाता **कोई** अन्य पहचान–दस्तावेज लाता है उसे दर्शाते हुए दस्तावेज के क्रमांक के अन्तिम चार **अंक** रजिस्टर 17–क के रिमार्क कॉलम में अंकित किये जायेंगे।

www.rajteachers.com

द्वितीय मतदान अधिकारी के कर्त्तव्य

7. मतदाता के हस्ताक्षर का आशय मतदाता का नाम व उपनाम है केवल निशान नहीं।(**अर्थात हस्ताक्षर स्पष्ट हों**)

8. यदि मतदाता अपना अंगूठा लगाता है तो मतदाता के बांयें हाथ का अंगूठा लगवायें। यदि बांये हाथ का अंगूठा नहीं है तो दायें हाथ का अंगूठा लगवायें। यदि दोनों अंगूठे नहीं है तो बांये हाथ की अंगुलियों की छाप लें यदि बांयें हाथ की अंगुलियां नहीं हो तो दायें हाथ की अंगुली की छाप लें यदि दोनों हाथ की अंगुलियां नहीं है तो मतदाता के साथी के हस्ताक्षर अथवा अंगूठा निशानी लेनी चाहिये। (**यह मतदाता किसी साथी की सहायता से मतदान कर रहा है**)

9. **उपरोक्त कार्य करना के बाद** द्वितीय मतदान अधिकारी द्वारा मतदाता को **एक** मतदान पर्ची जारी **करेगा, इसमें** वह 17 क रजिस्टर की क्रम संख्या तथा मतदाता की निर्वाचक नामावली की क्रम संख्या अपने लघु हस्ताक्षर के साथ अंकित करेगा।

10. **द्वितीय मतदान अधिकारी द्वारा जारी यह मतदान पर्ची , शासन द्वारा जारी शासकीय वोटर स्लिप का प्रतिस्थापन (Substitute)नहीं है |**

www.rajteachers.com

मतदाता रजिस्टर

प्रारूप 17क

(नियम 49 B देखिये)

मतदाता रजिस्टर

.... निर्वाचन क्षेत्र से..........................लोक सभा /राज्य की विधान सभा...................................के लिए निर्वाचन मतदान केन्द का संख्यांक और नाम ....निर्वाचक नामावली के भाग संख्यांक ....

www.rajteachers.com

मतदाता रजिस्टर (अन्दर का पेज)

पेज संख्या ....

क्रम सं0	निर्वाचक नामावली में निर्वाचक का क्रं. संख्यांक	निर्वाचक का हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान	टिप्पणी
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
दिनांक	पीठासीन अधिकारी के हस्तााक्षर		

www.rajteachers.com

मतदाता पर्ची

मतदाताओं के रजिस्टर के स्तम्भ (1) के अनुसार निर्वाचक की क्रम संख्या............................

निर्वाचक नामावली में यथा प्रविष्ट निर्वाचक की क्रम संख्या ....

मतदान अधिकारी के लघु हस्ताक्षर ....

अमिट स्याही लगाने के संबंध में

- अमिट स्याही मतदाता के बायें हाथ की तर्जनी अंगुली **[Index Finger]** पर ही लगायी जायेगी परन्तु केवल एक बिंदू मात्र लगाने के स्थान पर अंगुली के नाखून के ऊपरी सिरे से प्रारम्भ कर पूरे नाखून से होते हुए चमड़ी के जोड़ तक लंबे रूप में लगायी जायेगी
- इस कारण पहले से अधिक मात्रा में अमिट स्याही मतदान दलों को उपलब्ध करायी जायेगी

तृतीय मतदान अधिकारी के कर्त्तव्य

1. नियंत्रण यूनिट का भारसाधक होगा।
2. तृतीय मतदान अधिकारी पीठासीन अधिकारी के पास उसी की मेज पर बैठेगा।
3. मतदान अधिकारी द्वारा जारी मतदान पर्ची मतदाता से प्राप्त कर अपने पास क्रमबद्ध सुरक्षित रखेगा |
4. नियंत्रण यूनिट के बैलट बटन को दबाकर वोटिंग कम्पार्टमेंट में रखी बैलेट यूनिट को चालू करेगा
5. मतदाता को उसका मत रिकॉर्ड करने के लिए वोटिंग कम्पार्टमेंट में भेजेगा। मतदाता द्वारा मतदान कर कंट्रोल यूनिट से बीप की आवाज आने तक मतदाता को वोटिंग कम्पार्टमेंट में रोकेगा |
6. निर्वाचक के वोटिंग कम्पार्टमेंट से वापिस आने पर निर्वाचक की बायीं तर्जनी पर अमिट स्याही के चिन्ह की जांच करेगा।

पीठासीन अधिकारी के कर्त्तव्य

1. पीठासीन अधिकारी मतदान केन्द्र का पर्यवेक्षक है।
2. मतदान केन्द्र के आस पास 100 मीटर की परिधि में सम्पूर्ण व्यवस्था का दायित्व पीठासीन अधिकारी का हैं।
3. मतदान केन्द्र की स्थापना, मतदाता पंक्तियों को विनियमित करना, चुनौती, निविदत्त मत, **नेत्रहीन**,शिथिलांग**,**अल्प आयु मतदाताओं द्वारा मतदान के मामले निपटाना।
4. नियंत्रण यूनिट में ग्रीन पेपर सील, स्पेशल टैग एवं स्ट्रिप सील लगाकर मतदान के पूर्व मशीन तैयार करना।
5. **सेक्टर अधिकारी** द्वारा **पर** मांगे जाने पर डाले गये मतों की संख्या बताना।

पीठासीन अधिकारी के कर्त्तव्य

6. मतदान समाप्ति पर **CU का** क्लोज बटन दबाकर मतदान समाप्त करना।

7. मतदान समाप्ति के बाद **CU** ,**VVPAT,** तथा **BU** को कैरिंग बॉक्स में सील करना।

8. सांविधिक एवं असांविधिक लिफाफे तैयार करना एवं जहां आवश्यक हो वहां सील करना।

9. समस्त **मतदान सामग्री** एवं मतदान सदस्यों के साथ वापस **संग्रहण केंद्र पर निर्धारित रूट से** लौट कर प्रथम, द्वितीय व तृतीय काउंटर पर **मतदान सामग्री** जमा कराना।

www.rajteachers.com

मतदान के समय पीठासीन अधिकारी के महत्वपूर्ण दायित्व

- प्रत्येक मतदाता के प्रवेश को विनियमित करें। जिस क्रम में मतदाता रजिस्टर 17क में प्रविष्टि है उसी क्रम में मतदान करावें।
- डाले गये मतों की संख्या का समय – समय पर मतदाता रजिस्टर में प्रविष्ट मतदाताओं की संख्या से मिलान करें।
- यह सुनिश्चित करें कि कोई भी मतदाता *'मतदाता रजिस्टर'* में हस्ताक्षर किये बिना मतदान नहीं करें तथा जिन मतदाताओं ने हस्ताक्षर कर दिये है वे मतदान किये बिना बाहर नहीं चले जाए।
- मतदान कक्ष की फोटो खींचने या वीडियो फिल्म बनाने की आज्ञा न दें।

टेस्ट वोट का प्रावधान -नियम 49MA(1)

- मतदान के समय यदि कोई मतदाता यह शिकायत करे कि उसने जिस उम्मीदवार को मत दिया है VVPAT में आया प्रिंट उस उम्मीदवार को प्रदर्शित नहीं हुआ है तो पीठासीन अधिकारी उस मतदाता से निर्धारित प्रपत्र में घोषणा लेंगे और मिथ्या पाए जाने पर उसके विरुद्ध अधिनियमों के अंतर्गत कार्यवाही किये जाने की चेतावनी देंगे|
- अब 17 क रजिस्टर उस मतदाता की प्रविष्टि पुनः की जाकर उसे पीठासीन अधिकारी ,उम्मीदवार अथवा पोलिंग एजेंटों की उपस्थिति में टेस्ट वोट दिलवाया जायेगा |
- यदि शिकायत सही पाई जाती है तो पीठासीन अधिकारी रिटर्निंग अधिकारी को तुरंत सूचित करेंगे और उसके बाद उनके निर्देशों के अनुसार कार्यवाही करेंगे|
- यदि शिकायत गलत पाई जाती है तो 17क रजिस्टर में मतदाता की दूसरी एंट्री के सामने रिमार्क कॉलम में इस बाबत सूचना अंकित की जायेगी कि मतदाता ने नियम 49 M A (1) के तहत टेस्ट वोट अमुक क्रम संख्या के अमुक अभ्यार्थी के पक्ष में दिया है सम्बन्धित मतदाता के हस्ताक्षर /अंगूठा निशानी भी लिए जायेंगे |
- प्रपत्र 17 ग में भी इसकी प्रविष्टि की जाएगी |

www.rajteachers.com

नियम 49MA(1) के अंतर्गत मतदाता द्वारा भरा जाने वाला घोषणा पत्र

Annexure-26

General/Bye-Election to...

Sl. No. and Name of Parliamentary/Assembly Constituency........................

No. and Name of Polling Station...

FORM OF DECLARATION BY ELECTOR UNDER RULE 49MA OF CONDUCT OF ELECTIONS RULES, 1961

1. I hereby solemnly declare and affirm under sub-rule (1) of Rule 49 MA of the Conduct of Elections Rules 1961 that the paper slip generated by the printer attached to the Balloting Unit has shown the name and/or symbol of a candidate other than the candidate for whom I voted by pressing the concerned blue button against the name and symbol of the candidate of my choice on the Balloting Unit. I am ready to cast a test vote again to show that the allegation made by me is true and bonafide.

(2). I am aware of the penal provisions of Section 177 of the IPC that I shall be liable to be punished with imprisonment for a term which may extend to six months, or with fine which may extend to one thousand rupees, or with both, if the declaration given by me in para 1 above to the Presiding Officer appointed under Section 26 of the RP Act, 1951 is found to be incorrect.

Signature/Thumb impression of the Elector
Name of the Elector......................................
Father/Mother/Husband's Name...................
Part No. of elector roll.................................
Sl. No. of elector in that Part.........................
Sl. No. in Register of Voters (Form 17A)..........

Dated.....................

Certified that the above declaration was made and subscribed by the elector above named before me.

Signature of the Presiding Officer
....
Dated............

www.rajteachers.com

आक्षेपित मत/चैलेन्ज वोट

1. जब मतदाता प्रथम मतदान अधिकारी के पास जाता है तो वह उसकी पहचान **सुनिश्चित** करता है तथा उसकी प्रविष्टियों को जोर से बोलता है।
2. उसी समय कोई भी मतदान अभिकर्ता मतदाता की पहचान को चुनौती दे सकता है।
3. मतदान अधिकारी ऐसे मतदाता को पीठासीन अधिकारी के पास भेजेगा।
4. पीठासीन अधिकारी मतदान अभिकर्ता द्वारा किसी मतदाता की पहचान के बारे में दी गई चुनौती को तब तक स्वीकार नहीं करेगा जब तक चुनौतीकर्ता चुनौती राशि नकद 2/- रूपये जमा न कर दें।
5. चुनौती राशि नकद प्राप्त कर पीठासीन अधिकारी उपाबंध 8 में विहित प्रारूप में चुनौतीकर्ता को एक रसीद देगें।

www.rajteachers.com

आक्षेपित मत/चैलेन्ज वोट

6. उस व्यक्ति, जिसकी पहचान को चुनौती दी गई है, को प्रतिरूपण के लिए दी जाने वाली शास्ति के बारे में समझाये।

7. निर्वाचक नामावली की प्रविष्टि को पूरा पढ़े व उससे पूछे कि **क्या** वह वही मतदाता है।

8. चुनौती मतों की सूची प्रारूप 14 में उस मतदाता का नाम व पता लिखेगें तथा उसके हस्ताक्षर/अंगूठा निशानी लिये जायेगें। यदि वह ऐसा नहीं करता है तो उसे मत देने को अनुज्ञात नहीं करेगें।

9. पीठासीन अधिकारी चुनौती की संक्षिप्त जांच करेगा।

10. यदि चुनौतीकर्ता प्रथम दृष्टया साक्ष्य अपनी चुनौती के समाधान में प्रस्तुत करने में असमर्थ रहता है तो उस चुनौती को नहीं मानेगें व ऐसे व्यक्ति को मत देने देंगे।

आक्षेपित मत/चैलेन्ज वोट

11. यदि चुनौतीकर्ता प्रथम दृष्टया यह साबित करने में सिद्व हो जाता है कि वह व्यक्ति प्रश्नांकित **उक्त** मतदाता नहीं है तो मतदाता को चुनौती के खण्डन के लिए साक्ष्य प्रस्तुत करने को कहें।

12. यदि मतदाता साक्ष्य प्रस्तुत कर यह सिद्ध करता है कि उसका दावा सही है तो उसे मत देने की अनुमति दे। यदि चुनौती तुच्छ है या सद्भाव पूर्वक नहीं की गई है, तो चेलेन्ज फीस जब्त कर ले और सुसंगत रसीद के प्रतिपर्ण पर जब्त लिख दें अन्यथा फीस लौटा दें।

13. यदि **सम्बन्धित मतदाता** दावा सिद्व नहीं कर सका तो यह माना जावेगा कि चुनौती सिद्व हो गई है ऐसे मामले में चुनौती फीस वापस कर **दी जायेगी** |सम्बन्धित रसीद के प्रतिपर्ण पर प्राप्ति लेने के बाद राशि लौटा दें।

14. ऐसे मतदाता को मत देने से वर्जित करे व ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मी को सौंपकर थानाधिकारी को पत्र लिखें।

निर्वाचक की आयु सम्बन्धी घोषणा

1. प्रत्येक निर्वाचक जिसका नाम मतदाता सूची में दर्ज है, मतदान का अधिकारी है।
2. किन्तु उस निर्वाचक की आयु न्यूनतम मतदान आयु 18 वर्ष से कम मानते है तो आप निर्वाचक से 1 जनवरी 2018 के सन्दर्भ में उसकी आयु के बारे में उपाबन्ध 10 में घोषणा प्राप्त करें। ऐसे निर्वाचक से घोषणा प्राप्त करने के पूर्व उसको मिथ्या घोषणा करने के लिए जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 31 में विहित दण्डनीय प्रावधानों से अवगत करा दें।
3. ऐसे मतदाताओं की सूची उपाबन्ध 11 के भाग 1 में प्राप्त करें जिन्होंने ऐसी घोषणाएँ की है।
4. ऐसे मतदाताओं की सूची उपाबन्ध 11 के भाग 2 में प्राप्त करें जिन्होंने ऐसी घोषणाएँ करने से मना किया है तथा मतदान किये बिना ही चले गये।
5. मतदान समाप्ति के बाद ऐसी घोषणाएँ पृथक लिफाफे में रखी जावेगी ।

www.rajteachers.com

निर्वाचक द्वारा मतदान की गोपनीयता भंग करना

1. **प्रत्येक मतदाता को अपने मत की गोपनीयता बनाये रखनी चाहिए** ,यदि कोई मतदाता पीठासीन अधिकारी की चेतावनी के बाद भी मतदान प्रक्रिया का पालन करने से मना करें तो उसे नियम 49ड के अधीन मत देने के लिए अनुज्ञात नहीं किया जावें।
2. ऐसे मतदाता को यदि मतदाता पर्ची जारी कर दी हो तो उसे वापस ले लें।
3. जहां मतदाता को मत देने के लिए अनुज्ञात नहीं किया जाये तो मतदाता रजिस्टर प्रारूप 17क के अभ्युक्ति के स्तम्भ में टिप्पणी लिखकर पीठासीन अधिकारी हस्ताक्षर करें।
4. ऐसे प्रकरणों में उत्तरवर्ती निर्वाचक की क्रम संख्या में कोई परिवर्तन नहीं करें|
5. **प्रपत्र 17 ग में भी इसकी प्रविष्टि की जाएगी |**

दृष्टिहीन व शिथिलांग मतदाताओं द्वारा मतदान

1. यदि आप सुनिश्चित हो जाये कि दृष्टिहीनता या अन्य शारीरिक शिथिलांगता के कारण कोई निर्वाचक मतदान यूनिट के प्रतीक चिन्हों को पहचानने में असमर्थ है या बिना सहायता के समुचित बटन दबाकर अपना मत रिकॉर्ड करने में असमर्थ है तो ऐसे निर्वाचक को 18 वर्ष से अन्यून साथी को मतदान कक्ष में साथ ले जाने को अनुज्ञात करें।
2. दृष्टिहीन मतदाताओं के लिऐ ब्रेल लिपि में पीठासीन अधिकारी के पास डमी बेलेट शीट रखी जायेगी, ताकि उसे वह मतदाता पढ़ कर अपने पसंद के अभ्यर्थी का क्रमांक ज्ञात कर सके और उसके बाद मतदान कक्ष में जाकर बैलेट यूनिट पर नीले बटन के सामने लगे हुए ब्रेनलिपि के उभरे चिन्हों से अभ्यर्थी का क्रमांक समझ सके ओर मतदान कर सके। ऐसा मतदाता भी चाहे तो मतदान कक्ष में साथी ले जा सकता है।

3. किसी व्यक्ति को एक दिन में किसी भी मतदान केन्द्र पर एक से अधिक निर्वाचक के साथी के रूप में कार्य करने के लिए अनुज्ञात नहीं किया जायेगा।
4. साथी के रूप में अनुज्ञात करने से पूर्व उससे प्रपत्र 12 में घोषणा प्राप्त की जायेगी।
5. ऐसे समस्त मतदाताओं का रिकॉर्ड प्रारूप 14क में रखा जावेगा।

www.rajteachers.com

निर्वाचक द्वारा मत नहीं देने का विनिश्चय

1. यदि कोई निर्वाचक मतदाताओं के रजिस्टर प्रारूप 17क में उसकी निर्वाचक नामावली संख्या की सम्पूर्ण रूप से प्रविष्टि करने और मतदाता रजिस्टर पर हस्ताक्षर/अंगूठा निशानी करने के पश्चात् अपना मत रिकॉर्ड नहीं करने का विनिश्चय करता है तो उसे मत रिकॉर्ड करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता।
2. मतदाताओं के रजिस्टर में उससे सम्बन्धित प्रविष्टी के सामने अभ्युक्ति के स्तम्भ में टिप्पणी की जायेगी, *'मत देने से मना किया'*।
3. निर्वाचक के हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान ऐसी टिप्पणी के सामने अभिप्राप्त किया जावे।
4. मतदाता के रजिस्टर के स्तम्भ (1) में उस निर्वाचक की क्रम संख्या में परिर्वतन नहीं किया जावें।
5. इस बाबत प्रपत्र 17 ग (मतपत्र लेखा) में इन्द्राज किया जाएगा

www.rajteachers.com

निविदत्त मतपत्र

1. यदि कोई निर्वाचक मत देने के लिए मतदान केन्द्र पर उस समय आए जब कोई अन्य व्यक्ति उस निर्वाचक के रूप में पहले ही मत दे चुका हो तो उस निर्वाचक की पहचान के बारे में समाधान होने पर उसे निविदत्त मत देने की अनुमति प्रदान की जायेगी।
2. निविदत्त मतपत्र छपा हुआ मतपत्र होगा जैसा मतदान यूनिट पर प्रदर्शन के लिए उपयोग में लिया जाने वाला मतपत्र हैं।
3. ऐसे मतपत्र के पीछे पीठासीन अधिकारी हाथ से निविदत्त मतपत्र लिखेगा।
4. प्रारूप 17ख निविदत्त मतपत्रों की सूची में निर्वाचक का नाम व क्रम संख्या लिख कर हस्ताक्षर कराएगा।

निविदत्त मतपत्र

5. निर्वाचक को निविदत्त मतपत्र देते समय स्याही लगी हुई ऍरोक्रास मॉर्क सील भी दी जायेगी।
6. निविदत्त मतपत्र प्राप्त कर निर्वाचक मतदान कक्ष में जाकर उस अभ्यर्थी के प्रतीक पर ऍरोक्रास मॉर्कसील से मत अंकित करेगा।
7. निर्वाचक निविदत्त मतपत्र मोड़कर मतदान कक्ष से बाहर आयेगा तथा निविदत्त मतपत्र पीठासीन अधिकारी को सोंपेगा।
8. निविदत्त मतपत्र, निविदत्त मतपत्रों के लिफाफे में रखकर सील किया जायेगा।

प्रॉक्सी द्वारा मतदान

- निर्वाचन कानून में संशोधन कर वर्गीकृत सेवा नियोजित मतदाताओं (सी.एस.वी.) को प्रॉक्सी द्वारा मतदान की सुविधा दी गई है।
- प्रॉक्सी द्वारा मतदान के लिए मतदान केन्द्र पर अधिकृत व्यक्तियों की सूची चिन्हित प्रति के अन्त में लगी होगी।
- प्रॉक्सी को सामान्य मतदाता के लिए विहित प्रक्रिया के अनुसार ही मतदान करावें लेकिन अमिट स्याही बांयी तर्जनी के स्थान पर बांयी मध्यमा पर लगावें।

पुनर्मतदान की स्थिति में

- उसी तरह मतदान होगा जैसे कि सामान्य रूप से मतदान होता हैं समस्त मतदाता मतदान में भाग ले सकेगें।
- जिन्होंने पूर्व में भी मतदान किया हो इस मतदान में उनके बायें हाथ की मध्यमा पर निशान अंकित करना हैं। बायें हाथ की तर्जनी को नहीं देखा जायेगा।

EVM तथा VVPAT से मतदान प्रक्रिया

www.rajteachers.com

इलेक्ट्रोनिक वोटिंग मशीन की यूनिट

कन्ट्रोल यूनिट, **बैलेट** यूनिट तथा **VVPAT** अलग अलग कैरिंग बॉक्स में रहते हैं।

इलेक्ट्रोनिक वोटिंग मशीन के भाग

बक्से खोलने के बाद आपको बैलट यूनिट,कन्ट्रोल यूनिट तथा **VVPAT** इस अवस्था में प्राप्त होगी।

BU (मतदान यूनिट) के भाग

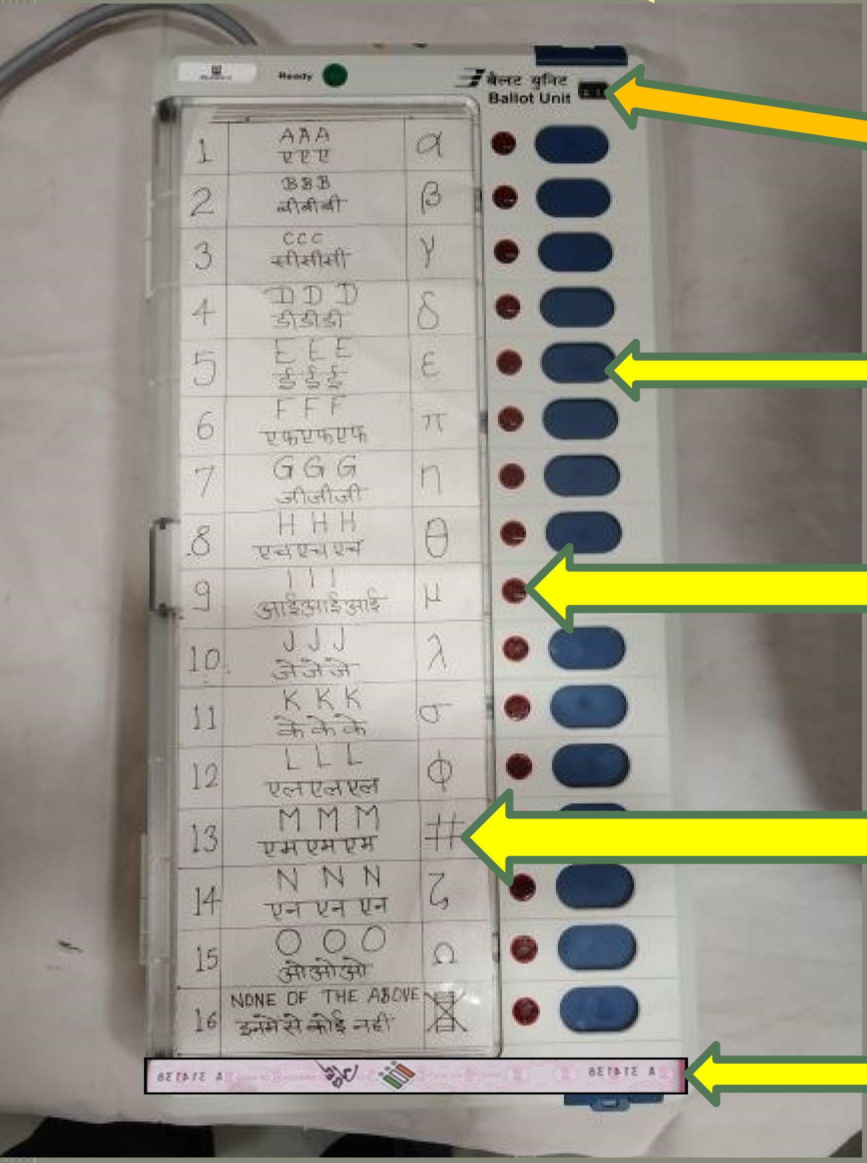

प्रदर्शित अंक यह दर्शाता है कि कितनी मतदान यूनिट काम में आ रही हैं

उम्मीदवार को मत अंकित करने वाले नीले बटन

उम्मीदवार को मत अंकित करने के साथ ही जलने वाली बत्ती

मतपत्र लगाने का स्थान

पिंक पेपर सील

मतदान यूनिट(बैलट युनिट) की जाँच करना

Sl. No.
BBUAD05142

बैलट युनिट के पिछले हिस्से में लिखे हुये बैलट युनिट क्रमांक का मिलान कर लें।

मतदान यूनिट(बैलट यूनिट) की जाँच करना

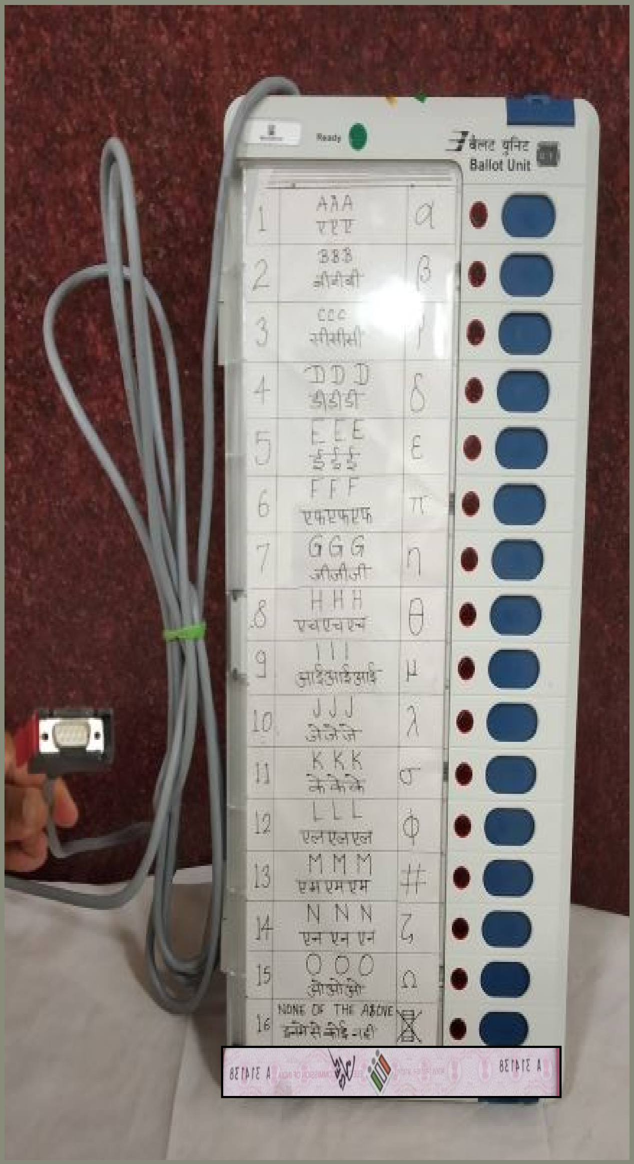

बैलेट यूनिट को रिटर्निंग अधिकारी के द्वारा सील किया जाता है अत: प्राप्ति के समय सभी प्रकार से सुनिश्चित कर लें कि पिंक पेपर सील व एड्रेस टेग आदि उसी मतदान केंद्र के हैं जहां आपको मतदान हेतु जाना है,

मतदान यूनिट(बैलट युनिट) की जाँच करना

- इस मशीन में पहले से ही मतपत्र रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा लगाया हुआ होगा
- मतपत्र सही ढंग से लगा है, इसकी जॉच करें।
- मतपत्र आपके विधान सभा क्षेत्र का ही है, जॉच करें।
- उम्मीदवारों की संख्यानुसार आवश्यक नीले बटन खुले हुए है तथा शेष बटनों पर सफेद कवर लगा है। इस चित्र में दिखाये अनुसार 9 उम्मीदवारों के नाम के सामने 9 नीले बटन हैं तथा शेष काम में न आने वाले बटन सफेद रंग के हैं।
- मतदान यूनिट पर लगी रिटर्निंग अधिकारी की सील मतदान दल द्वारा कभी भी नहीं खोली जाए।

www.rajteachers.com

CU(कंट्रोल यूनिट) के भाग

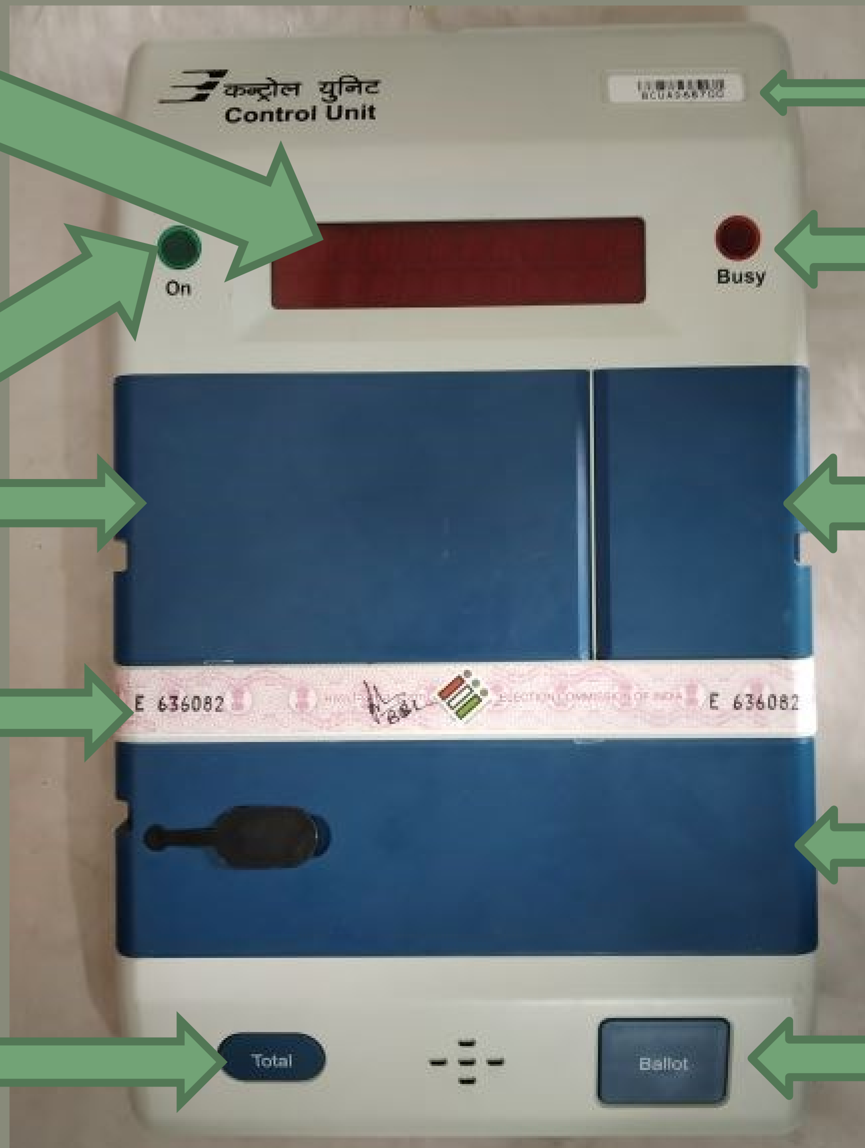

डिस्प्ले

क्रम संख्या

बिजी लैम्प

पावर ऑन बटन

बैटरी सेक्शन

कैंडिडेट सेट सेक्शन

पिंक पेपर सील

रिजल्ट सेक्शन

टोटल बटन

बैलेट बटन

कन्ट्रोल यूनिट के उम्मीदवार सैट और बैटरी खण्ड

(यह खण्ड रिटर्निंग अधिकारी द्वारा सील्ड किया हुआ मिलेगा)

बैटरी

उम्मीदवार सैट बटन

www.rajteachers.com

कंट्रोल यूनिट का परिणाम खंड

कंट्रोल यूनिट का परिणाम खण्ड

www.rajteachers.com

कन्ट्रोल यूनिट का बैलट खण्ड

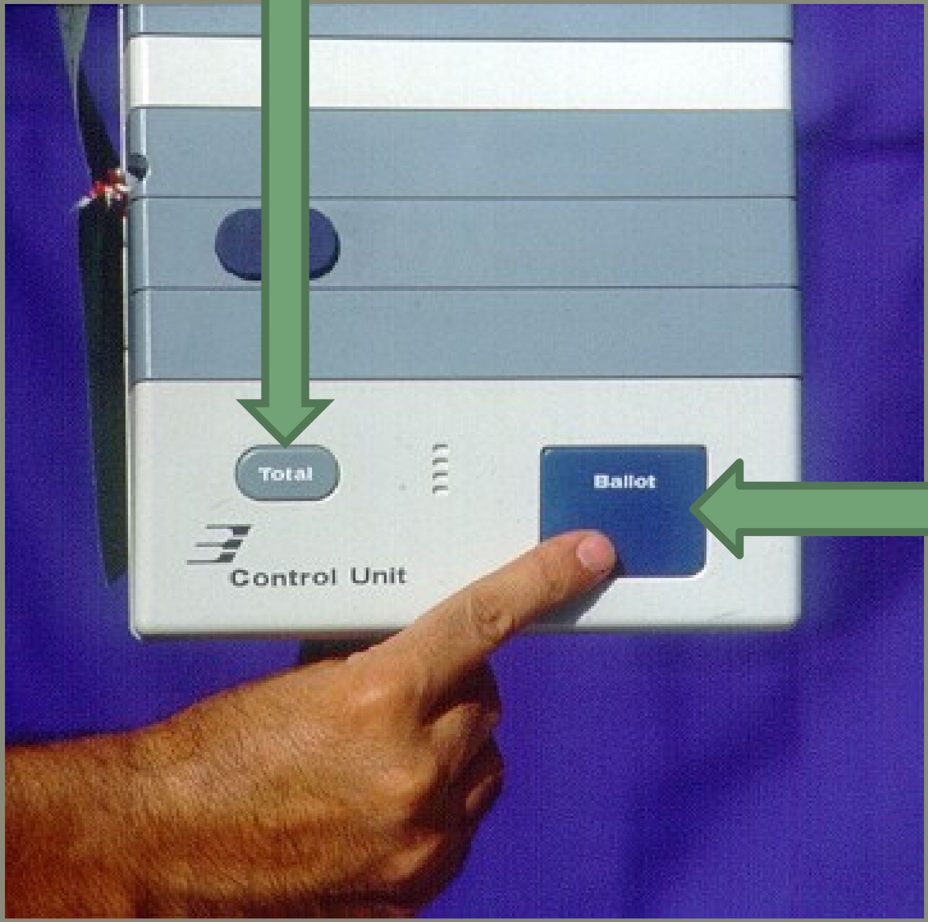

कन्ट्रोल यूनिट का पावर ऑन-ऑफ सेक्शन

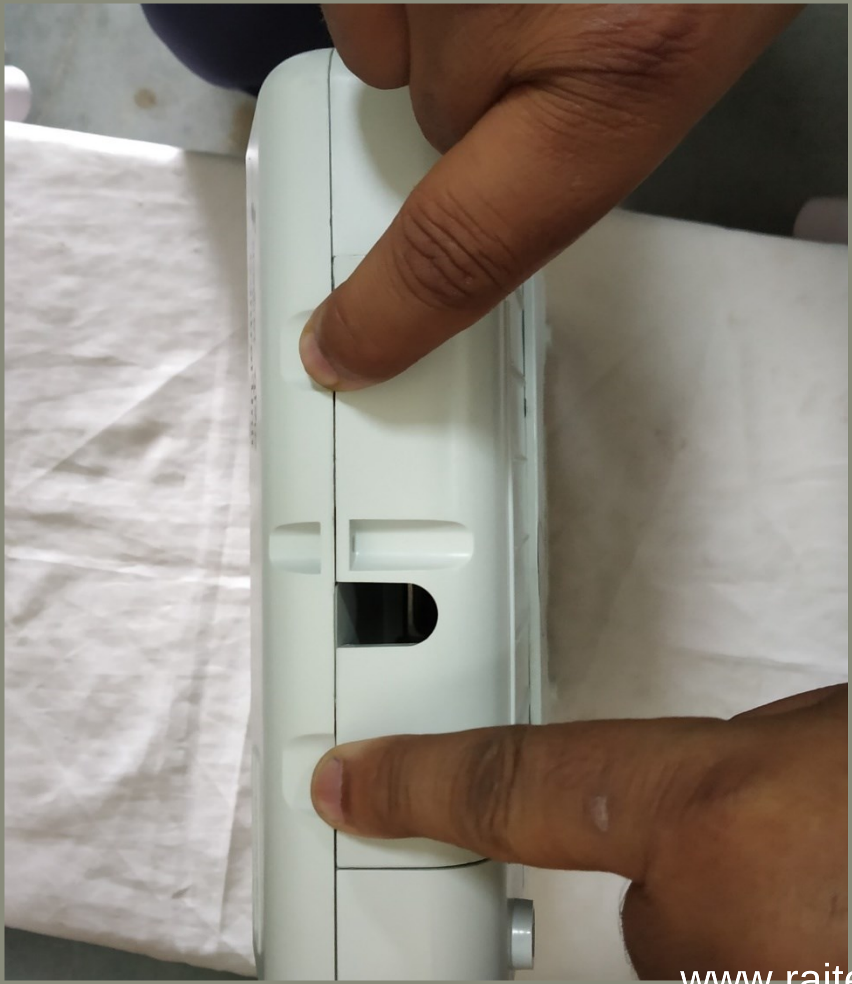

www.rajteachers.com

VVPAT
वोटर वेरीफाएबल पेपर आडिट ट्रेल

PARTS OF VVPAT

FRONT VIEW

BACK VIEW

SIDE VIEW

VVPAT का पिछला भाग खोलना

VVPAT को BU से जोडना

www.rajteachers.com

VVPAT के प्रिन्टर पेपर रोल का लॉक

UNLOCK POSITION

LOCK POSITION

कंट्रोल यूनिट ,**VVPAT** तथा बैलट यूनिट को जोड़ना

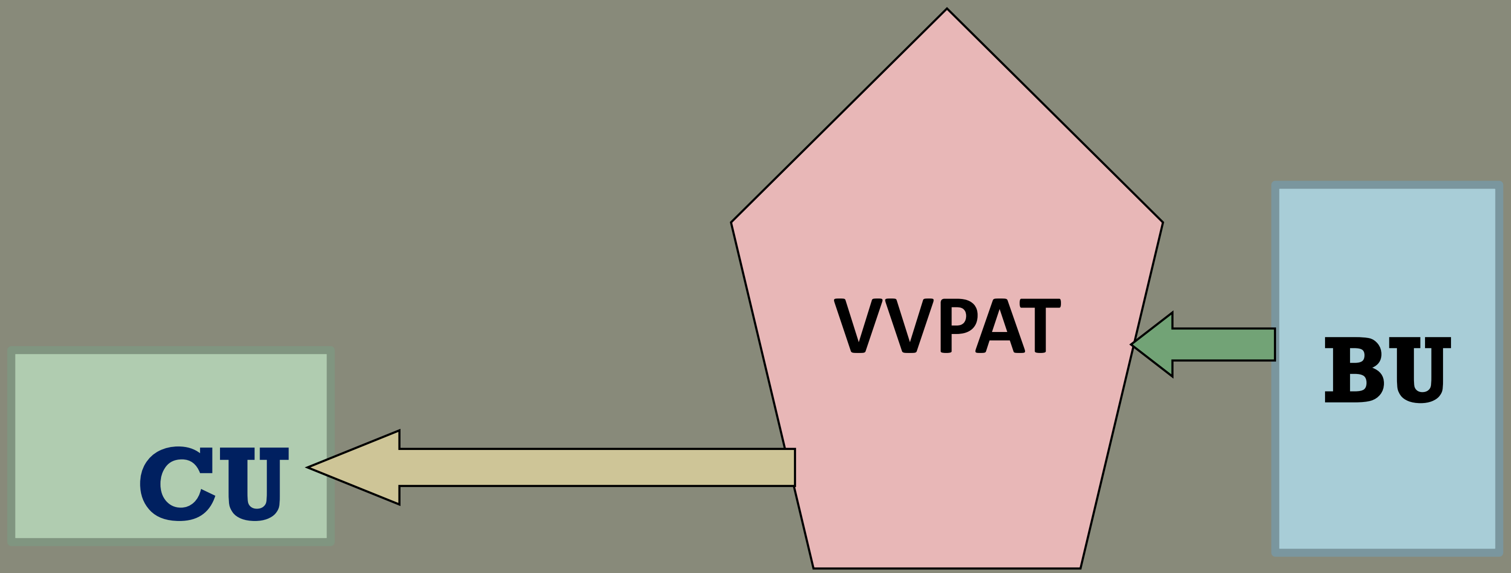

VVPAT से बैलेट युनिट को जोडे।
अब VVPAT युनिट से एक 5 मीटर लम्बी इन्टर कनेक्टिंग केबल निकली हुई है जिसके अग्र भाग में एक प्लग लगा हुआ है जिसे नियन्त्रण युनिट के साकेट में लगाया जाना है।

www.rajteachers.com

कंट्रोल यूनिट से VVPAT को जोड़ना

मतदान के दौरान बैलट युनिट व VVPAT की स्थिति

बैलट युनिट व VVPAT मतदान के समय वोटिंग कम्पार्टमेन्ट में रखी जावेगी ताकि मत अंकन की गोपनीयता बनी रहे।

मतदान के समय CU P3 के नियंत्रण मे रहेगी

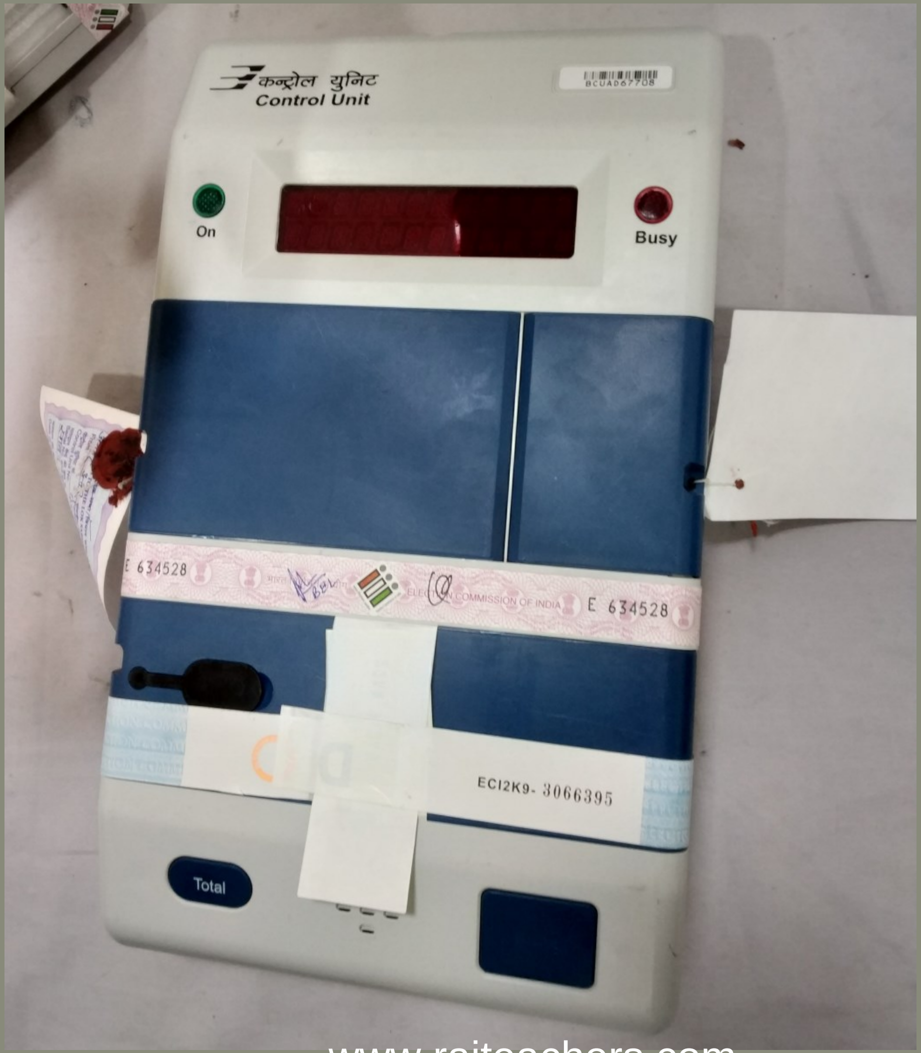

www.rajteachers.com

मतदान के दौरान बैलट युनिट की स्थिती

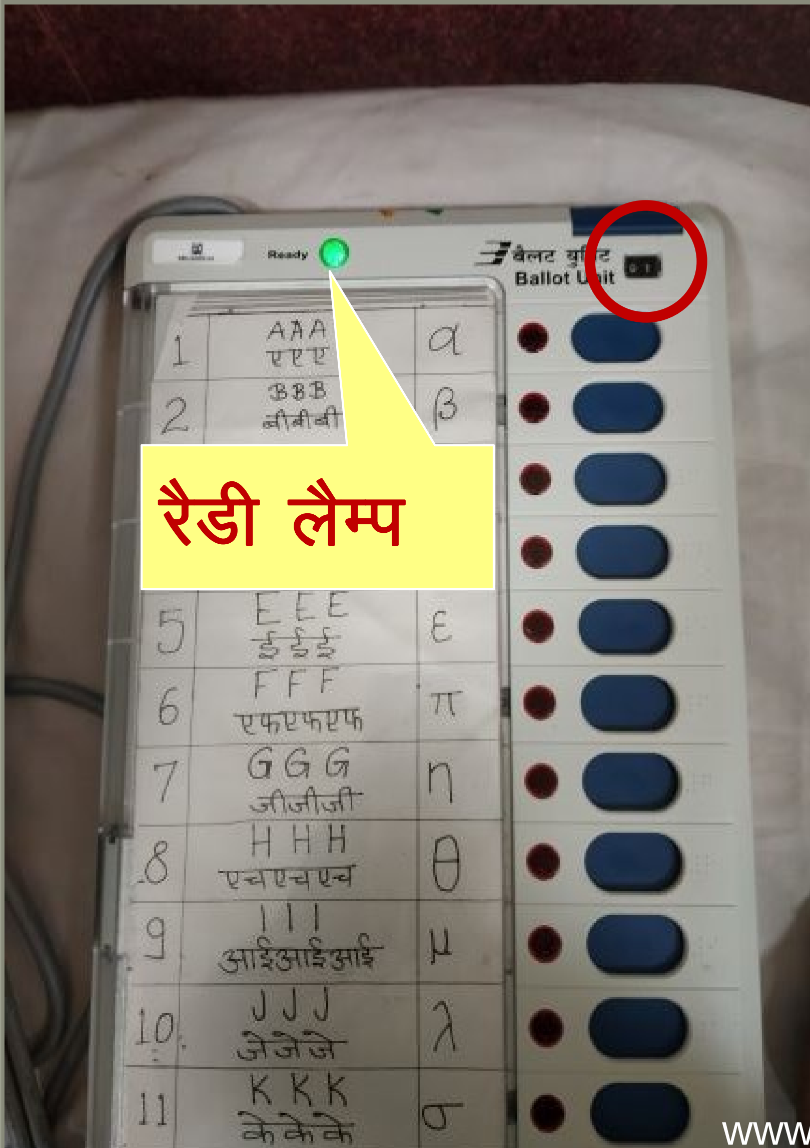

चित्र में बैलट युनिट के दायें ऊपरी सिरे पर छेद में **01** का अंक दिखाई पड़ रहा है। इस अंक का तात्पर्य मतदान में प्रयुक्त की जाने वाली बैलट मशीन की क्रम संख्या से है। एक बैलट युनिट में 16 या उससे कम उम्मीदवारों के लिये मतदान कराया जा सकता है। 16 से अधिक उम्मीदवार होने पर अतिरिक्त बैलट युनिट काम में लाई जाती है तब ऐसी अतिरिक्त युनिट में क्रम संख्या **02** अंकित होगी। इसी चित्र में बांयी ओर आपको "रैडी" लिखा हुआ एवं हरी बत्ती दिखाई पड़ रही है इसका तात्पर्य है कि बैलट युनिट मतदान के लिये तैयार है अर्थात इसमें मत अंकित किया जा सकता है तथा नीले बटन को दबाकर मत अंकित करने के पश्चात यह हरी बत्ती बुझ जावेगी।

www.rajteachers.com

पिंक पेपर सील

- इस चुनाव में कंट्रोल यूनिट एवं बैलेट यूनिट दोनों पर ही अतिरिक्त सुरक्षा के लिए एक–एक पिंक पेपर सील लगायी जाऐगी।
- यह पेपर सील एक स्टीकर के रूप में है जिसे चिपका कर काम में लिया जाता है।
- प्रत्येक पिंक पेपर सील का एक यूनिक क्रमांक है जिसका पूर्ण विवरण संधारित किया जावेगा।

पिंक पेपर सील

- कंट्रोल यूनिट – पिंक पेपर सील
- कंट्रोल यूनिट में पिंक पेपर सील कंट्रोल यूनिट की FLC (First Level Checking) के समय BEL/ECIL कम्पनी के इंजिनियर द्वारा उम्मीद्वार सेट खण्ड एवं परिणाम खण्ड के बीच में चिपका कर लगायी जायेगी।
- इस सील पर BEL/ECILके इंजीनियर अपने हस्ताक्षर करेंगे तथा उम्मीद्वार अथवा उसके एजेन्ट हस्ताक्षर कर सकेंगें तथा अपनी मुहर भी लगा सकेंगें।

पिंक पेपर सील

- “पिंक पेपर सील” के क्रमांकों का कंट्रोल यूनिट वार विवरण एनेक्चर–ई में निर्धारित रजिस्टर में रखा जावेगा जिसमें कंट्रोल यूनिट का यूनिक आई डी नम्बर भी लिखा जावेगा।

www.rajteachers.com

पिंक पेपर सील

- बैलट यूनिट – पिंक पेपर सील
  - बैलेट यूनिट पर दोनों सिरों पर एड्रेस टैग लगाने के उपरांत, अंतिम उम्मीद्वार के नाम व बटन के बाद एक ''पिंक पेपर सील'' भी चिपकाई जाएेगी।
  - इस सील पर BEL/ECIL के इंजीनियर अपने हस्ताक्षर करेंगे तथा उम्मीद्वार अथवा उसके एजेन्ट हस्ताक्षर कर सकेंगें तथा अपनी मुहर भी लगा सकेंगें।

पिंक पेपर सील

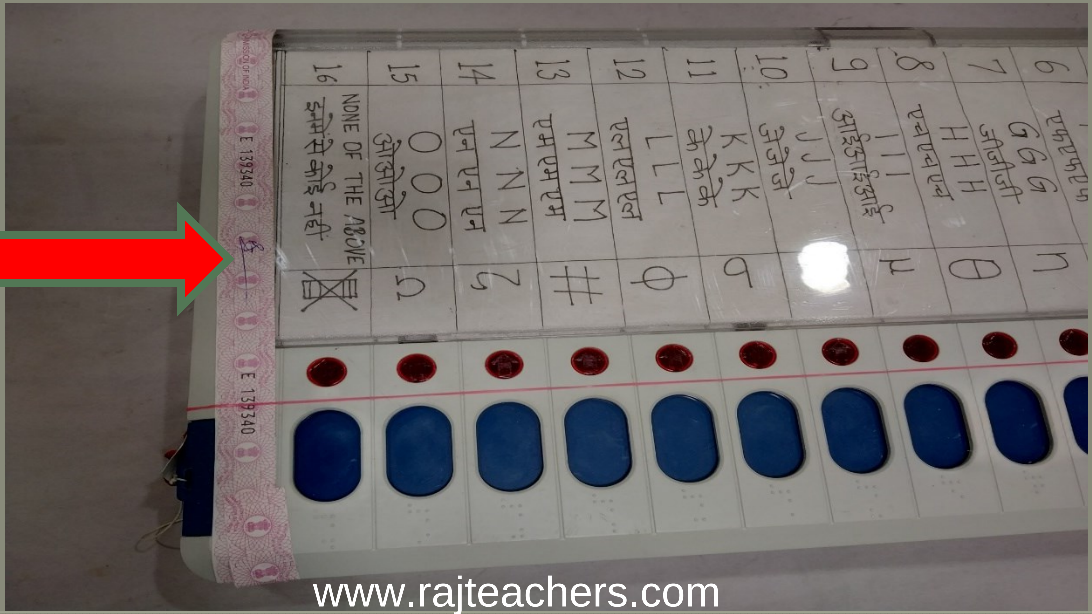

www.rajteachers.com

पिंक पेपर सील

- "पिंक पेपर सील" के क्रमांकों का बैलेट यूनिट वार विवरण एनेक्चर–6 में निर्धारित रजिस्टर में रखा गया है जिसमें बैलेट यूनिट का यूनिक आई डी नम्बर भी लिखा गया है । **इसे सुरक्षित रखा जाना सुनिश्चित करें ।**

NOTA

NOTA (None of the Above)
(उपरोक्त में से कोई नहीं)
यदि मतदाता किसी भी उम्मीदवार को मत नहीं देना चाहता है तो Ballot Unit के अंतिम नीले बटन को दबायेगा जिसके सामने NOTA चिन्ह् अंकित है तथा उपरोक्त मे से कोई नहीं लिखा है।

NOTA

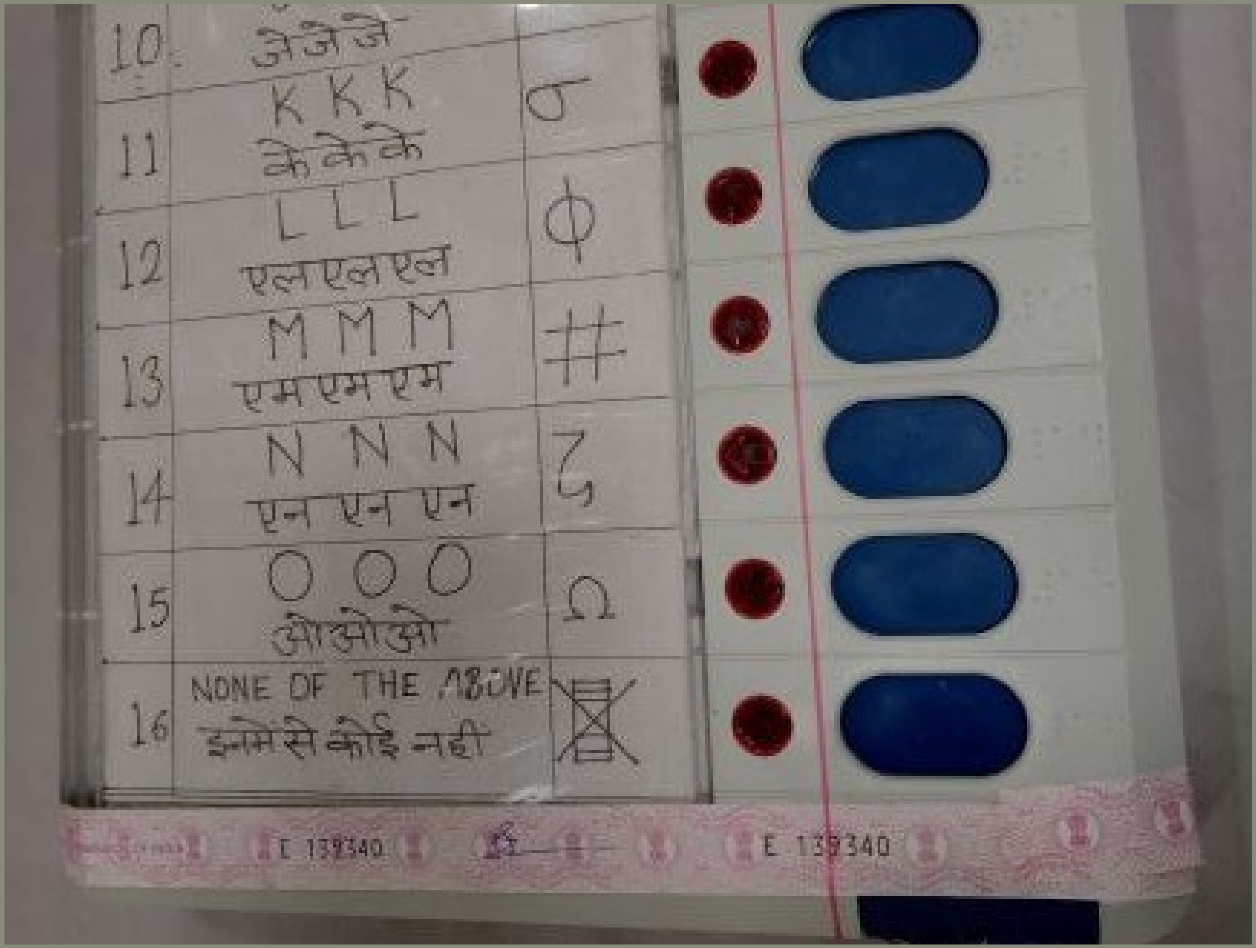
10 ऊजेजे
11 KKK केकेके
12 LLL एलएलएल
13 MMM एमएमएम
14 NNN एनएनएन
15 OOO ओओओ
16 NONE OF THE ABOVE इनमें से कोई नहीं
E 139340
E 139340

कंट्रोल यूनिट

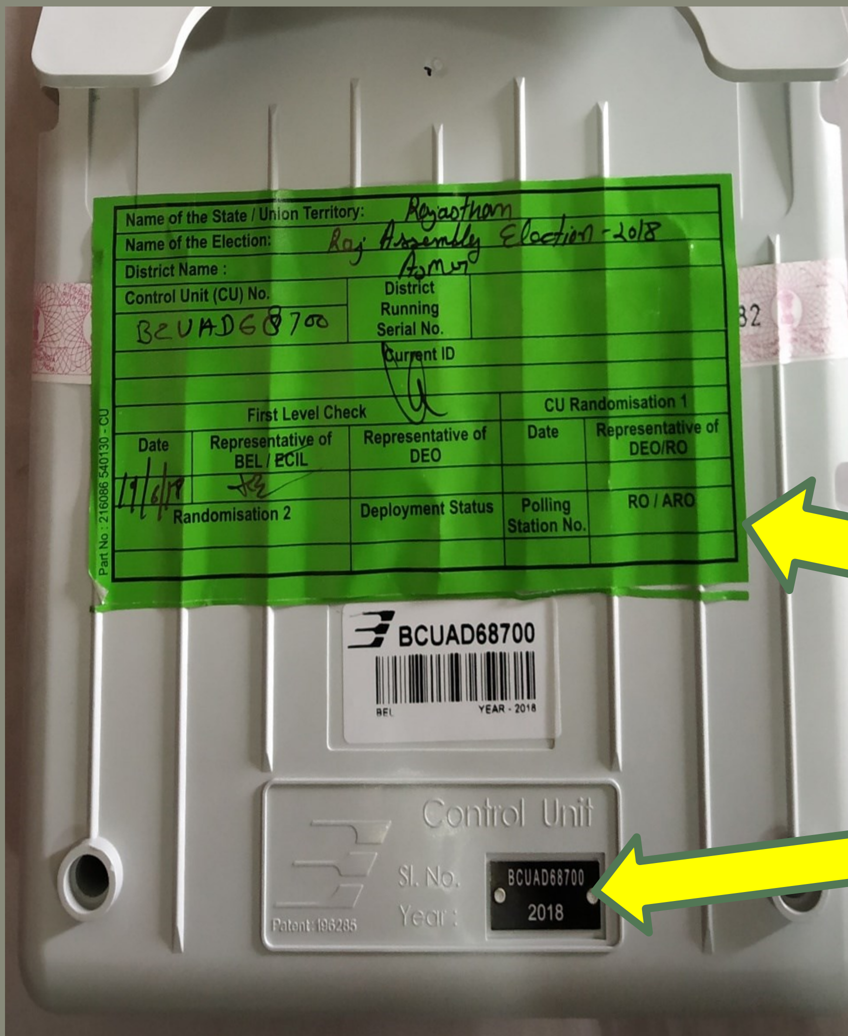

कन्ट्रोल युनिट के पिछले भाग में अंकित युनिट संख्या एवं एड्रेस टैग पर अंकित युनिट संख्या का अवश्य मिलान कर लेवें, ये दोनों समान होने चाहिये।

RO द्वारा FLC के बाद लगाया गया स्टीकर

BCUAD68700
2018

कंट्रोल यूनिट

प्लग लगाने के बाद साथ में लगे स्विच को ऑन करें।

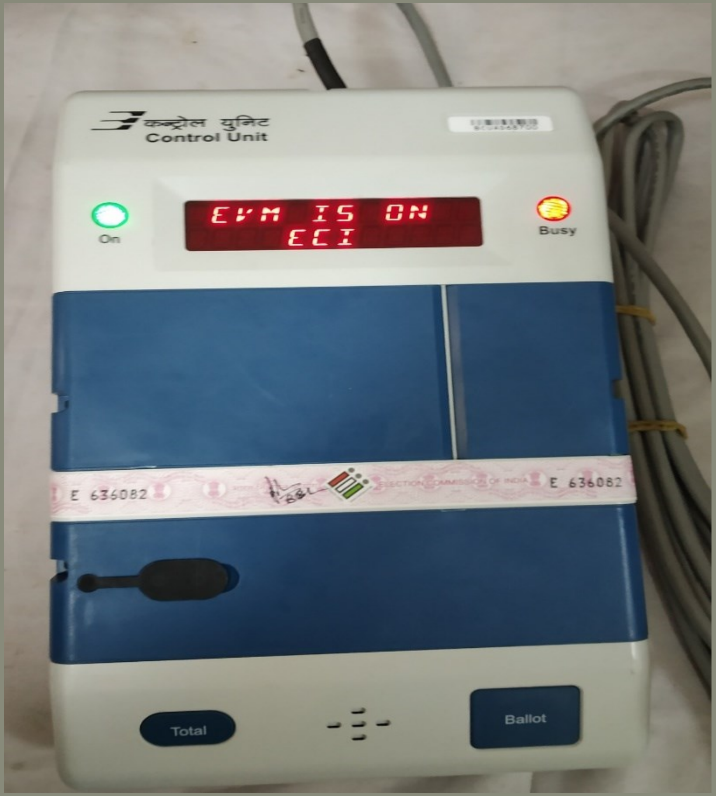

इससे बैलट युनिट कन्ट्रोल युनिट व VVPAT चालू हो जावेंगे तथा कन्ट्रोल युनिट के डिस्प्ले स्क्रीन के पास हरी बत्ती एवं लाल बत्ती जल जाएगी तथा प्रदर्शन खण्ड में सूचनाए प्रदर्शित हो जायेगी । इस समय VVPAT में सिस्टम की स्वत: जांच होगी व जांच की 7 स्लिप VVPAT में प्रिंट होंगी |

www.rajteachers.com

कंट्रोल यूनिट में सूचनाओं का प्रदर्शन

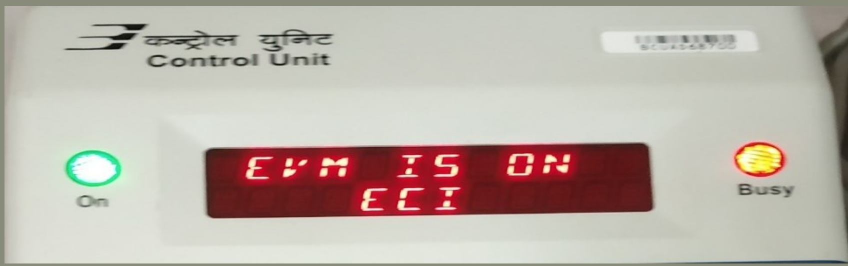

(1) ई वी एम ऑन

2 LED जांच

3 EVM के द्वारा स्वयं की जांच

(4)दिनांक और समय

(5) CU क्रमांक

(6) उम्मीदवारों की संख्या

(7) बैटरी की क्षमता

(8) EVM के भागों की खोज

(9) BU पाई गई

(10) BU 1 है VVPAT 1 है

(11) BU की जांच

(12) VVPAT की जांच

(13) VVPAT 1 ठीक है

(14) EVM तैयार है

www.rajteachers.com

- पीठासीन अधिकारी द्वारा बनावटी मतदान (Mock Poll) किया जायेगा जो मतदान प्रारम्भ होने के एक घंटे पूर्व किया जायेगा। उस समय यदि कोई भी मतदान अभिकर्ता उपस्थित नहीं है या केवल एक ही मतदान अभिकर्ता उपस्थित है तो पीठासीन अधिकारी 15 मिनट तक अन्य मतदान अभिकर्ता का इन्तजार करेगा। पीठासीन अधिकारी बनावटी मतदान की कार्यवाही करने के उपरान्त एक निर्धारित प्रपत्र में प्रमाण पत्र भी देगा जिस पर उपस्थित मतदान अभिकर्ताओं के हस्ताक्षर भी किये जायेगे।
- मतदान के दौरान मशीन खराबी के कारण यदि पूरा सैट बदला जाता है तो उसमें भी बनावटी मतदान की प्रक्रिया पूरी की जायेगी।

- अभिकर्ताओं को यह स्पष्ट रूप से **दिखाना चाहिए** कि **मौक पोल** प्रारम्भ **करते** समय इस मशीन में पहले से कोई मत अंकित किये हुये नही है। **VVPAT का प्रिंटिंग स्लिप ड्राप बॉक्स खाली है |**

- नमूने के मतदान में कम से कम 50 वोट डाले जावें और जिसमें सभी अभ्यर्थियों के पक्ष में **समान** वोट **(प्रत्येक को न्यूनतम 3 मत)** होने चाहिए।

- **यदि मतदान के समय पूरा सेट बदला जाता है तो दुबारा मौक पोल में प्रत्येक उम्मीदवार को 1 मत दिया जाने का प्रावधान है |**

नमूने मतदान हेतु काम में लिए गये बटनों का क्रम

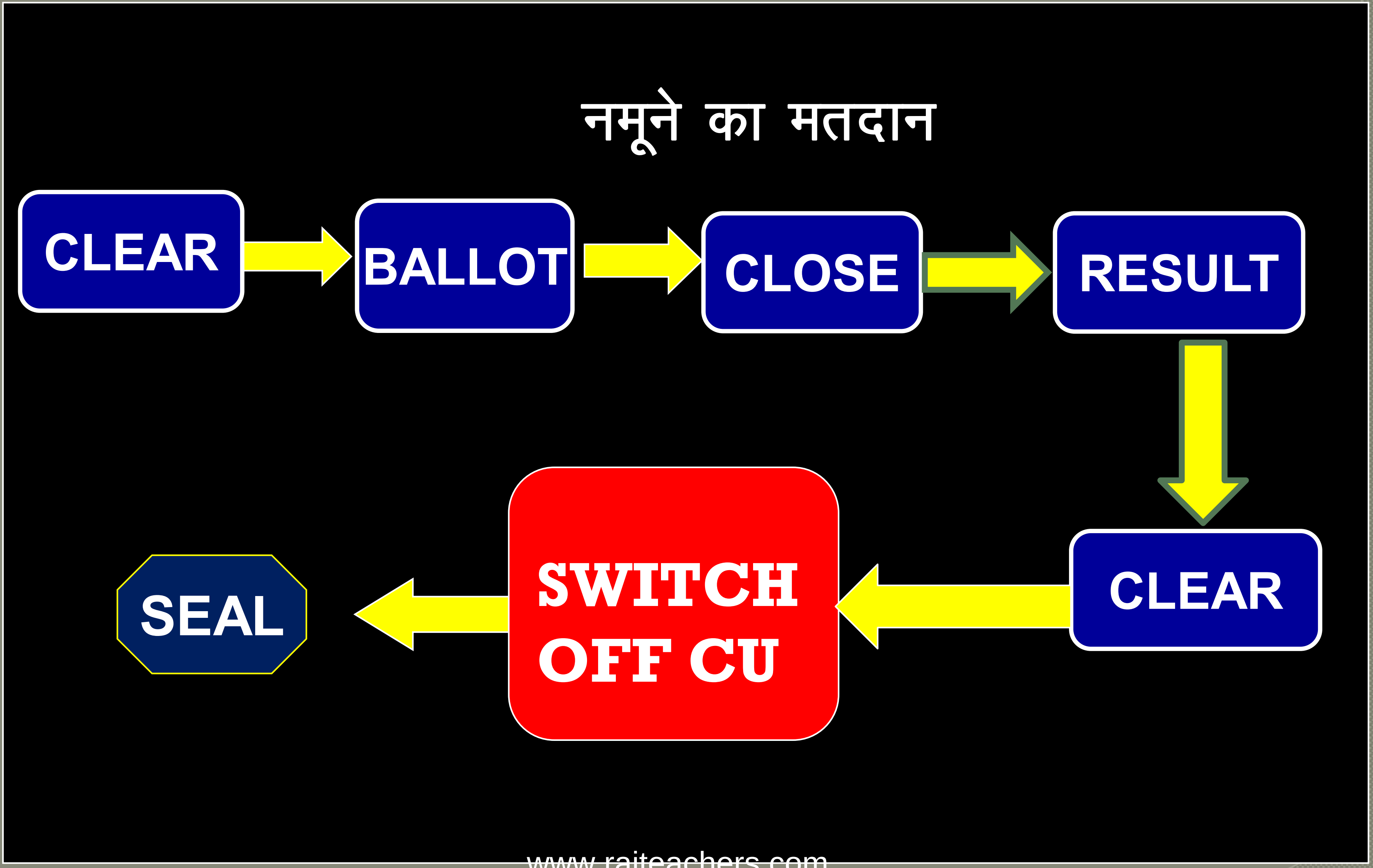

मौक पोल की प्रक्रिया

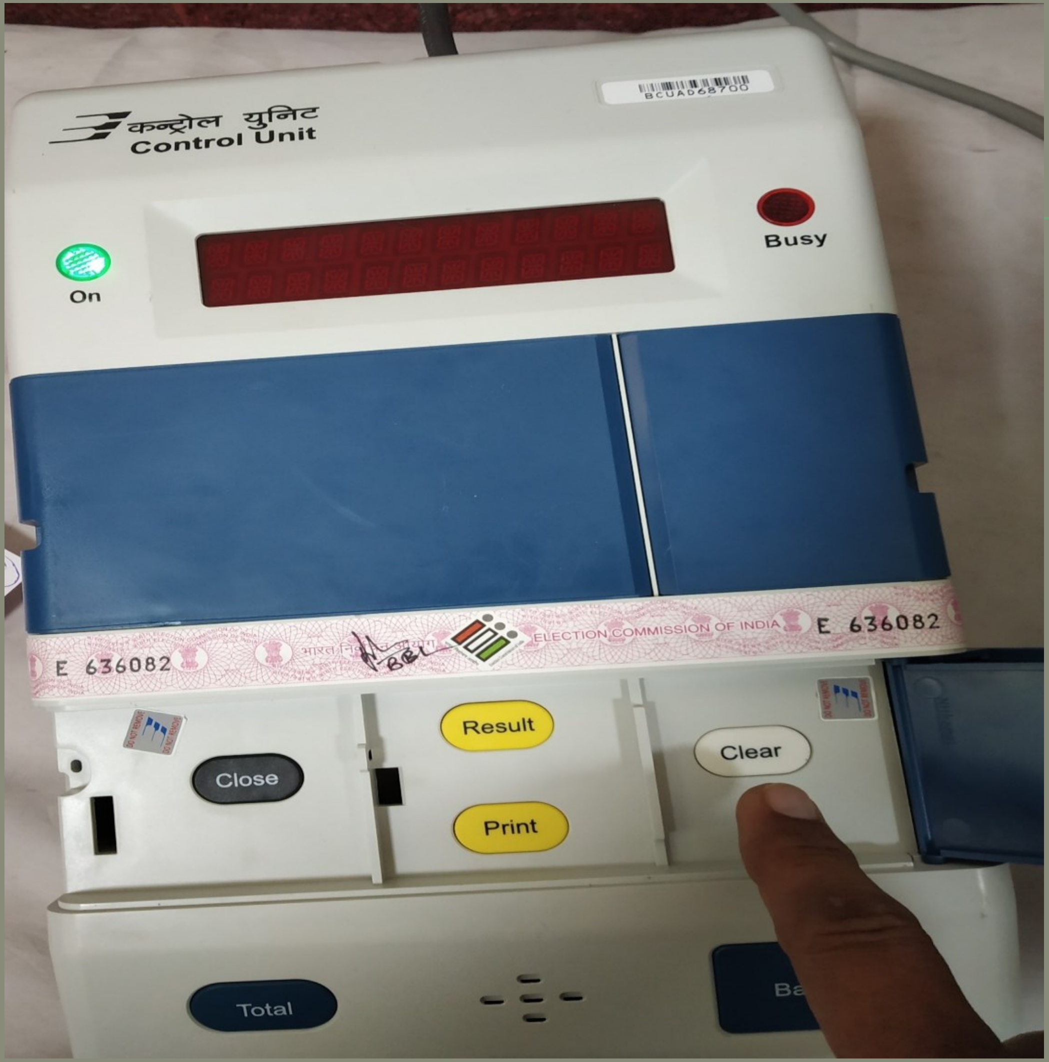

- आपको सबसे पहले "क्लीयर" बटन दबाना है।
- क्लीयर बटन दबाकर उपस्थित मतदान अभिकर्ताओं को यह दिखाएँ कि मशीन में कोई मत रिकॉर्ड नहीं है , इस समय डिस्प्ले इस प्रकार हैं

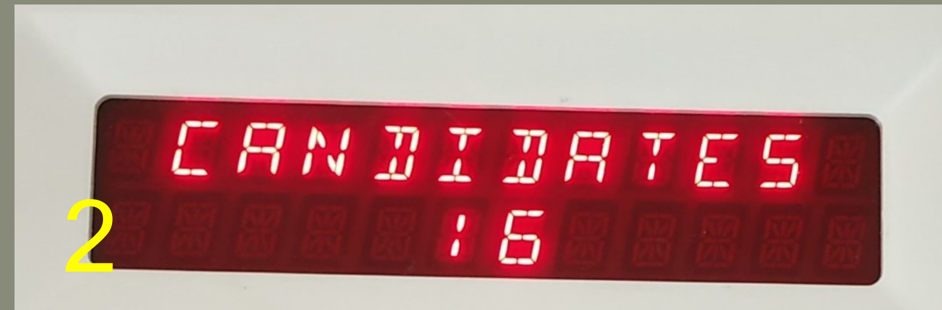

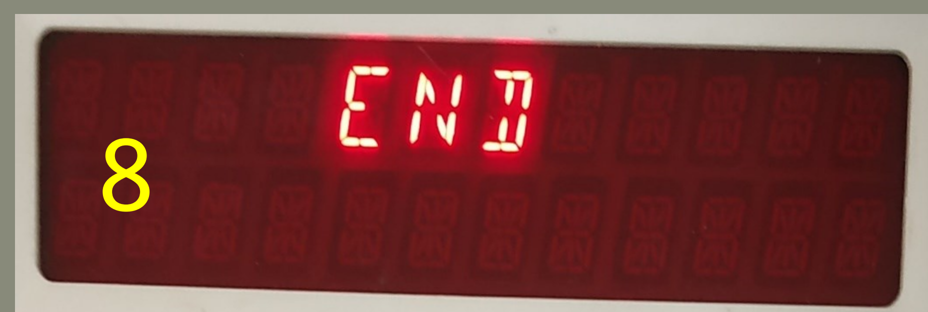

www.rajteachers.com

अब बैलेट बटन दबा कर बनावटी मतदान किया जाएगा इसमें प्रत्येक उम्मीदवार को समान मत दिए जायेंगे किन्तु न्यूनतम दिए गए मतों की संख्या 50 होनी चाहिए

बैलेट बटन दबाने पर BU में हरी बत्ती जल जायेगी

बैलेट यूनिट में सम्बन्धित उमीदवार के सामने का नीला बटन दबाने पर BU में लाल बत्ती जल जायेगी और VVPAT में सम्बन्धित उम्मीदवार की क्रम संख्या, नाम और चुनाव चिन्ह प्रिंट स्लिप पर प्रदर्शित होंगे|

यह सूचना 7 सैकंड तक प्रदर्शित होगी इसके बाद प्रदर्शित स्लिप VVPAT की स्लिप ट्रे में कट कर गिर जायेगी, और CU में बीप की आवाज सुनाई देगी तो मत देने की प्रक्रिया पूरी होगी |

यह प्रक्रिया न्यूनतम 50 वोट तक दोहराई जायेगी ,किन्तु सभी उम्मीदवारों को समान मत (प्रत्येक को न्यूनतम 3)दिए जायेंगे|

वांछित संख्या में मत देने के बाद क्लोज बटन दबा कर मत प्रक्रिया समाप्त की जायेगी |

www.rajteachers.com

मतदान के समय डिस्प्ले

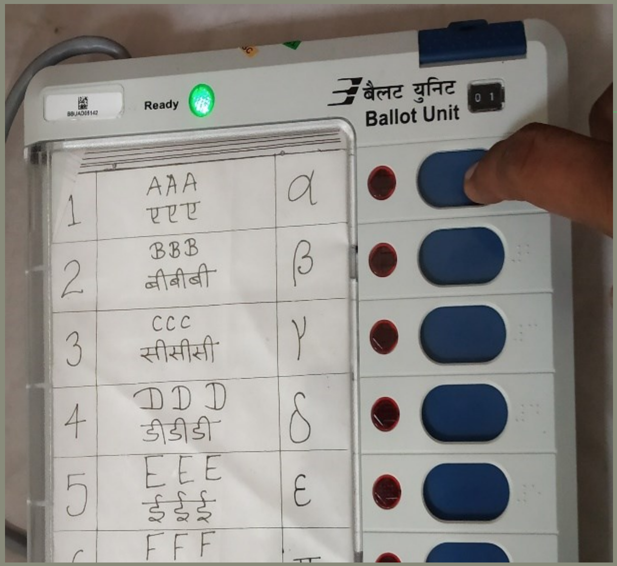

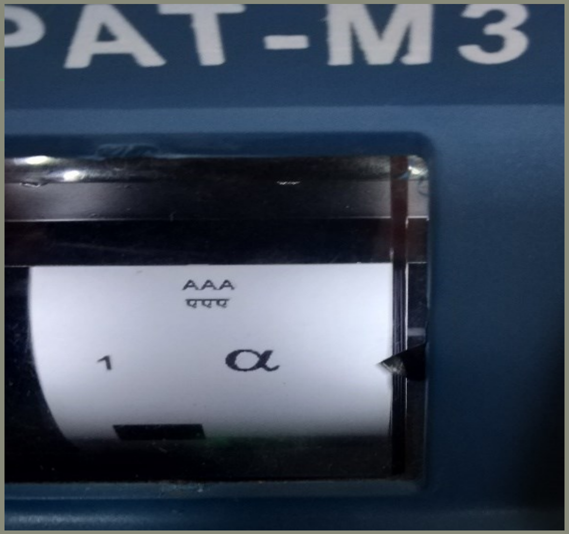

सभी उम्मीदवारों को वांछित मत देने के बाद क्लोज बटन दबा कर बनावटी मतदान की प्रक्रिया को समाप्त किया जाएगा

कंट्रोल यूनिट

- क्लोज बटन दबाने पर निम्न सूचना डिस्प्ले होगी

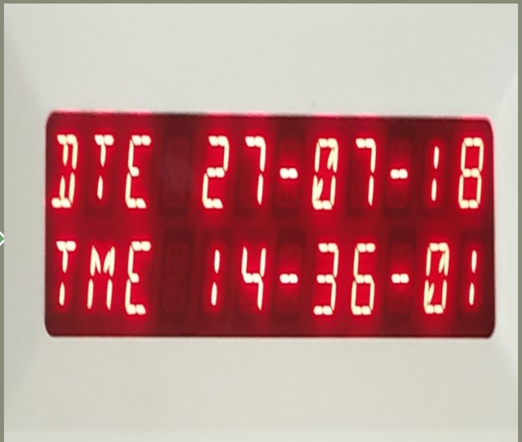

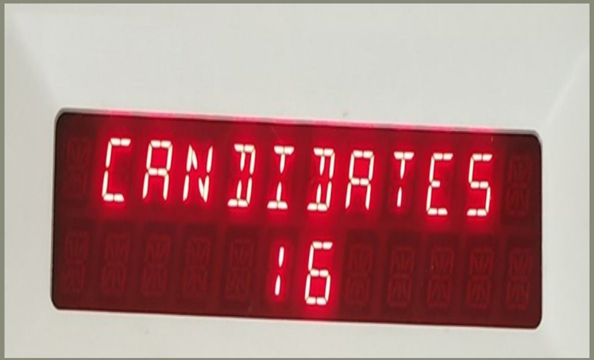

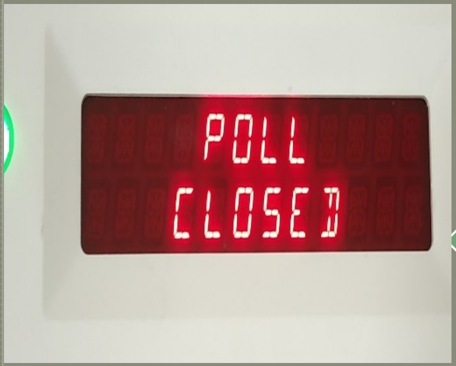

रिजल्ट बटन

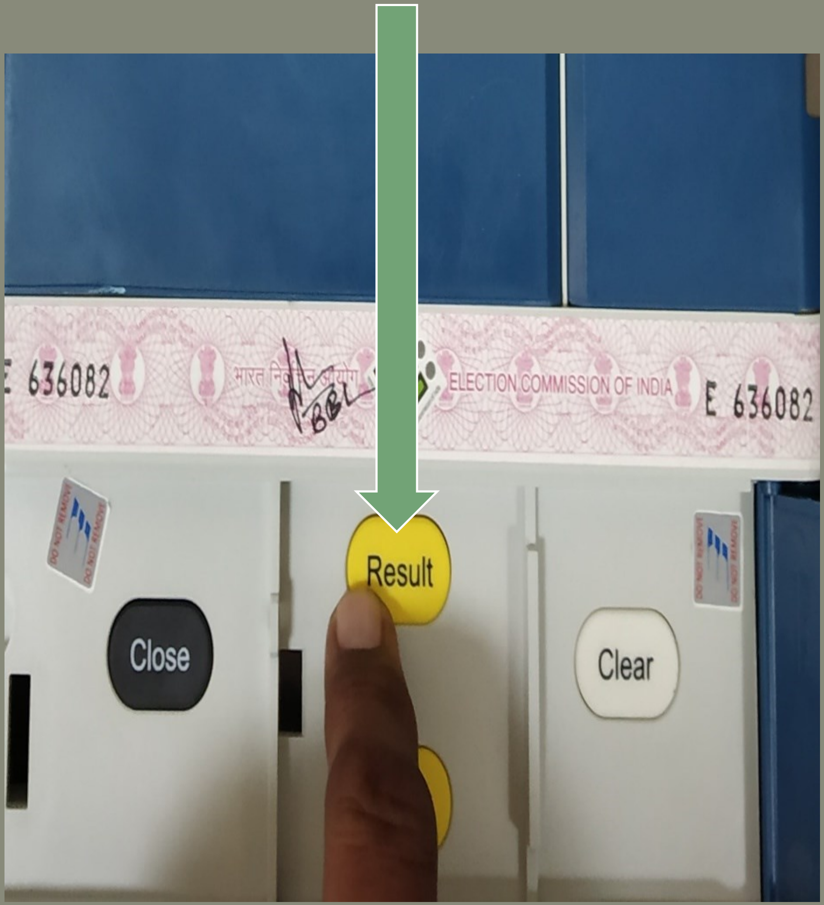

- **परिणाम प्राप्त करने के लिए रिजल्ट बटन का प्रयोग किया जाता है |**

रिजल्ट'' का बटन दबाने पर उम्मीदवारों की कुल संख्या,**मतदान प्रारम्भ करने का समय, मतदान समाप्ति का समय,**कुल डाले गये मतों की संख्या, एवं प्रत्येक उम्मीदवारों को प्राप्त मतों की संख्या डिस्प्ले होती **है इसे नोट** किया जावे |

1
COMPUTING
RESULT

2
POLL RESULT
PDT 27-07-18

3
PST 14-33-12
PET 14-35-30

4
SL NUM
DCUAD68700

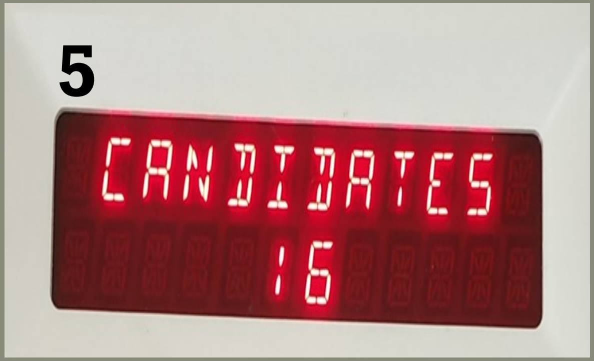
5
CANDIDATES
16

6

6
TOTAL POLLED
VOTES - 7

7
CAND - 1
VOTES - 2

8
CAND - 2
VOTES - 1

9
END

अब VVPAT का स्लिप ड्राप बॉक्स खोल कर सभी स्लिप निकाल कर इनकी गिनती की जाकर इसके परिणाम को कंट्रोल यूनिट से प्राप्त परिणाम से मिलाया जावे|

www.rajteachers.com

VVPAT की स्वयं की जांच की स्लिप जिन्हें गणना में शामिल नहीं करना है

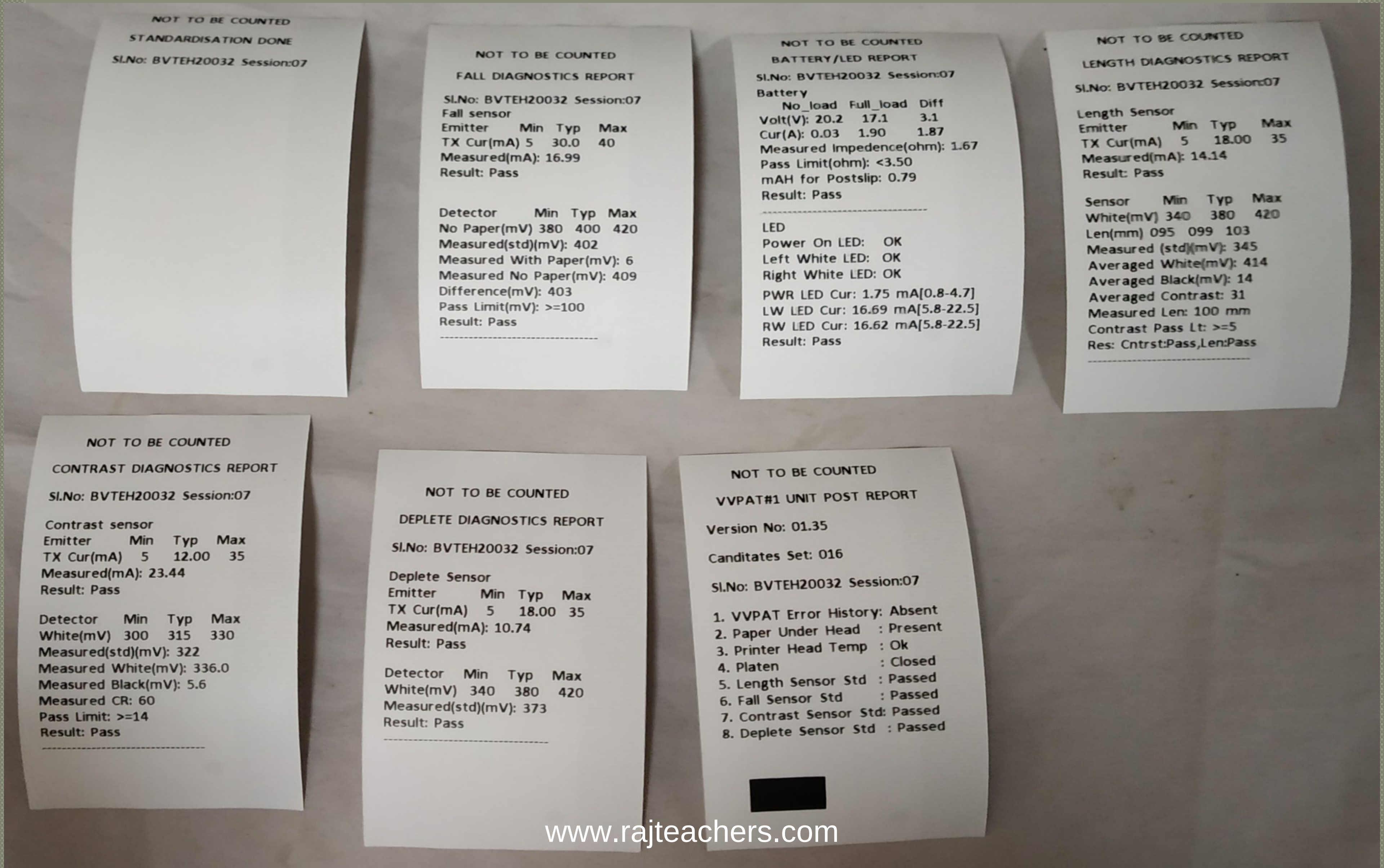

www.rajteachers.com

मतगणना की स्लिप

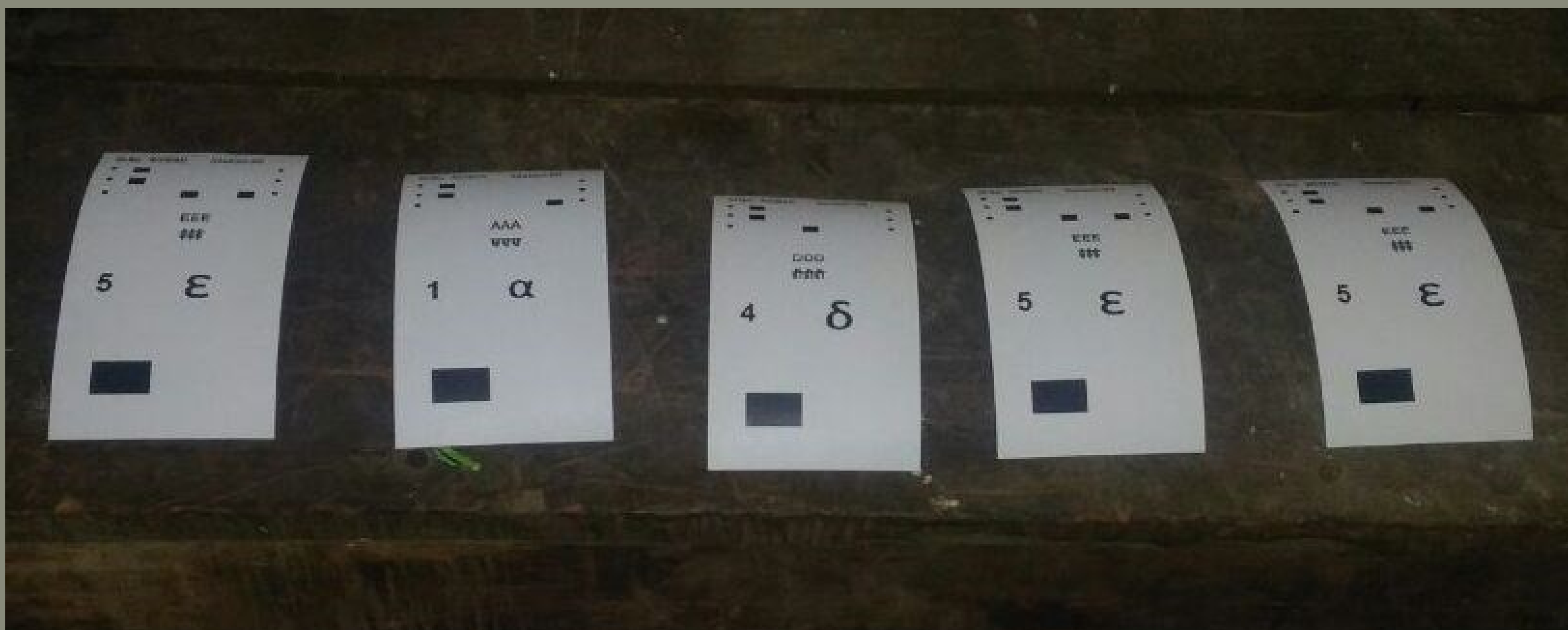

मौक पोल के समय प्राप्त सभी स्लिप के पिछले हिस्से पर मौक पोल स्लिप की मुहर लगा कर इन्हें काले लिफ़ाफ़े में रख कर (लिफ़ाफ़े पर सभी प्रविष्टियाँ अंकित कर) सीलबंद किया जाएगा इस पर पीठासीन अधिकारी व पोलिंग एजेंट हस्ताक्षर करेंगे |

अब इस लिफ़ाफ़े को इसी विशिष्ट प्रयोजन हेतु बने प्लास्टिक के डिब्बे में रख कर इस पर सभी सूचनाएं अंकित करते हुए पिंक पेपर सील से सील बंद किया जाएगा | पिंक पेपर सील पर पीठासीन अधिकारी और पोलिंग एजेंट अपने हस्ताक्षर करेंगे

इसके बाद एड्रेस टेग पर सभी प्रविष्टियाँ पूर्ण कर VVPAT का प्रिंटिंग स्लिप ड्राप बॉक्स सील किया जाएगा |

मौक पोल का प्रमाण पत्र

- सामान्यतः वास्तविक मतदान प्रारम्भ होने के 60 मिनट पूर्व पीठासीन अधिकारी को नमूने का मतदान की प्रक्रिया प्रारम्भ करनी चाहिए
- यदि 2 पृथक उम्मीदवारों के 2 अभिकर्ता तब तक मौजूद न हों तो पीठासीन अधिकारी 15 मिनट और इंतजार भी कर सकता है
- नमूने के मतदान की प्रक्रिया पूर्ण होने पर पीठासीन अधिकारी उसे उपलब्ध कराये गये निर्धारित प्रपत्र में उसका प्रमाण पत्र जारी करेगा एवं उस पर अपना नाम एवं हस्ताक्षर के साथ–साथ उपस्थित अभिकर्ताओं के नाम लिखकर उनके हस्ताक्षर भी करवायेगा
- सामान्यतया यह प्रमाण पत्र सेक्टर अधिकारी को उपलब्ध कराया जाएगा परन्तु जिन मतदान केन्द्रों पर माइक्रो आब्जर्वर्स नियुक्त किये जायेंगे वहां इसकी एक प्रति उसे भी उपलब्ध करायी जायेगी

www.rajteachers.com

नमूने मतदान हेतु काम में लिए गये बटनों का क्रम

2018

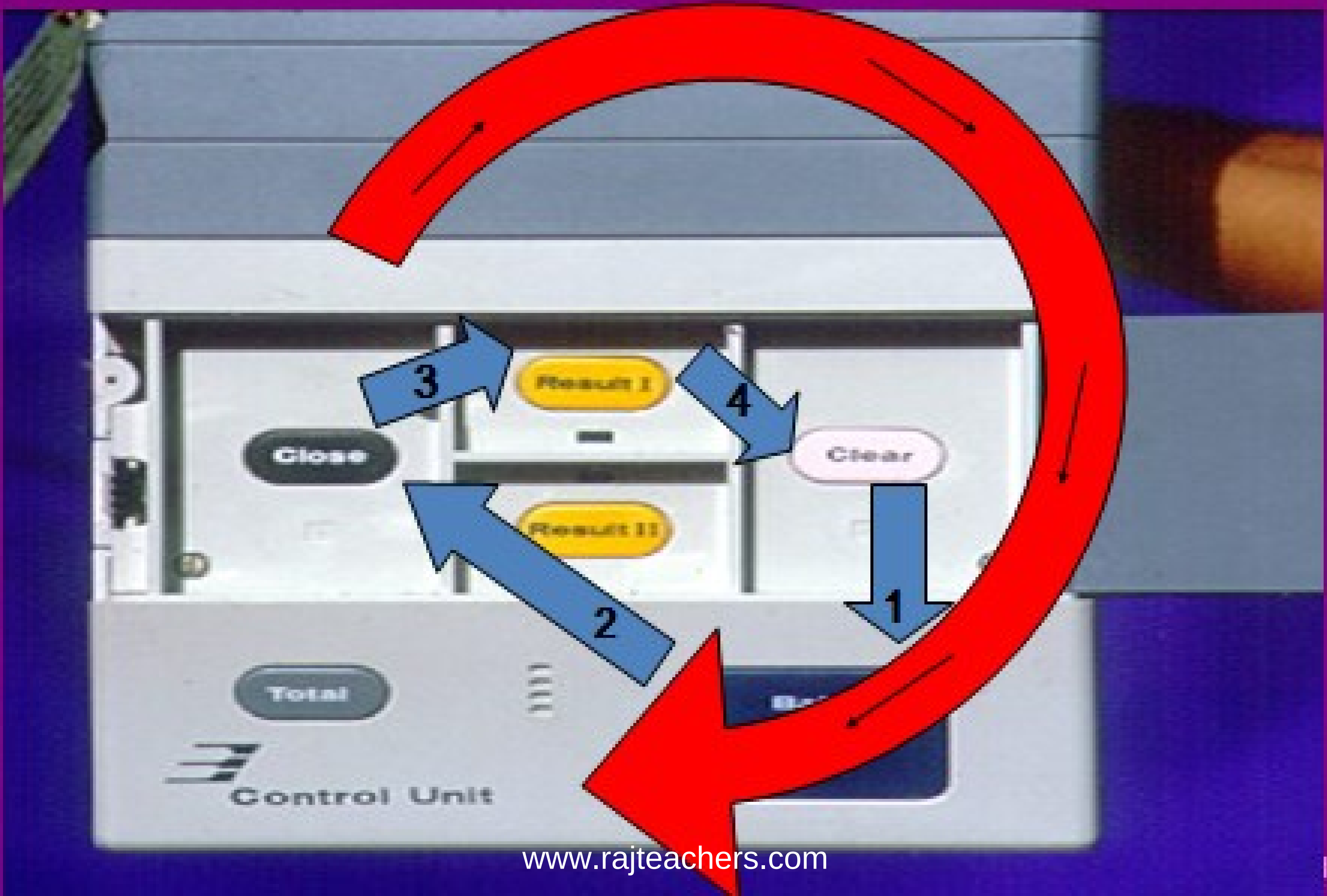

www.rajteachers.com

मौक पोल की महत्वपूर्ण प्रक्रिया

मौक पोल के परिणाम का कंट्रोल यूनिट और VVPAT के परिणाम से कर अब वास्तविक मतदान के लिए मशीन को तैयार किया जाना है इसलिए मौक पोल के समय डाले गए मतों को कंट्रोल यूनिट का क्लियर बटन दबा कर मशीन में सभी उम्मीदवारों को शून्य मत किये जाते हैं VVPAT के ड्राप बोक्स को खाली करके (मौक पोल स्लिप निकाल कर) मशीन को स्विच ऑफ़ कर सील करने की कार्यवाही प्रारम्भ की जाती है www.rajteachers.com

मौक पोल के बाद वास्तविक मतदान हेतु ई वी एम सील करने के चरण

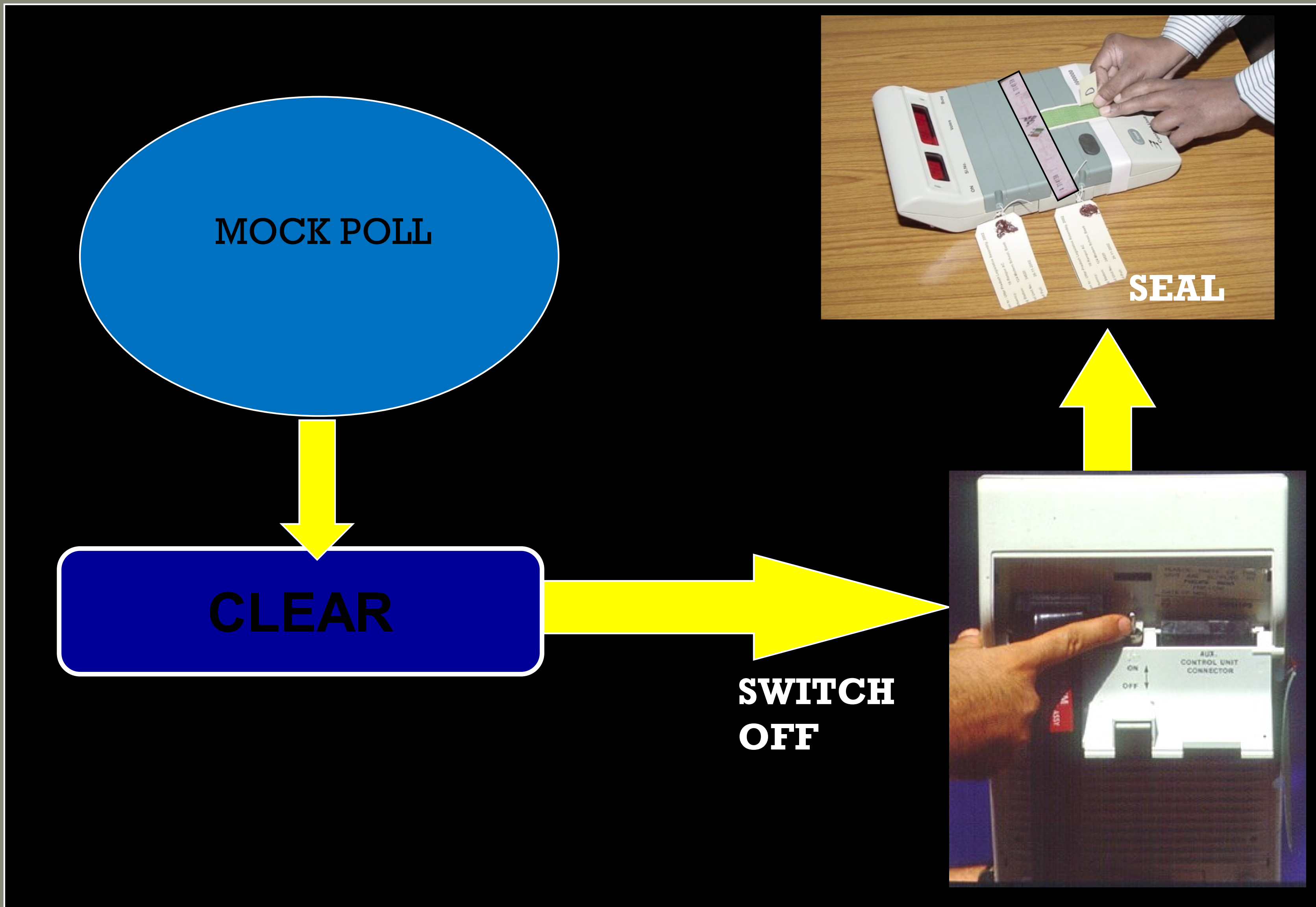

www.rajteachers.com

VVPAT प्रिंटिंग स्लिप ड्राप बॉक्स सील करना

कन्ट्रोल यूनिट वास्तविक मतदान के लिए तैयार करना

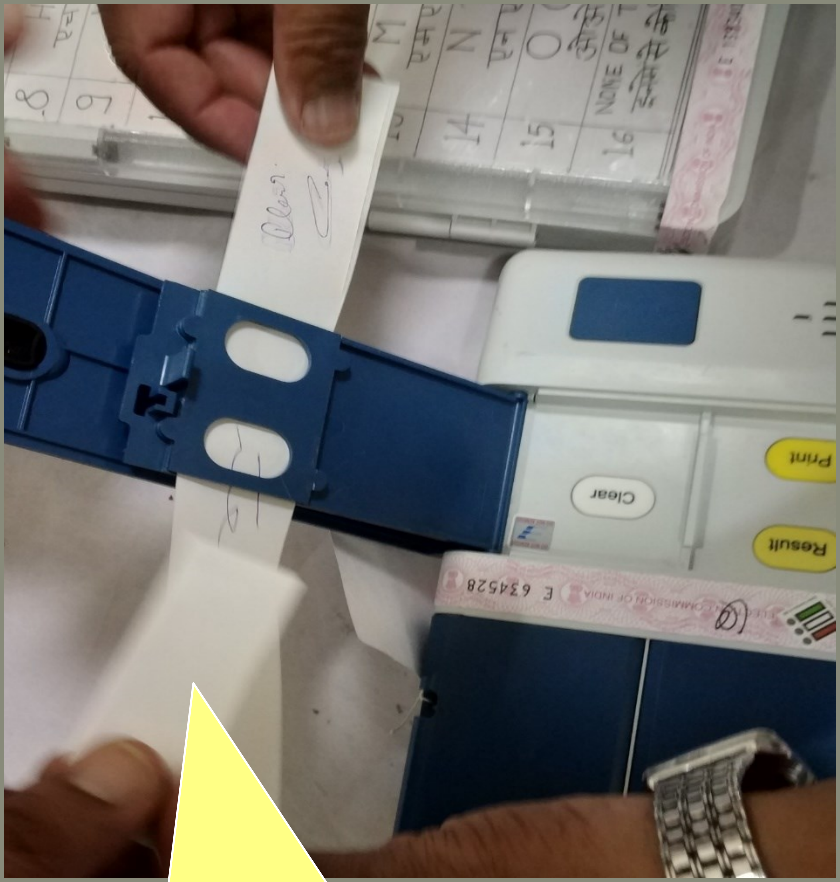

ग्रीन पेपर सील

- परिणाम खण्ड के आन्तरिक द्वार के फ्रेम के दोनों छिद्रों पर **एक** ग्रीन पेपर सील लगायें।

पेपर सील इस प्रकार लगाई जायेगी की उसका हरा भाग छेद में से बाहर की ओर दिखता रहे।

- ग्रीन पेपर सील की परतों के बीच एक गत्ता भी सील को मजबूती प्रदान करने के लिए लगायें।

www.rajteachers.com

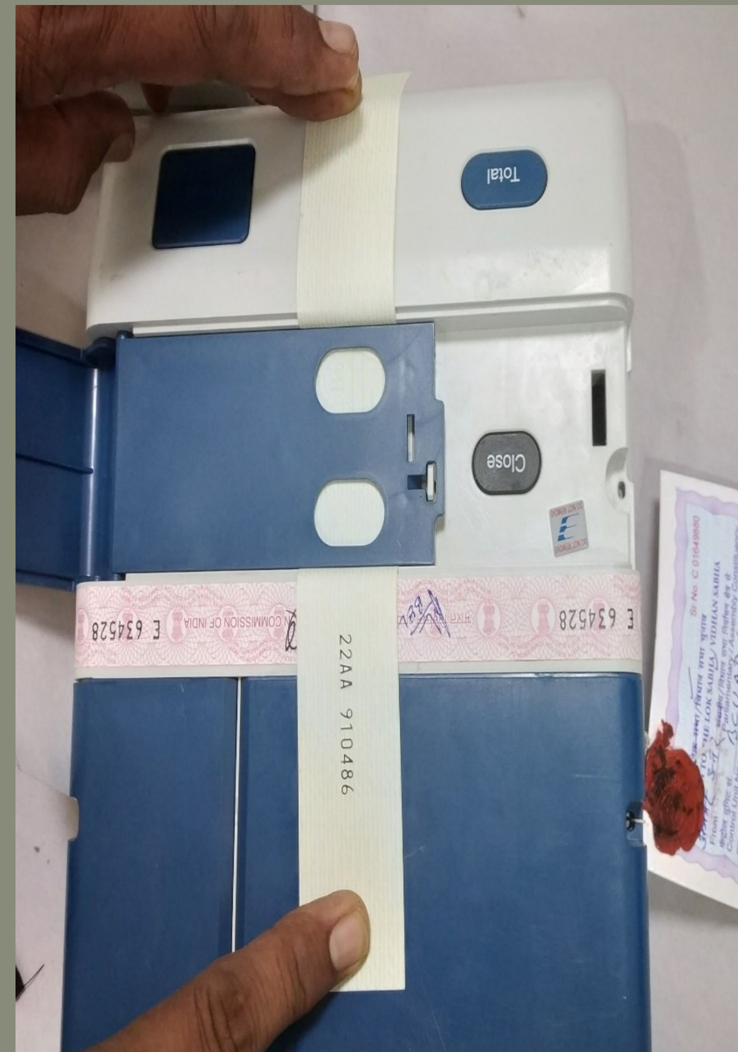

www.rajteachers.com

कन्ट्रोल यूनिट वास्तविक मतदान के लिए तैयार करना

ग्रीन पेपर सील का क्रमांक

- आन्तरिक द्वार के कवर को बन्द कर दें तथा यह सुनिश्चित करें कि ग्रीन पेपर सील के दोनों किनारे बाहर की ओर निकल रहे है जैसा कि दिखाया गया है।
- पीठासीन अधिकारी ग्रीन पेपर सील के सफेद हिस्से पर अपने हस्ताक्षर करेगें।
- अभ्यर्थी अथवा उनके मतदान अभिकर्ताओं को भी उस पर हस्ताक्षर करने को कहें यदि वे ऐसा करना चाहे तो उन सभी के हस्ताक्षर ग्रीन पेपर सील के मध्य करावें।
- उपयोग में ली गई ग्रीन पेपर सील का क्रम संख्या मतपत्र लेखा प्रपत्र 17 ग में नोट कर लें।

www.rajteachers.com

स्पेशल टैग

- कंट्रोल यूनिट के रिजल्ट सेक्शन के भीतरी द्वार को सील करने के लिए स्पेशल टैग का प्रावधान है।
- प्रत्येक स्पेशल टैग पर एक विशिष्ट क्रम संख्यांक सामने की तरफ नीचे अंकित है जो 00001 से 99999 हो सकते हैं। राज्य का कोड (आर.जे.–राजस्थान) क्रम संख्यांक के आगे लिखा होगा।
- स्पेशल टैग का क्रम संख्या अभ्यर्थी/मतदान अभिकर्ताओं को नोट करने दें।
- सी.यू. नम्बर............क्रम संख्यांक के उपर छपा है, जहाँ पीठासीन अधिकारी कंट्रोल यूनिट का पहचान नम्बर स्पेशल टैग पर लिखेगा।

स्पेशल टैग के सामने का भाग

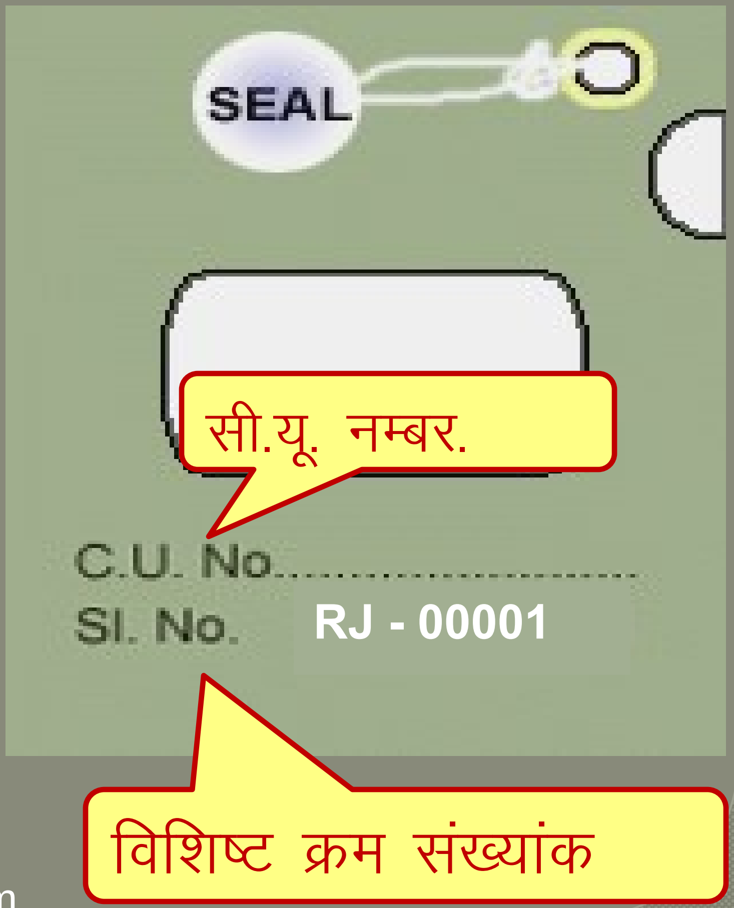

www.rajteachers.com

स्पेशल टैग

- टैग के पिछले भाग पर पीठासीन अधिकारी एवं अभ्यर्थी / मतदान अभिकर्ता जो मतदान केन्द्र पर मौजूद है, हस्ताक्षर करेगें।
- प्रत्येक मतदान केन्द्र पर दो या तीन विशेष टैग दिये जायेगें।
- धागे को स्पेशल टैग की धातु रिंग में से निकाल कर गाँठ लगाए एवं स्पेशल टैग पर गाँठ को चपड़ी की सहायता से सील कर पीठासीन अधिकारी की मोहर लगावें।

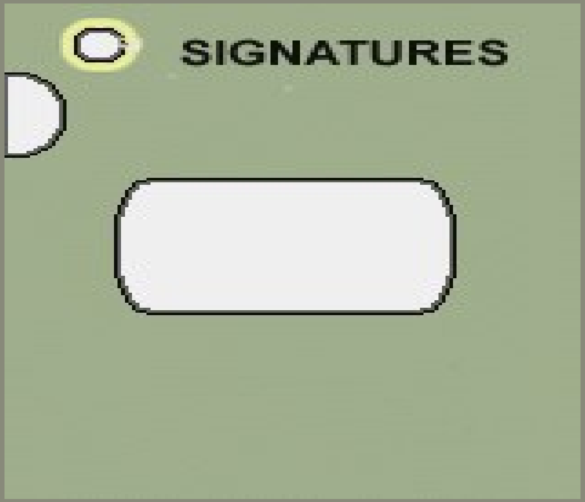

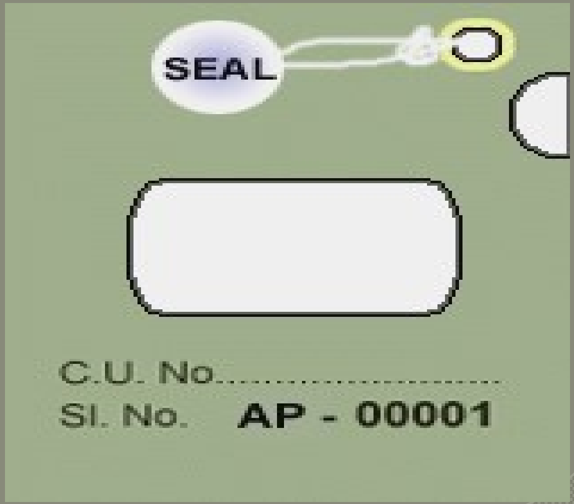

www.rajteachers.com

क्लोज बटन पर सील्ड स्पेशल टैग को रख

विधान सभा चुनाव2018

- परिणाम खण्ड को सील करने के बाद क्लोज बटन पर स्पेशल टैग का कटा हुआ भाग इस प्रकार फिट करें कि क्लोज बटन दिखता रहे।
- सीलिंग के पश्चात् स्पेशल टैग को क्लोज बटन पर समायोजित कर दे।
- क्लोज बटन स्पेशल टैग के कटे हुये भाग से दिखना चाहिये।

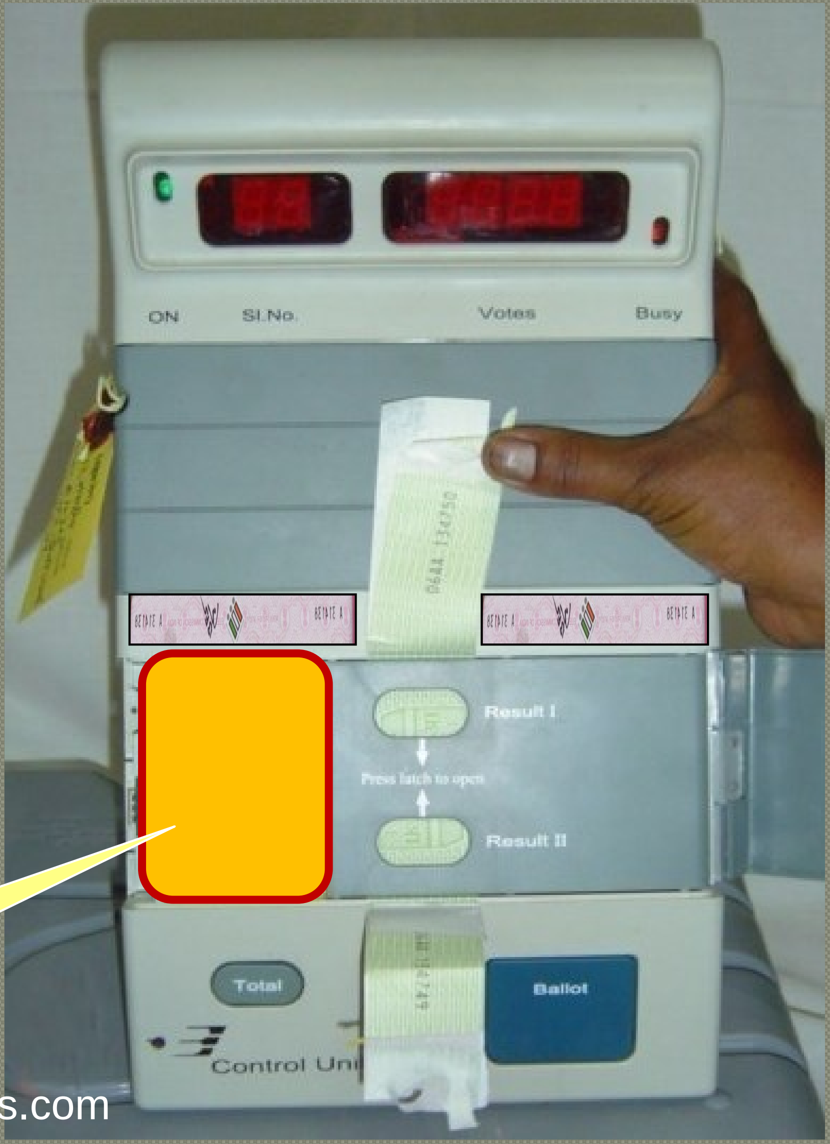

स्पेशल टेग

www.rajteachers.com

कन्ट्रोल यूनिट –क्लोज बटन पर फिक्स किया हुआ स्पेशल टैग

स्पेशल टैग

हरी पेपर सील

www.rajteachers.com

स्ट्रिप सील

- मतदान शुरू करने से पूर्व कन्ट्रोल यूनिट के परिणाम खण्ड को स्ट्रिप सील से सील किया जाता है।
- प्रत्येक मतदान केन्द्र को चार स्ट्रिप सील दी जायेगी।
- स्ट्रिप सील 23.5 इंच लम्बी एवं 1 इंच चौड़ी कागज की पट्टी है जिसे कन्ट्रोल यूनिट की चौडाई पर लपेटा जाता है।

स्ट्रिप सील

- प्रत्येक सील का विशिष्ट पहचान नम्बर होता है।
- स्ट्रिप सील के दोनों सिरों पर चार स्टीकर लगे हुऐ है, इनमें से A B D आन्तरिक परत पर तथा C स्टीकर बाहरी परत पर लगा होगा।

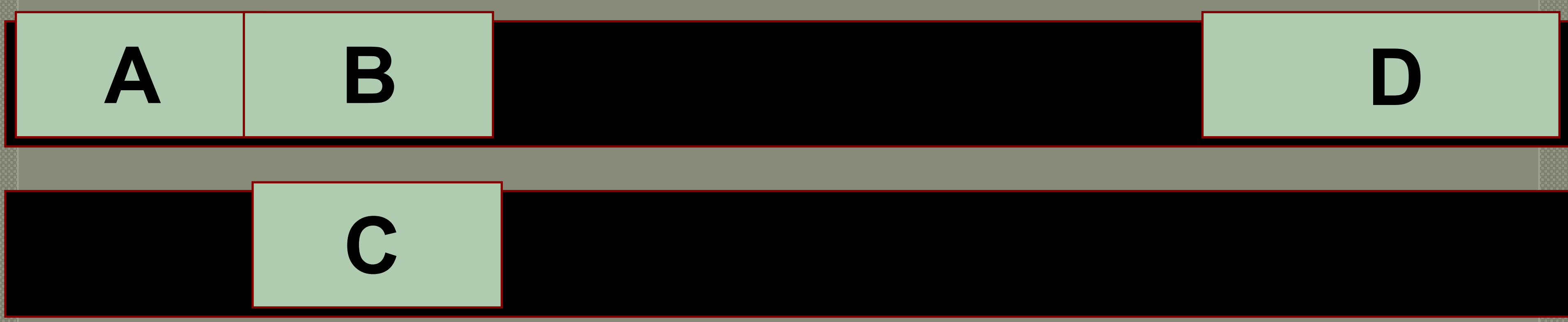

www.rajteachers.com

बाहरी स्ट्रिप सील लगाना (1)विधान सभा

- परिणाम खण्ड का बाहरी द्वार बन्द कर दे तथा ग्रीन पेपर सील के दोनों किनारे बाहर निकले रहने दें।
- पहले बाहरी दरवाजे पर एड्रेस टैग बांध कर सील करें।

www.rajteachers.com

बाहरी स्ट्रिप सील लगाना (2)विधान सभा

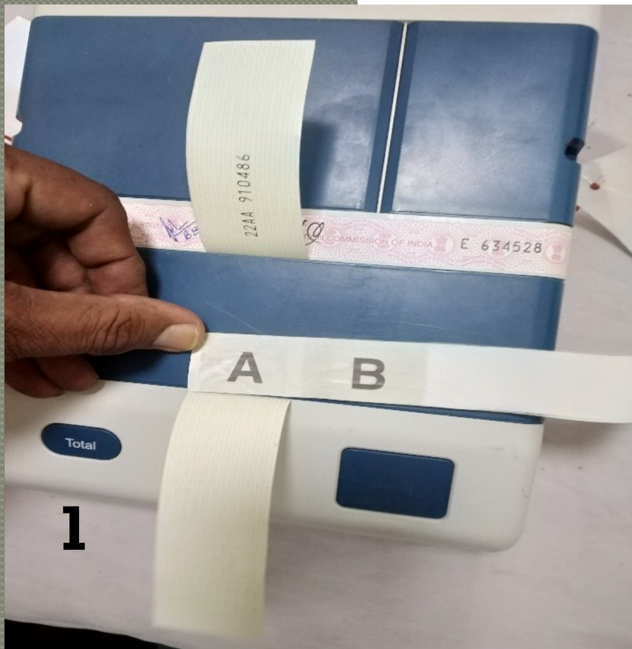

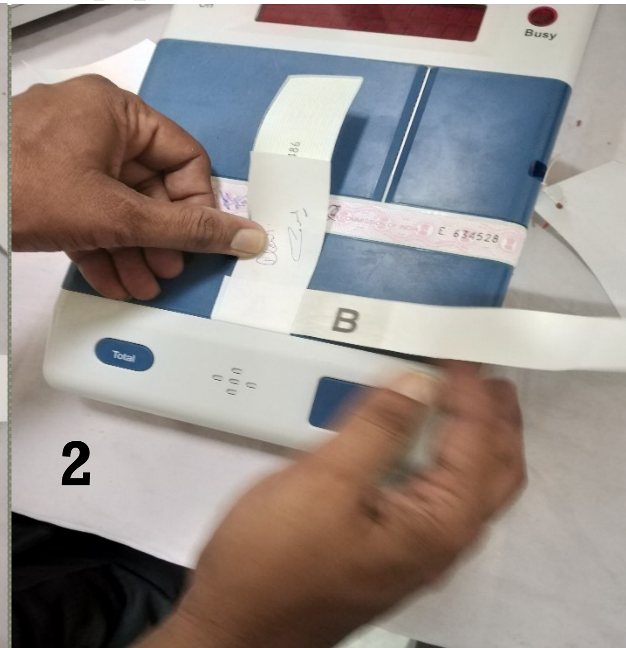

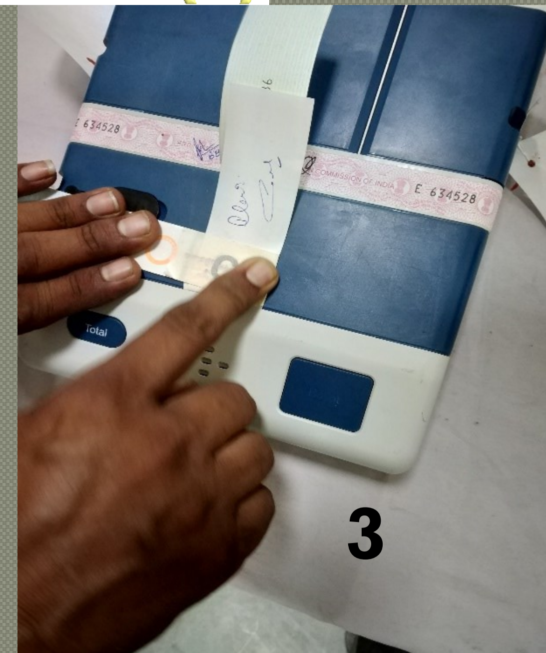

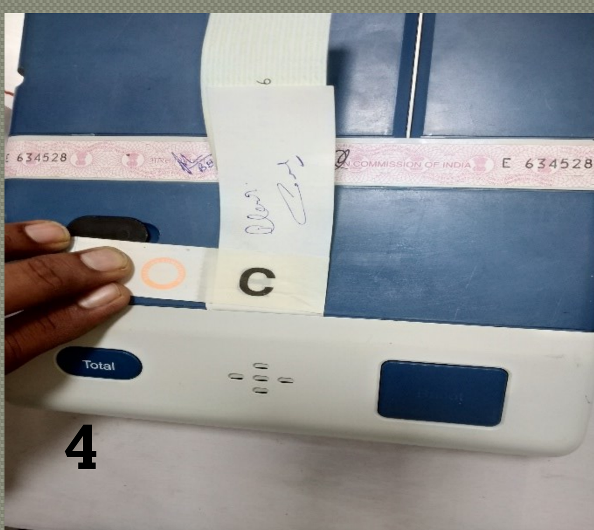

www.rajteachers.com

बाहरी स्ट्रिप सील लगाना (3)

विधान सभा चुनाव2018

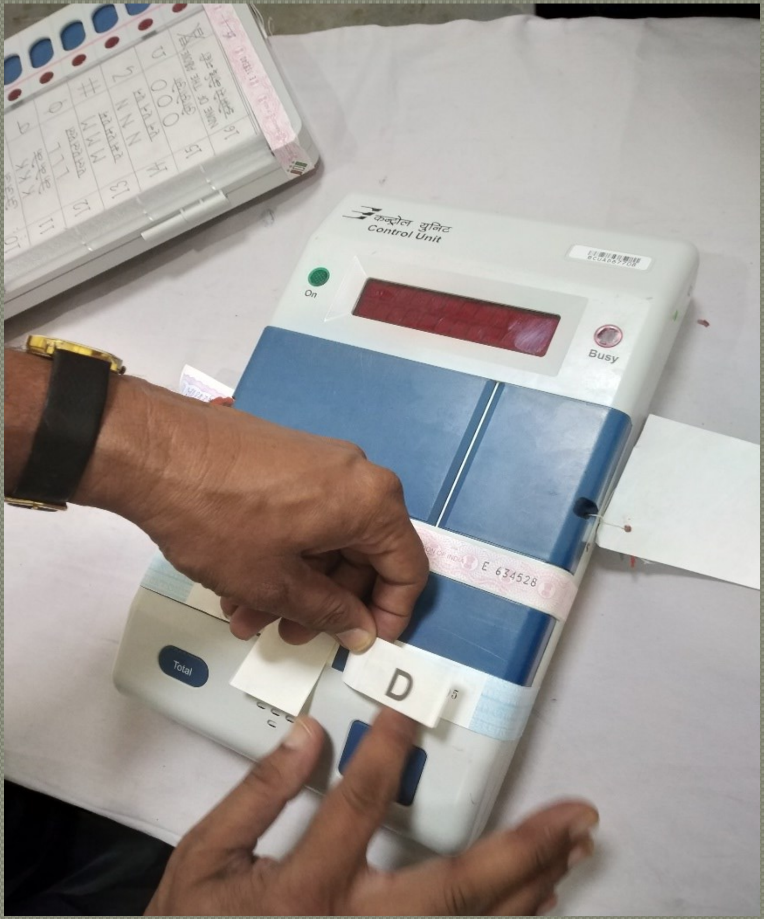

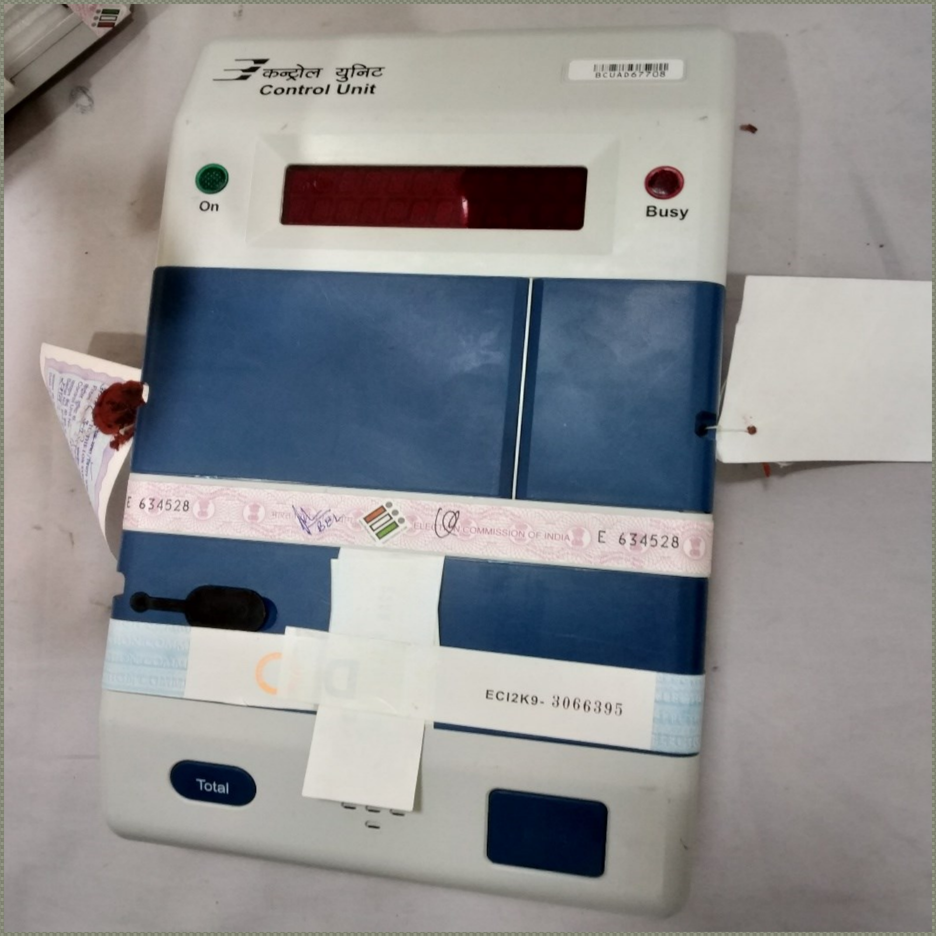

बाहरी स्ट्रिप सील लगाना (8)

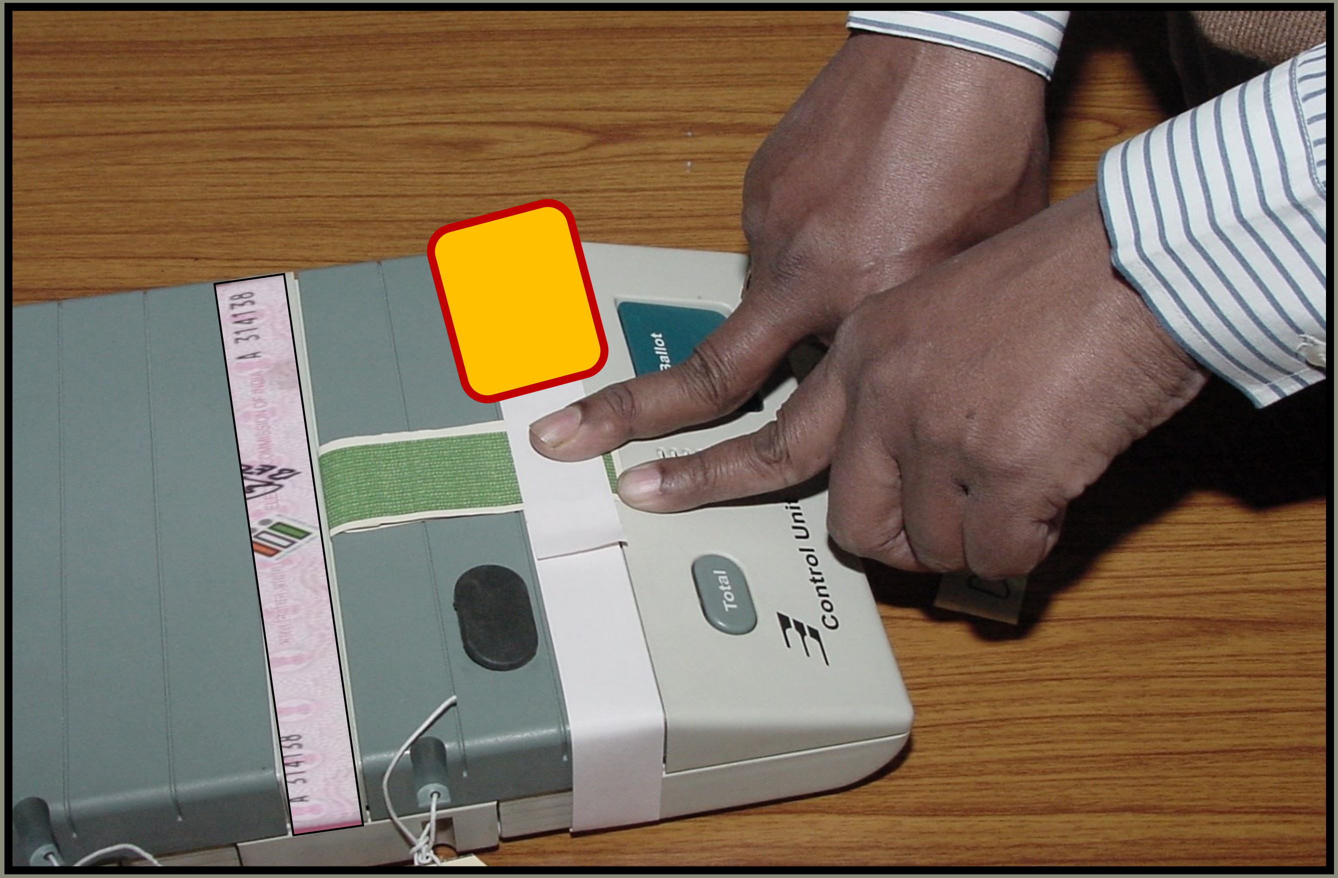

- अब स्ट्रिप सील फिक्स हो गयी है ध्यान रहें कि स्ट्रिप सील क्लोज बटन के रबड़ के ऊपर नहीं आयें। स्ट्रिप सील का क्रमांक ऊपर से दिखाई देगा।

www.rajteachers.com

स्ट्रिप सील – मुख्य बिन्दु

- अभ्यर्थी / मतदान अभिकर्ताओं को स्ट्रिप सील का विशेष पहचान क्रमांक नोट करने दें।
- पीठासीन अधिकारी को दी गई स्ट्रिप सील का रिकॉर्ड रखना है। यदि कोई सील क्षतिग्रस्त हो गई है तो दूसरी सील काम में लें तथा क्षतिग्रस्त सील रिटर्निंग अधिकारी को वापस लौटायें।
- बाहरी कागज की स्ट्रिप सील से सील होने के बाद कन्ट्रोल यूनिट मतदान के लिए तैयार है।
- स्ट्रिप सील को मतदान के समय एवं मतदान समाप्ति के उपरान्त नहीं हटाया जावें। मतदान के उपरान्त सुरक्षित स्ट्रिप सील के साथ कन्ट्रोल यूनिट को कैरिंग बॉक्स में रखें ।

www.rajteachers.com

मौक पोल के पश्चात् वास्तिविक मतदान के लिए

VVPAT और CU को परस्पर जोड़ने वाली **केबल** को इस प्रकार समायोजित करें कि मतदाता उस पर से नहीं गुजरें।

- नियंत्रण यूनिट के पीछे के भाग को खोल कर पॉवर स्विच ऑन करें।
- नियंत्रण यूनिट के पीछे के भाग को तार से बन्द करें।
- टोटल बटन दबाकर यह सुनिश्चित करें एवं उपस्थित अभिकर्ताओं को दर्शायें कि वास्तविक मतदान से पहले इस में कोई मत दर्ज नहीं हैं।

मतदान प्रक्रिया

मतदान प्रक्रिया

- पीठासीन अधिकारी / **मतदान अधिकारी** नियंत्रण यूनिट के बैलट बटन को दबाकर मतदान यूनिट को सक्रिय करेगा तथा मतदाता को मतदान के लिए मतदान कक्ष में भेजेगा।

मतदान प्रक्रिया

- बैलट बटन दबाते ही कन्ट्रोल यूनिट का लाल रंग का बिजी लैम्प ऑन हो जायेगा, साथ ही मतदान यूनिट का हरे रंग का रेडी लैम्प भी ऑन हो जायेगा।

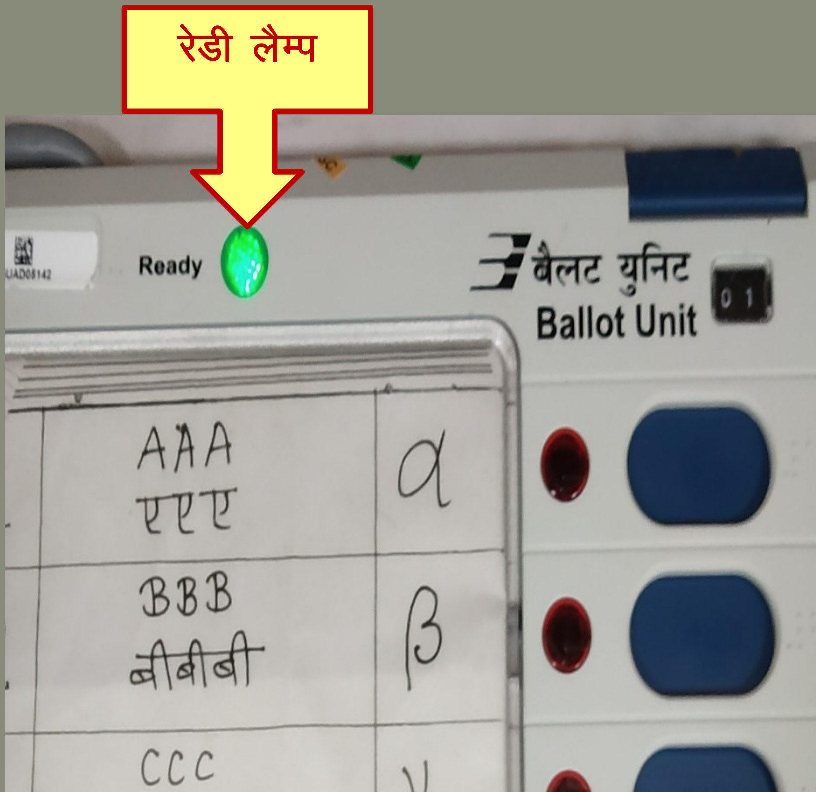

www.rajteachers.com

मतदान प्रक्रिया

- मतदान कक्ष में मतदाता अपनी पसन्द के उम्मीदवार के नाम व प्रतीक चिन्ह के सम्मुख उम्मीदवार के नीले बटन को दबाएगा।
- जब नीले बटन को दबाएँगे तब उम्मीदवार के नाम तथा प्रतीक चिन्ह के सामने लाल बत्ती ऑन हो जायेगी **इसी समय VVPAT के डिस्प्ले सेक्शन में मतदाता दवारा दिए गए उम्मीदवार का क्रमांक,नाम और चेनाव चिन्ह प्रदर्शित होंगे, 7 सेकिंड के बाद स्लिप कट कर नीचे ट्रे में गिर जायेगी और कंट्रोल यूनिट से बीप की आवाज सुनाई देगी इस प्रकार मत देने की प्रक्रिया पूरी होगी।**

www.rajteachers.com

BU, CU का बिजी लैम्प अब ऑफ हो जायेगा। यह प्रक्रिया मतदान समाप्ति तक दोहराई जायेगी।

नियंत्रण यूनिट के पॉवर स्विच को मतदान के दौरान ऑफ नहीं करें।

मतदान समाप्ति के बाद की प्रक्रिया

www.rajteachers.com

मतदान समाप्ति

- **मतदान केंद्र पर अंतिम मतदाता के मतदान करने के बाद मतदान समाप्ति के लिए नियन्त्रण यूनिट पर लगी** काले रंग की रबड़ की सील को हटा कर छिद्र में अंगुली की सहायता से काले रंग का क्लोज बटन दबायें।

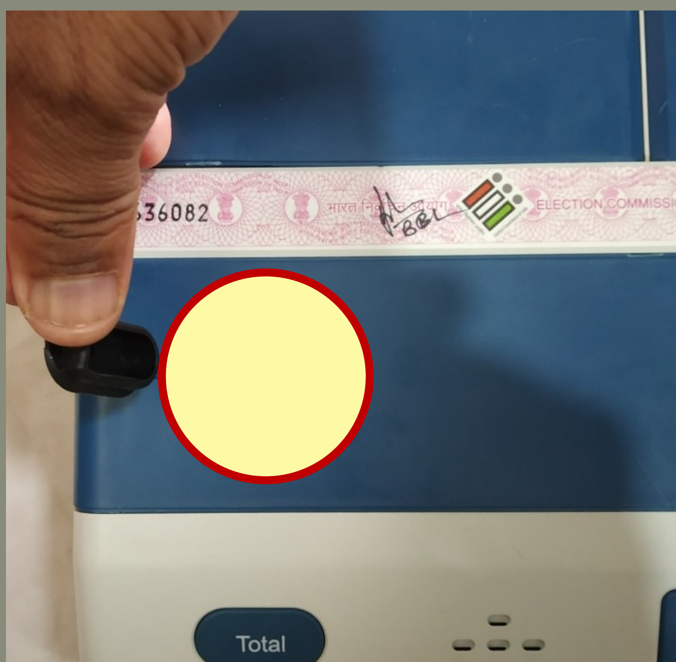

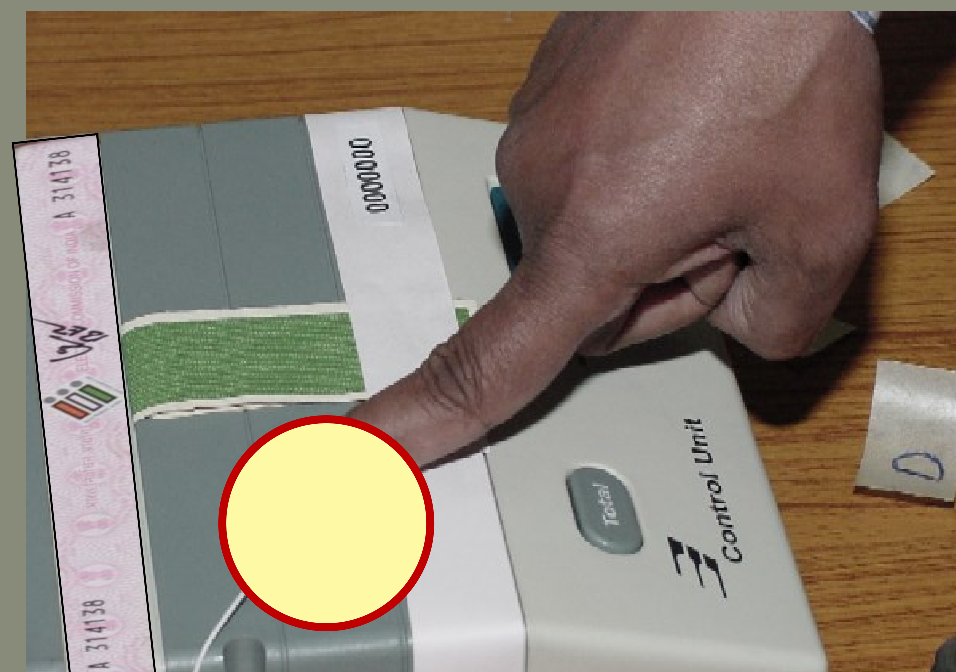

www.rajteachers.com

कंट्रोल यूनिट

- क्लोज बटन दबाने पर निम्न सूचना डिस्प्ले होगी

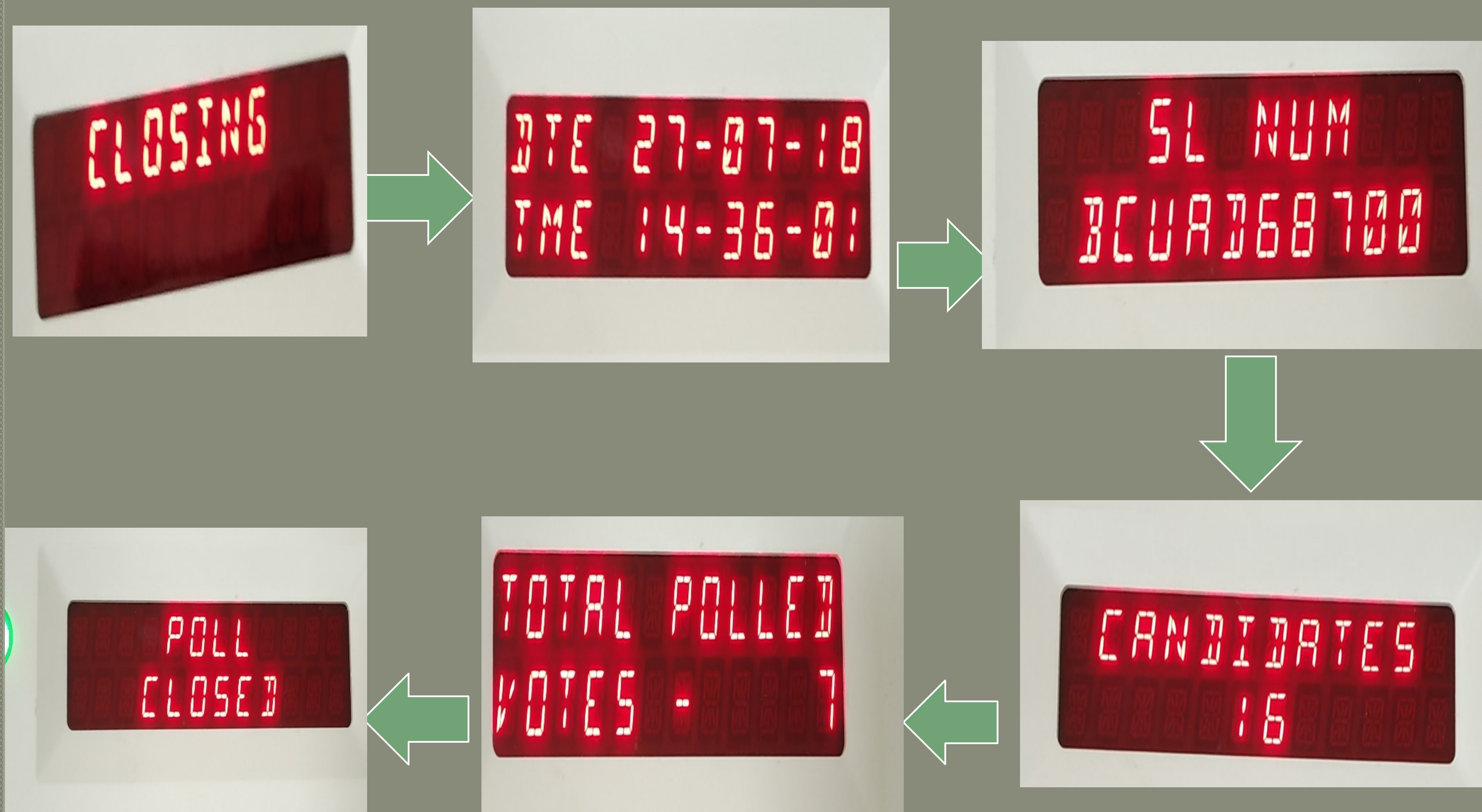

मतदान समाप्ति

- इसके बाद ''टोटल'' का बटन दबाकर पुनः कुल डाले गये मतों की संख्या का मिलान कर लें तथा उपस्थित अभिकर्ताओं को भी वह संख्या दिखा दें एवं इस संख्या का रजिस्टर–17(क) में अंकित संख्या से मिलान कर लें।
- मतदान की प्रक्रिया के दौरान भी किसी भी समय ''टोटल'' का बटन दबाकर उस समय भी डाले गये कुल मतों की संख्या ज्ञात की जा सकती है।

मतदान समाप्ति

- इसके बाद कन्ट्रोल युनिट के पिछले हिस्से का ढक्कन पुनः खोलकर स्विच को ऑफ पॉजिशन पर ले आवें तथा लिंकिग केबल का प्लग दोनो तरफ के लीवर दबाकर बाहर खींच लें।
- इसके बाद कन्ट्रोल युनिट के पिछले ढक्कन को पुनः बन्द करदें एवं अब इसे धागा बान्ध कर चपड़ी से सील कर दें।

मतदान समाप्ति

- **BU,CU,VVPAT(मय VSDU)** को पृथक–पृथक कैरिंग बॉक्स में रखें।
- कैरिंग बॉक्सों को मोहर बन्द करें तथा एड्रेस टैग लगावें।
- मोहरबन्द बॉक्सों को रिटर्निंग आफिसर के यहां जमा करायें।

www.rajteachers.com

पीठासीन अधिकारी के लिए ई.वी.एम. के सम्बन्ध में निर्देश

PRESSED ERROR = BU में उम्मीदवार का नीला बटन दबा है

BU NOT CONNECTED = BU ठीक से नहीं जुडी है

BU NOT RESPONDING = BU की केबल जांचें /BU बदलें

VVPAT NOT CONNECTED = VVPAT ठीक से नहीं जुडा है

VVPAT NOT RESPONDING = VVPAT की केबल जांचें / VVPAT बदलें

CHANGE PRINTER = VVPAT खराब है बदलें

CHANGE EVM =EVM खराब है

ERROR 2.1 से 2.14CHANGE PRINTER = VVPAT खराब है बदलें

CHANGE VVPAT BATTERY = VVPAT की बैटरी बदलें

BU /CU LED NOT RESPONDING = BU /CU की LED खराब है BU/CUबदलें

BU DIGIT NOT OK = BU का थम्ब व्हील स्विच जांचें

पीठासीन अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि EVM की कोई भी केबल EVM ऑन स्थिति में न तो निकाली जाए न ही लगाई जाए

www.rajteachers.com

मतदान समाप्ति पर की जाने वाली घोषणाऐं

1- मतदान समाप्ति के समय तक उपस्थित सभी मतदाताओं से मतदान कराया जायेगा।

2. मतदान पूर्ण होने पर मतदान समाप्ति की घोषणा मतदान अभिकर्ताओं के सम्मुख की जायेगी तथा घोषणा पर पीठासीन अधिकारी के साथ–साथ मतदान अभिकर्ताओं के हस्ताक्षर भी लिये जायेगें।

www.rajteachers.com

मतदान समाप्ति पर मतदाता रजिस्टर (17–क) के अन्त में प्रमाण पत्र

- मतदान के अन्त में पीठासीन अधिकारी मतदाता रजिस्टर में दर्ज अन्तिम मतदाता की प्रविष्टि के नीचे प्रमाण पत्र अंकित करेगा कि कितने मतदाताओं ने वोट दिये हैं
- इस प्रमाण पत्र पर वह अपने हस्ताक्षर करेगा तथा उपस्थित मतदान अभिकर्ताओं के भी हस्ताक्षर करवायेगा।

मतदान मशीन को मुहरबन्द करना

1. मतदान समाप्ति के पश्चात् मतदान मशीन में रिकॉर्ड किये गये मतों का लेखा प्रारूप 17ग में तैयार कर इसकी प्रतियां उपस्थित मतदान अभिकर्ताओ को देने एवं प्रपत्र 7 के भाग 3 को भरने के पश्चात् मशीन को मुहरबन्द किया जाना चाहिए।
2. प्रत्येक कैरिंग बॉक्स के दोनों तरफ इस प्रयोजन के लिए उपलब्ध दो छिद्रों में से एक धागा डालकर एड्रेस टैग पर उसमें अन्तर्विष्ट यूनिट की विशिष्टियां दर्शाते हुऐ पीठासीन अधिकारी की मोहर सहित धागे को मुहर बन्द करें।
3. अभ्यर्थी या उनके मतदान अभिकर्ता जो उपस्थित हों एवं अपनी मोहर लगाने के इच्छुक हो उन्हें मोहर लगाने के लिए अनुज्ञात किया जायें।
4. ऐसे अभ्यर्थी या मतदान अभिकर्ता का नाम मतदान समाप्ति की घोषणा के प्रपत्र 7 के भाग 4 में लिखना चाहिए।

www.rajteachers.com

FORM 17 C

[See rules 49S and 56C(2)]

PART I – ACCOUNT OF VOTES RECORDED

Election to House of the People/Legislative Assembly of the State/Union Territory .... from............................. constituency.

Number and Name of Polling Station: ....

Identification Number of voting Machine used at the Polling Station: Control Unit............... Balloting Unit.............. Printer (if used)............

1. Total number of electors assigned to the Polling Station
2. Total number of voters as entered in the Register for Voters (Form 17A)
3. Number of voters deciding not to record votes under rule 49-O
4. Number of voters not allowed to vote under rule 49M
5. Test votes recorded under rule 49MA (d) required to be deducted-

(a) total number of test votes to be deducted: Total No. Sl.No.(s) of elector(s) in Form 17A

(b) Candidate(s) for whom test vote(s) cast:

Sl.No.	Name of candidate	No. of votes
....	....	....
....	....	....

6. Total number of votes recorded as per voting machine:..
7. Whether the total number of votes as shown against item 6 tallies with the total number of votes as shown against item 2 minus numbers of voters deciding not to record votes as against item 3 minus number of voters as against item 4(i.e. 2-3-4) or any discrepancy noticed:...
8. Number of voters to whom tendered Ballot papers were issued under rule 49P:..............
9. Number of tendered Ballot papers:

	Total	Sl.No. From	To
(a) received for use	....	....	....
(b) issued to electors	....	....	....
(c) not used and returned	....	....	....

10. Account of papers seals

Signature of polling agents

1. Paper seals supplied for use: Total No……………… 1…………………………

Sl.No. from……………. To ……………………………

2. Paper seals used: Total No……………… 2…………………………

Sl.No. from……………. To ……………………………

3. Unused paper seals returned to Returning Officer: Total No……………… 3…………………………

Sl.No. from……………. To ……………………………

4. Damaged paper seal, if any: Total No……………… 4…………………………

Sl.No. from……………. To ……………………………

5…………………………

6…………………………

Date…………………………

Place…………………………

Signature of Presiding Off

Polling Station No…………………………

पीठासीन अधिकारी की डायरी

अनुबंध XIV

[अध्याय 33, पैरा–1]

पीठासीन अधिकारी की डायरी

1. निर्वाचन क्षेत्र का नाम [बड़े अक्षरों में]:
2. मतदान की तिथि
3. मतदान केन्द्र की संख्या व नाम:
   क्या यह—
   क) सरकारी या अर्द्ध–सरकारी भवन में स्थित है;
   ख) निजी भवन में स्थित है
   ग) अस्थायी ढांचा है;

4. स्थानीय रूप से भर्ती किए गए मतदान अधिकारियों की संख्या, यदि कोई है:

5. विधिवत् रूप से नियुक्त मतदान अधिकारी, यदि कोई है, की अनुपस्थिति में बनाए गए मतदान अधिकारी की नियुक्ति और ऐसी नियुक्ति के कारण:

6. इलेक्ट्रानिक वोटिंग मशीन—
   क) प्रयुक्त कंट्रोल यूनिटों की संख्या:
   ख) प्रयुक्त कंट्रोल यूनिटों की क्रम संख्या (एं):
   ग) प्रयुक्त बैलेटिंग यूनिटों की संख्या:
   घ) प्रयुक्त बैलेटिंग यूनिटों की क्रम संख्या:

7. क) प्रयुक्त पेपर सीलों की संख्या:
   ख) प्रयुक्त पेपर सीलों की क्रम संख्याएं:

7क. क) आपूर्ति किए गए विशेष टैगों की संख्या:
   ख) आपूर्ति किए गए विशेष टैगों की क्रम संख्या (एं):
   ग) प्रयुक्त विशेष टैगों की संख्या:
   घ) प्रयुक्त विशेष टैगों की क्रम संख्या (एं):
   ड.) अप्रयुक्त वापिस किए गए विशेष टैगों की क्रम संख्या (एं)

7ख. क) आपूर्ति की गई स्ट्रिप सीलों की संख्या:
   ख) आपूर्ति की गई स्ट्रिप सीलों की क्रम संख्या (एं):
   ग) प्रयुक्त स्ट्रिप सीलों की संख्या:
   घ) प्रयुक्त स्ट्रिप सीलों की क्रम संख्या (एं):
   ड.) अप्रयुक्त वापिस की गई स्ट्रिप सीलों की क्रम संख्या (एं):

www.rajteachers.com

7ग. (केवल उन्हीं मतदान केन्द्रो के लिए जहां वी.वी.पी.ए.टी. का प्रयोग किया गया हैं।
क) प्रयुक्त प्रिंटरों की संख्या:
ख) प्रिंटर (रों) की कम संख्या (ए):

8. मतदान केन्द्रों पर मतदान अभिकर्ताओं को नियुक्त करने वाले अभ्यर्थियों की संख्या:

9. क) मतदान के प्रारंभ पर उपस्थित मतदान अभिकर्ताओं की संख्या:
ख) देर से पहुंचने वाले मतदान अभिकर्ताओं की संख्या:
ग) मतदान की समाप्ति पर उपस्थित मतदान अभिकर्ताओं की संख्या:

10. क) मतदान केन्द्र के लिए विनिश्चित मतदाताओं की कुल संख्या:
ख) निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रतिलिपि के अनुसार मतदान करने के लिए अनुमत निर्वाचकों की संख्या:
ग) मतदाताओं के रिजिस्टर (फार्म 17—क) में यथा प्रविष्ट निर्वाचकों की कुल संख्या:
घ) वोटिंग मशीन की अनुसार रिकॉर्ड किए गए मतों की संख्या:
ड.) मतदान रिकॉर्ड न करने का निर्णय लेने वाले मतदाताओं की संख्या, यदि कोई है:

प्रथम मतदान अधिकारी के हस्ताक्षर

मतदाताओं के रजिस्टर के प्रभारी मतदाता अधिकारी के हस्ताक्षर

11. मतदान करने वाले निर्वाचकों की संख्या—
पुरूष..................................
महिला....................................
थर्ड जेंडर......................................
कुल..

12. चुनौतीयुक्त मत—
अनुमत संख्या..
अस्वीकृत संख्या..
जब्त धनराशि रू...

13. उन व्यक्तियों की संख्या जिन्होंने निर्वाचन ड्यूटी प्रमाणपत्र (ई डी सी) प्रस्तुत करने पर मतदान किया:

13क. उन अप्रवासी निर्वाचकों की संख्या जिन्होंने मतदान किया:

14. उन निर्वाचको की संख्या जिन्होंने सहयोगियों की मदद से मतदान किया:

15. परोक्षी द्वारा डाले गए मतों की संख्या:

16. निविदत्त मतों की संख्या:

17. उन निर्वाचकों की संख्या–
क) जिनसे आयु संबंधी घोषणा प्राप्त की गई............
ख) जिन्होंने ऐसी घोषणा देने से मना किया ....

18. क्या मतदान स्थगित करना आवश्यक था, यदि हाँ तो एसे स्थगन के कारण दें:

19. प्रति दो घण्टों में डाले गए मतो की संख्या–
पूर्वाह्न 7 बजे से पूर्वाह्न 9 बजे तक
पूर्वाह्न 9 बजे से पूर्वाह्न 11 बजे तक
पूर्वाह्न 11 बजे से अपराह्न 1 बजे तक
अपराह्न 1 बजे से अपराह्न 3 बजे तक
अपराह्न 3 बजे से अपराह्न 5 बजे तक

(मतदान प्रारंभ होने और समाप्त होने के नियत समय के आधार पर आवश्यक परिवर्तन किया जा सकता है।)

20. क) पंक्ति में खड़े हुए निर्वाचकों को मतदान के समापन के समय पर जारी की गई पार्चियों की संख्या:
ख) ऐसे अंतिम निर्वाचक द्वारा अपना मत डालने के पश्चात् वह समय जब मतदान अंतिम रूप से समाप्त हो गया :

21. विवरण सहित निर्वाचक अपराध:
मामलों की संख्या:–
क) मतदान केन्द्र के एक सौ मीटर के भीतर प्रचार करना:
ख) मतदाताओं का छद्‌मरूपण:
ग) मतदान केन्द्रों पर नोटिस या अन्य दस्तावेजों की सुची को छलपूर्ण विकृत करना, नष्ट करना या हटाना:
घ) मतदाताओं को रिश्वत देना :
ङ) मतदाताओं और अन्य व्यक्तियों को डराना
च) बूथ पर कब्जा करना:

22. क्या इनके द्वारा मतदान बाधित या अवरूद्ध किया गया–

क) उपद्रव:

ख) खुली हिंसा:

ग) प्राकृतिक आपदा:

घ) बूथ पर कब्जा करना:

ड.) वोटिंग गशीन का खराब होना:

च) कोई अन्य कारण:

कृपया उपर्युक्त का विवरण दें।

23. क्या मतदान केन्द्र पर प्रयुक्त किसी वोटिंग मशीन के कारण मतदान में गड़बड़ी हुई थी–

क) पीठासीन अधिकारी की अभिरक्षा से अवैध रूप से

ख) बाहर ले जाना दुर्घटनावश या जान–बूझ कर खो गई या नष्ट हो गई

ग) नष्ट हो गई या उसके साथ छेडछाड की गई:

कृपया विवरण दें।

24. अभ्यार्थी/अभिकर्ताओं द्वारा की गई गंभीर शिकायतें, यदि कोई है तो

25. कानून और व्यवस्था भंग करने के मामलों की संख्या:

26. मतदान केन्द्र पर की गई गलतियों और अनियमितताओं, यदि कोई है की रिपोर्ट:

27. क्या मतदान के प्रारंभ होने से पहले और यदि आवश्यक हो तो मतदान के दौरान जब नई मतदान मशीन प्रयुक्त की जाती है और यथा आवश्यक मतदान की समाप्ति पर घोषणाएं की गई हैं:

स्थान:

दिनांक:

पीठासीन अधिकारी

यह डायरी वोटिंग मशीन, विज़िट सीट, 14–बिन्दुओं वाली प्रेक्षक की रिपोर्ट और अन्य मोहरबंद दस्तावेजों के साथ यह डायरी रिटर्निंग अधिकारी को अग्रेषित की जाएगी।

BU,CU,VVPAT के साथ निम्नलिखित अभिलेख जमा होगें

1. मतपत्र लेखा और पेपर सील का लेखा (लिफाफा नं. 1)
2. पीठासीन अधिकारी द्वारा की गई घोषणाऐं (लिफाफा नं. 2)
3. पीठासीन अधिकारी की डायरी (लिफाफा नं. 3)
4. मोक पोल स्लिप का प्लास्टिक का डिब्बा

www.rajteachers.com

अन्य सामग्री पेकिंग के लिये कुल चार बड़े पैकेट बनेंगे

प्रथम पैकिट – सांविधिक लिफाफे

1- निर्वाचन नामावली की चिन्हित प्रति का सील्ड लिफाफा (4)
2. मतदाताओं के रजिस्टर का सील्ड लिफाफा (5)
3. मतदाता पर्चियों का सील्ड लिफाफा (6)
4. अप्रयुक्त निविदत्त मतपत्रों का सील्ड लिफाफा (7)
5. प्रयुक्त निविदत्त मतपत्रों और प्रारूप 17ख की सूची का सील्ड लिफाफा (8)

www.rajteachers.com

अन्य सामग्री पेकिंग के लिये कुल चार बड़े पैकेट बनेंगे

द्वितीय पैकिट– असांविधिक लिफाफे

1- निर्वाचन नामावली की शेष प्रतियों से युक्त लिफाफा (10)

2. प्रारूप 10 में मतदान अभिकर्ताओं के नियुक्ति पत्र से युक्त लिफाफा (11)

3. प्रारूप 12ख में निर्वाचन ड्यूटी प्रमाण पत्र से युक्त लिफाफा (12)

4. प्रारूप 14 में चुनौती दिये गये मतों की सूची से युक्त सील्ड लिफाफा (13)

5. प्रारूप 14क में अन्धे व शिथिलांग निर्वाचकों की सूची और उनके साथियों की घोषणा से युक्त लिफाफा (14)

www.rajteachers.com

अन्य सामग्री पेकिंग के लिये कुल चार बड़े पैकेट बनेंगे

6. निर्वाचकों से उनकी आयु के बारे में अभिप्राप्त घोषणाओं और ऐसे निर्वाचकों की सूची से युक्त लिफाफा (15)
7. चुनौती दिये गये मतों के सम्बन्ध में प्राप्ति रसीद और नकद राशि यदि कोई हो, से युक्त लिफाफा (16)
8. अप्रयुक्त एवं क्षतिग्रस्त पेपर सील से युक्त लिफाफा (17)
9. अप्रयुक्त मतदाता स्लिपों से युक्त लिफाफा (9)
10. अप्रयुक्त और क्षतिग्रस्त स्पेशल टैग से युक्त लिफाफा (18)
11. अप्रयुक्त और क्षतिग्रस्त स्ट्रीप सील से युक्त लिफाफा (19)

www.rajteachers.com

अन्य सामग्री पेकिंग के लिये कुल चार बड़े पैकेट बनेंगे

तृतीय पैकिट

1. पीठासीन अधिकारियों के लिये पुस्तिका
2. इलेक्ट्रोनिक मतदान मशीन की निर्देशिका
3. अमिट स्याही सैट
4. स्टॉम्प पैड
5. पीठासीन अधिकारी की धातु की मोहर
6 निविदत्त मतपत्राों को चिन्हित करने के लिये ऍरोक्रास सील

चतुर्थ पैकिट

बचे हुये समस्त खाली फार्म, चपड़ी, मोमबत्ती थैला आदि समस्त बचा हुआ सामान चतुर्थ पैकिट में होगा।

www.rajteachers.com

पीठासीन अधिकारी द्वारा मतदान की समाप्ति पर सील की गई वोटिंग मशीन और निर्वाचन सम्बन्धी कागज पत्रों को संग्रहण केन्द्र पर अविलम्ब सुपुर्द कर संग्रहण केन्द्र के प्रभारी अधिकारी से प्राप्ति की रसीद प्राप्त करनी चाहिए।

www.rajteachers.com

विजिट शीट (Visit sheet) –

पीठासीन अधिकारी एक विजिट शीट भी रखेगा जिसमें मतदान केन्द्र का भ्रमण करने वाले अधिकारियों (जिला निर्वाचन अधिकारी, रिटर्निंग अधिकारी, सहायक रिटर्निंग अधिकारी, ऐरिया/जोनल/सैक्टर मजिस्ट्रेट, सैक्टर ऑफिसर) एवं पर्यवेक्षक द्वारा अपनी टिप्पणी अंकित की जायेगी। यह विजिट शीट पीठासीन अधिकारी की डायरी के साथ पीठासीन अधिकारी रिटर्निंग अधिकारी को सौंपेगा।

www.rajteachers.com

VISIT SHEET

Date of Poll: ______________________

Name and Number of Assembly : ______________________

Name and Number of Polling Station : ______________________

Number of Electors : ______________

Sl. No.	Name & Designation of the officer visiting (Observer/DEO/RO/ ARO/ Sector Magistrate/ Zonal Magistrate/ Patrolling Magistrate)	Time of Visit	Brief description of polling process (Peaceful/Incidents, if any)	Number of votes polled till the time of visit		Remarks, if any	Signature of Officer
				As per Form 17	As per the EVM		

Signatures of Presiding Officers

(with date)

www.rajteachers.com

विजिट शीट का संधारण

- यह प्रारूप पीठासीन अधिकारी को मतदान सामग्री के साथ उपलब्ध कराया जायेगा
- विजिट शीट में मजिस्ट्रेट्स /डी.ई.ओ./आर.ओ./ए.आर.ओ. एवं पर्यवेक्षकगण अपनी विजिट के समय प्रविष्टियां करेंगे
- *यह विजिट शीट पीठासीन अधिकारी द्वारा पीठासीन अधिकारी की डायरी के साथ नत्थीबद्ध करदी जायेगी एवं मतदान समाप्ति के पश्चात पीठासीन अधिकारी की डायरी के साथ ही जमा करवादी जायेगी*

www.rajteachers.com

. मतदाता पहचान पर्ची बूथ

- यह बूथ मतदान केन्द्र के 200 मीटर के घेरे में स्थापित नहीं होगा
- इस पर 1 मेज 2 कुर्सी एवं उस पर कपड़े या छाते से छाया की ही अनुमति होगी लेकिन कोई कनात या टेंट लगाने की अनुमति नहीं होगी
- इस बूथ पर उम्मीदवार का नाम, उसकी पार्टी का नाम एवं उसके चुनाव चिन्ह को दर्शाते हुए अधिकतम 3 फीट ग 1) फीट का बैनर लगाने की अनुमति होगी
- ऐसे बूथ लगाने वाले प्रत्येक उम्मीदवार रिटर्निंग अधिकारी को इसकी लिखित पूर्व सूचना देंगे एवं संबंधित स्थानीय प्राधिकारी जैसे पंचायत/नगर पालिका/नगर निगम से लिखित अनुमति भी प्राप्त करेंगे
- मतदाता पर्चियों पर उम्मीदवार का नाम या चुनाव चिन्ह नहीं छपा होना चाहिए। ये पर्चियां पहचान दस्तावेज के रूप में मान्य भी नहीं है।
- ऐसे बूथ आवागमन के रास्ते में अवरोध नहीं होने चाहिए।

मोबाइल फोन/कोर्ड लेस फोन/वायरलेस सैट के उपयोग के संबंध में

- अधिकृत चुनाव ड्यूटी अधिकारियों/ मजिस्ट्रेट्स एवं पुलिस अधिकारियों के अलावा मतदान केन्द्र के 100 मीटर के दायरे में किसी व्यक्ति द्वारा मोबाइल फोन/कोर्ड लेस फोन/वायरलेस सैट का उपयोग प्रतिबन्धित रहेगा
- मतदान बूथ के भीतर भी मतदान अभिकर्ताओं एवं मतदाताओं द्वारा मोबाइल फोन को **swtch off** रखना होगा
- मतदान बूथ के भीतर मतदान कर्मी, पर्यवेक्षक व चुनाव डयूटी पर नियुक्त अन्य अधिकारी मोबाइल फोन को **Silent मोड** में रखेंगे और बूथ के भीतर वार्ता नहीं करेंगे।
- मतदान कर्मी आवश्यकता पड़ने पर मार्गदर्शन प्राप्त करने हेतु मतदान कक्ष के बाहर आकर रिटर्निंग ऑफिसर/सहायक रिटर्निंग ऑफिसर/सैक्टर ऑफिसर से सम्पर्क कर सकते हैं।

वोटर असिसटेंस बूथ की स्थापना

- प्रशासन द्वारा एक वोटर असिसटेंस बूथ की स्थापना की जाएगी ताकि उस केन्द्र पर आने वाले मतदाताओं को उनके पोलिंग बूथ एवं उससे संबंधित मतदाता सूची में उनकी प्रविष्टियों की जानकारी हो सके
- इस बूथ पर भाग संख्यावार अंग्रेजी वर्णमाला क्रमानुसार मतदाता सूचियों की प्रतियां उपलब्ध रहेंगी ताकि आने वाले मतदाता को आसानी से उससे संबंधित प्रविष्टियां बतायी जा सकें
- इस बूथ पर शासकीय **Voter Slip** की अतिरिक्त प्रति भी उपलब्ध रहेंगी ताकि मतदाता यदि अपना **EPIC** या घर पर पहुंचायी गयी **Voter Slip** भूल आता है तो यहां से प्राप्त कर उसे मतदान अधिकारी को पहचान दस्तावेज के रूप में पेश कर सके।

www.rajteachers.com

माइक्रो आब्जर्वर्स की व्यवस्था

- जिन मतदान केन्द्रों को उनकी संवेदनशीलता एवं मापदण्डों के कारण क्रीटीकल मतदान केन्द्र घोषित किया जाएगा उनमें से कुछ केन्द्रों पर एक–एक माइक्रो आब्जर्वर भी नियुक्त किये जाएगें। ऐसे माइक्रो आब्जर्वर्स नमूने के मतदान से लेकर मतदान की सम्पूर्ण गतिविधियों पर नजर रखेंगे एवं निर्धारित प्रपत्र में अपनी रिपोर्ट निर्वाचन आयोग द्वारा नियुक्त सामान्य पर्यवेक्षक को उपलब्ध करायेंगे
- माइक्रो आब्जर्वर्स से किसी भी सूरत में मतदान दल के सदस्य के रूप में कार्य नहीं करवाया जायेगा

www.rajteachers.com

बूथ लेवल अधिकारियों की व्यवस्था

- प्रत्येक मतदान केन्द्र के लिए एक–एक बूथ लेवल अधिकारी नियुक्त किया गया है
- बूथ लेवल अधिकारी के पास भी एक अपडेटेड मतदाता सूची उपलब्ध रहेगी
- मतदान केन्द्रों पर फर्नीचर, लाइट, पानी आदि आधारभूत व्यवस्था की उपलब्धता सुनिश्चित कराने में बूथ लेवल अधिकारी सहयोग करेंगे
- मतदान दलों की मतदान केन्द्रों पर उपस्थिति तक बूथ लेवल अधिकारी निरन्तर उनसे सम्पर्क में रहेंगे तथा आवश्यकतानुसार उन्हें सहयोग प्रदान करेंगे
- मतदान दिवस के दिन बूथ लेवल अधिकारी मतदान केन्द्र के बाहर रहते हुए उसके आस–पास रहेंगे एवं पीठासीन अधिकारी के द्वारा बुलाने पर ही पोलिंग बूथ के अंदर प्रवेश करेंगे
- मतदान केन्द्र पर होने वाली घटनाओं के संबंध में बूथ लेवल अधिकारी तुरन्त संबंधित मजिस्ट्रेट/पुलिस/रिटर्निंग ऑफीसर को सूचना देंगे

12. वोटर हैल्प लाइन की व्यवस्था

- निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार राज्य में वोटर हैल्प लाइन की व्यवस्था की गई है। हैल्प लाइन नंबर डायल करके या एस.एम.एस. कर के मतदाता अपने से संबंधित फोटो मतदाता सूची में नाम व प्रविष्टि की जानकारी प्राप्त कर सकता है।
- डायल करें – 1950
- एस.एम.एस. करें–मोबाइल 9251092103 पर

  उदाहरण : VOTERJ <Space> RJ/01/001/123456

  (मतदाता फोटो पहचान पत्र संख्या)
- वेबसाइट - **www.ceorajasthan.nic.in** के होम पेज पर "search your name in electoral rolls पर Click करें

मतदान अभिकर्ता

मतदान अभिकर्ता की नियुक्ति –

- मतदान अभिकर्ता की नियुक्ति प्ररूप 10 में अभ्यर्थी अथवा उसके निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा की जायेगी। मतदान अभिकर्ता द्वारा प्रस्तुत उसके मूल नियुक्ति आदेश (प्ररूप 10) के आधार पर पीठासीन अधिकारी उसे मतदान केन्द्र में प्रवेश देगा।
- प्ररूप 10 में नियुक्ति पत्र पर मतदान अभिकर्ता के भी सहमति स्वरूप हस्ताक्षर होंगे। मतदान अभिकर्ता द्वारा मतदान केन्द्र पर पीठासीन अधिकारी के समक्ष पुनः हस्ताक्षर करने होंगे।

- मतदान अभिकर्ता की नियुक्ति का प्रतिसंहरण लिखित में प्ररूप 11 में अभ्यर्थी अथवा उसके निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा किया जा सकता है। प्रतिसंहरण या मतदान अभिकर्ता की मृत्यु की दशा में अन्य मतदान अभिकर्ता की प्ररूप 10 में पुनः नियुक्ति की जा सकती है, लेकिन पुनः नियुक्ति का कारण अंकित किया जायेगा।
- मतदान अभिकर्ता उसी मतदान केन्द्र अथवा पडौस के किसी मतदान केन्द्र का **मतदाता** भी होना चाहिये और उसके पास फोटो मतदान पहचान पत्र (EPIC) भी होना चाहिये।

- मतदान अभिकर्ता के पास यदि EPIC नहीं है तो केन्द्र या राज्य सरकार के किसी विभाग/संस्था से जारी फोटोयुक्त पहचान पत्र भी मान्य होगा। बिना EPIC या उक्त फोटोयुक्त पहचान दस्तावेज के मतदान अभिकर्ता मतदान केन्द्र में नहीं बैठेगा।
- मतदान अभिकर्ताओं को मतदान केन्द्र में मतदान के समय अपना EPIC अथवा पहचान पत्र अपने शरीर पर प्रदर्शित करते हुए धारण करना होगा, ताकि उनकी तुरन्त पहचान हो सके।
- किसी अभ्यर्थी को ऐसे व्यक्ति को मतदान अभिकर्ता नहीं बनाना चाहिए जो आपराधिक पृष्ठभूमि का है।

- मतदान अभिकर्ताओं द्वारा अभ्यर्थी के नाम, जिसके लिए वह मतदान अभिकर्ता के रूप में कार्य कर रहा है, वाला एक छोटा बैज लगाया जावेगा। यह बैज पीठासीन अधिकारी जारी करेगा।
- प्रत्येक अभ्यर्थी प्रत्येक मतदान केन्द्र के लिए एक मतदान अभिकर्ता और दो रिलीफ मतदान अभिकर्ता नियुक्त कर सकता है तथापि, एक समय पर किसी अभ्यर्थी के एक मतदान अभिकर्ता को ही मतदान केन्द्र में प्रवेश की अनुमति दी जावेगी, इसके लिए म्दजतल ॅ भी पीठासीन अधिकारी द्वारा जारी किये जायेंगे ताकि एक समय में किसी अभ्यर्थी के एक से अधिक एजेन्ट ना रहें। 03:00 बजे अपराह्न बाद रिलीफ मतदान अभिकर्ता को अनुमति नहीं होगी।

- धारा 134(क) के अनुसार सरकारी सेवारत व्यक्ति मतदान अभिकर्ता के रूप में कार्य नहीं कर सकेगा।
- मंत्री अथवा किसी अन्य व्यक्ति जिसे राज्य के खर्चे पर सुरक्षा प्रदान की गई है, को मतदान अभिकर्ता के रूप में अनुमति नहीं होगी।
- मतदान अभिकर्ता मतदान प्रारम्भ होने से कम से कम एक घंटा पूर्व मतदान केन्द्र में प्रवेश कर सकेंगे। यदि मतदान अभिकर्ता विलम्ब से आता है तो वह मतदान केन्द्र पर आगे की कार्यवाहियों में भाग ले सकेगा।

- मतदान अभिकर्ताओं को मतदान के दौरान निर्वाचक नामावली की प्रति मतदान केन्द्र के बाहर ले जाने की अनुमति नहीं होगी। किसी कारणवश मतदान केन्द्र के बाहर जाने के पूर्व मतदान अभिकर्ता द्वारा निर्वाचक नामावली की अपनी प्रति पीठासीन अधिकारी को सुपुर्द की जावेगी।
- मतदान के दौरान कोई मतदान अभिकर्ता किसी पर्ची के माध्यम से मतदान केन्द्र के बाहर क्रमांक इत्यादि अंकित कर ऐसी कोई सूचना नहीं भेज सकता कि किस मतदाता ने मतदान कर लिया या किस ने मतदान नहीं किया।

मतदान अभिकर्ता के कर्तव्य –

- जो व्यक्ति मतदाताओं के प्रतिरूपण का प्रयास करते हैं उनको आक्षेपित करके मतदाताओं के प्रतिरूपण का पता लगाने और रोकने के लिए पीठासीन अधिकारी की सहायता करना,
- मतदान के पूर्व और पश्चात् उपस्थित रहकर नियमों के अनुसार मतदान मशीनों को समुचित रूप से सुरक्षित और मुहरबंद करने में उपस्थित रहकर सहायता करना,

- मतदान बन्द होने के पश्चात् पीठासीन अधिकारी के प्ररूप 17ग में रिकार्ड किये गये मतों के लेखे और पेपर सील के लेखे की प्रति लेना, और
- इस बात का ध्यान रखना कि मतदान से संबंधित दस्तावेज विधि की अपेक्षानुसार समुचित रूप से सुरक्षित और मुहरबंद किये गये हैं।

मतदान केन्द्रों में प्रवेश –

- पीठासीन अधिकारी द्वारा, मतदान केन्द्र में निर्वाचकगण के अलावा **केवल निम्नलिखित** व्यक्तियों को प्रवेश दिया जा सकता है :–

  (क) मतदान अधिकारी,

  (ख) प्रत्येक अभ्यर्थी, उसका निर्वाचन अभिकर्ता और प्रत्येक अभ्यर्थी का एक बार में एक मतदान अभिकर्ता,

  (ग) निर्वाचन आयोग द्वारा प्राधिकृत किये गये व्यक्ति,

  (घ) निर्वाचन के संबंध में कर्त्तव्यरूढ़ लोक सेवक,

www.rajteachers.com

(ङ) किसी निर्वाचक के साथ गोद में कोई बच्चा,

(च) किसी अंधे या किसी शिथिलांग मतदाता, जो बिना मदद के चल नहीं सकता हो, के साथ आने वाला कोई व्यक्ति,

(छ) ऐसे अन्य व्यक्ति, जिन्हें पीठासीन अधिकारी मतदाताओं की पहचान करने के या पीठासीन अधिकारी की अन्यथा सहायता करने के प्रयोजनार्थ समय–समय पर प्रवेश दें।

मतदान की गोपनीयता बनाये रखना –

- धारा 128 के अन्तर्गत मतदान की गोपनीयता का अतिक्रमण करना दण्डनीय अपराध है। मतदान प्रारम्भ होने से पूर्व पीठासीन अधिकारी यह प्रावधान सभी उपस्थित व्यक्तियों की जानकारी में लायेगा।
- मतदान की गोपनीयता भंग करने और मतदान प्रक्रिया का पालन नहीं करने पर मतदाता को मत नहीं देने दिया जायेगा और यदि ऐसे मतदाता को मतदान पर्ची जारी कर दी गई है तो उसे वापिस ले ली जायेगी और मतदाता रजिस्टर में इस आशय की टिप्पणी भी अंकित की जायेगी।
- मतदाता का मत देते हुए फोटो नहीं ली जा सकती।

मतदान के प्रारम्भ होने से पूर्व पीठासीन अधिकारी द्वारा घोषणा –

- मतदान ठीक नियत समय पर प्रारम्भ होगा, जिसके पूर्व सारी तैयारियां पूर्णकर पीठासीन अधिकारी एक विहित प्ररूप मे घोषणा पढ़कर सुनायेगा और अपने अपने हस्ताक्षर करेगा व उपस्थित अभिकर्ताओं से भी हस्ताक्षर करने हेतु कहेगा।

www.rajteachers.com

मतदान बन्द होने के समय उपस्थित मतदाताओं द्वारा मतदान –

- मतदान बन्द होने के समय पर मतदान केन्द्र पर उपस्थित मतदाताओं में सभी को मत देने दिया जायेगा। इसके लिये पीठासीन अधिकारी उन्हें पर्चियां देगा। जो पीछे के छोर से प्रारम्भ करते हुये देगा।

www.rajteachers.com

मतों के लेखे (प्ररूप 17ग) के प्रति –

- मतदान समाप्ति के तुरन्त बाद कंट्रोल यूनिट में रिकार्ड किये गये मतों का लेखा विहित प्ररूप 17ग में पीठासीन अधिकारी बनायेगा। मतदाता रजिस्टर व चिन्हित मतदाता सूची से भी इसका मिलान किया जायेगा।
- उपस्थित प्रत्येक मतदान अभिकर्ता को मतों के लेखे की एक–एक सत्यापित प्रति दी जायेगी। यदि कोई अभिकर्ता उक्त प्रति लेने से इन्कार करता है तो पीठासीन अधिकारी अपनी घोषणा में अंकन करेगा।

www.rajteachers.com

निर्वाचन बूथ –

- अभ्यर्थियों के निर्वाचन बूथ किसी मतदान केन्द्र की 200 मीटर परिधि के बाहर स्थापित किये जा सकते है, जिसके लिये स्थानीय निकाय की अनुमति आवश्यक है। ऐसे बूथ पर केवल एक बैनर 3 × 1.5 फीट आकार का लगाया जा सकता है। एक टेबिल और दो कुर्सियां रखी जा सकती है, लेकिन कोई शामियाना और टैन्ट नहीं हो सकता।

OVERSEAS VOTERS

- विदेश में रहने वाले भारतीयों जिन्होंने विदेशी नागरिकता ग्रहण नहीं की है, उनका नाम संबंधित क्षेत्र की मतदाता सूची के अंत में अप्रवासी मतदाता के रूप में दर्ज रहेगा।
- ऐसे मतदाता उसी भाग में अपने पासपोर्ट के आधार पर मतदान करेंगे इन्हें **EPIC** जारी नहीं होता है।

वैकल्पिक पहचान दस्तावेज

- EPIC के अतिरिक्त शासकीय पहचान पर्ची को भी चुनाव आयोग ने मान्यता दे रखी है एवं उनके आधार पर भी मतदान हेतु अनुमत किया जा सकता है।
- आयोग कुछ और फोटोयुक्त दस्तावेज भी पहचान के लिए अधिसूचित कर सकता है, ऐसे नोटिफाइड दस्तावेजात की सूची आपको सामग्री में उपलब्ध होगी।

www.rajteachers.com

EDC द्वारा मतदान

- चुनाव ड्यूटी में लगे कर्मचारी/अधिकारी अपना मतदान EDC/PB के माध्यम कर सकते है ।
- EDC के लिए उन्हें फार्म 12 A में आवेदन करना होगा जिसे पूर्ण भरकर RO को प्रस्तुत करना होगा ।
- RO द्वारा EDC चुनाव ड्यूटी में लगे कर्मचारी/अधिकारी को 12 B में जारी किया जायेगा।
- ऐसे कर्मचारियों/अधिकारियों के नाम के आगे उनके मतदान केन्द्र की वॉटर लिस्ट में EDC लाल पैन से अंकित किया जायेगा और ऐसे कर्मचारी जिन्होंने 12 A में आवेदन प्रस्तुत कर दिया है वहां वोट नहीं डाल पायेगें जहां उनका नाम पंजीकृत है । अपितु EDC द्वारा जहां उनकी ड्यूटी लगी है वहां अपना मतदान करेगें ।

www.rajteachers.com

- EDC धारक मतदाता द्वारा EDC प्रमाण पत्र पेश करने पर पीठासीन अधिकारी EDC पेश करने वाले के हस्ताक्षर EDC पर अभिप्राप्त करेगें।
- EDC मे अकिंत निर्वाचक का नाम व भाग सख्या,निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति के अंत में अंकित करेगा।
- ततपश्चात उस मतदान केन्द्र पर अन्य मतदाताओं की तरह मत अकिंत करने के लिये अनुज्ञात करेगा।

www.rajteachers.com

- पीठासीन अधिकारी पॉलिग एजेन्टस को EDC द्वारा मतदान की प्रक्रिया के बारे में जानकारी देगें और उन्हें जितने EDC उस पॉलिग बूथ के लिये जारी किये गये है कि जानकारी देगें।

- द्वितीय मतदान अधिकारी EDC द्वारा मतदान करने वाले अधिकारियों के लिये 17 क रजिस्टार के द्वितीय कॉलम में उनका क्रमांक भाग संख्या और एसेम्बली क्षैत्र का नाम लिखेगें ।

- मान लिजिये की अधिकारी का नाम **XYZ** निर्वाचन क्षैत्र के भाग संख्या 25 व क्रमांक 415 पर है तो इसे 17 क रजिस्टर के द्वितीय कॉलाम में 415/25/**XYZ** लिखा जायेगा ।
- 17 क रजिस्टर के रिमार्क कॉलम में **EDC Voter** लिखा जायेगा।
- **EDC** द्वारा वोट डालने की प्रक्रिया पॉलिग एजेन्ट की उपस्थिति में ही की जायेगी ।

धन्यवाद

- प्रशिक्षण प्रकोष्ठ
- जिला निर्वाचन अधिकारी ,कोटा

www.rajteachers.com